खण्ड-400, अंक-2
मंगलवार, 2 माघ, शक संवत् 1912
(22 जनवरी, 1991 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 400 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
नियम 311 की सूचना को लिये जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	1
श्री कृष्ण कुमार नवमान, सदस्य विधान सभा (अलीगढ़) गिरफ्तारी, रिहाई तथा पुनः गिरफ्तारी की सूचना	95
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	95
नस्थियां	97–101

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 22 जनवरी, 1991

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:--

अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अर्जन सिंह यादव, श्री	जौनपुर
इन्दल सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कृपा शंकर आर्य, श्री	देवरिया
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती
कृष्ण कुमार नवमान, श्री	अलीगढ़
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
चन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
चन्द्र विजय सिंह, श्री	मुरादाबाद
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
तेजपाल, श्री	बिजनौर
दीपचन्द्र सोनकर, श्री	जौनपुर
देवकुमार यादव, श्री	बांदा
धर्मवीर सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
नरेश चन्द्र उत्तम, श्री	फतेहपुर
नेमपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू सिंह यादव, श्री	अलीगढ़
बालचन्द्र मिश्रा, श्री	कानपुर
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
मंत्री प्रसाद नैथानी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मण्डलेश्वर, श्री	आगरा
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
माधव, श्री	एटा
मास्टर कंवर पाल, श्री	सहारनपुर
मीर मजहर अली उर्फ नन्हें मियां, श्री	बदायूं
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजा मो0अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
राजेश्वर बंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
राम दुलारे सिंह, श्री	इलाहाबाद
राममूरती सिंह, श्री	शाहजहांपुर
रामरति बिन्द, श्री	वाराणसी
रिछपाल सिंह बंसल, श्री	मेरठ
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री	गोण्डा
रुद्र प्रसाद, श्री	मिर्जापुर
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
संत बख्श रावत, श्री	लखनऊ
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
सैय्यद लियाकत हुसैन, श्री	फतेहपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
हनुमन्त सिंह, श्री	गोण्डा
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर

सत्यमेव जयते

मंगलवार, दिनांक 22 जनवरी, 1991 विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

नियम 311 की सूचना लिए जाने की मांग

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

(घोर व्यवधान)

(श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने एक शीशी दिखाई)

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैंने 311 पर नोटिस लगाई है . . .

(घोर व्यवधान)

(श्री शारदा प्रताप शुक्ल एवं कई सदस्यों ने नारे लगाए, "अल्पमत की सरकार नही चलेगी, नहीं चलेगी" तथा

श्री शारदा प्रताप शुक्ल, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री मूलचन्द्र आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 3 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में आवश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि तथा उसे नियंत्रित किया जाना

**1–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी 1990 से दिसम्बर, 1990 के मध्य खुले बाजार में आवश्यक खाद्य पदार्थों जैसे-गेहूं, चीनी चावल, खाद्य तेल-घी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है और इस मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? क्या यह सही है कि वर्ष 1990 में हुई मूल्य वृद्धि गत वर्ष 1988 और 1989 से बहुत अधिक है ? यदि हां, तो मूल्य नियंत्रण के संदर्भ में शासन की क्या नीति है ?

टिप्पणी:–प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी)–

प्रदेश में जनवरी, 1990 से दिसम्बर 1990 के मध्य खुले बाजार में आवश्यक खाद्य पदार्थों जैसे-गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल व वनस्पति घी में मूल्य वृद्धि निम्नवत् रही :–

	(प्रति किग्रा0 रुपये में)	
	न्यूनतम मूल्य	अधिकतम मूल्य
गेहूं	1·84	3·45
चावल	2·90	5·50
चीनी	6·60	10·00
सरसों तेल	17·00	34·00
वनस्पति घी	23·00	42·00

मुल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं :–

(1) जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया ।

(2) खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने हेतु व्यापारियों/उत्पादकों की स्टाक सीमा घटायी गयी और थोक विक्रेता से थोक विक्रेता को वनस्पति हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया ।

(3) जमाखोरी, काला बाजारी व मुनाफाखोरी के विरुद्ध मारे गये 40,488 छापों के अंतर्गत दोषी व्यापारियों, उत्पादकों आदि के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करके लगभग 8·12 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गयीं ।

(4) मूल्य स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की व्यवस्था की गयी ।

शासन का प्रयास उत्पादकों के व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए उनमें समन्वय स्थापित करने का है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

वर्ष 1989 में विभिन्न पद धारकों को मंत्री, राज्यमंत्री एवं उपमंत्री का दर्जा दिए जाने तथा शासन द्वारा वहन किए गये व्यय का विवरण

*1–श्री ऊदल–

द्वितीय सत्र 90 के 1ले मंगलवार के लिए निर्धारित तारां0 प्र0 संख्या 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों के ऊपर कितने रुपये का खर्चा शासन को वहन करना पड़ा और वाहनों पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

कुल प्रश्नगत व्यय रुपये 27,67,108·00 शासन द्वारा वहन किया गया है जिसमें रुपये 12,36·567·00 वाहन पर हुआ व्यय सम्मिलित है ।

श्री गोमती यादव "सभासद" निवासी बड़ी जुगौली जिला लखनऊ द्वारा किसानों की भूमि का प्रतिकर देने के संबंध में कार्यवाही की मांग

*2—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगर विकास मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 28-2-90 के पत्र के साथ श्री गोमती यादव, "सभासद" निवासी-बड़ी जुगौली, गोमती नगर (लखनऊ) एवं ग्राम भीखमपुर कसैला व उजरियांव परगना व तहसील लखनऊ, जि0 लखनऊ के किसानों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 28-2-90 का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है जो इन किसानों की भूमि का प्रतिकर देने के संबंध में है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार इन किसानों की अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का बाजार भाव से एक मुस्त नकद प्रतिकर का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री गोमती यादव सभासद, निवासी बड़ी जुगौली, गोमती नगर लखनऊ एवम् ग्राम भीखमपुर कसैला व उजरियांव परगना तहसील व जिला लखनऊ के किसानों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 28-2-90 का पत्र जो इन किसानों की भूमि का प्रतिकर देने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ।

प्रतिकर के भुगतान के संबंध में जिलाधिकारी लखनऊ को मध्यस्थ नामित किया गया है, जिनके निर्णयोपरांत ही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

[मंगलवार, दिनांक 22 जनवरी, 1991 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद हरदोई के ग्राम सभा गौरी दायमपुर, तहसील सण्डीला में हरिजनों के पट्टों को अनियमित रूप से निरस्त किये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*1—श्री मिठाई लाल शास्त्री

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गेवादा नरहति, ग्राम सभा गौरी-दायमपुर, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र श्री यदुनाथ सिंह, स0 वि0 स0 के उपरिपत्र के साथ जिसमें उनके पट्टों की संस्तुति किये जाने के उपरान्त पट्टों को नियमित रूप से निरस्त करने तथा उन पर जुर्माने की धनराशि वसूले जाने की शिकायत की गई है, दिनांक 13-6-90 को उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र की जांच किसके द्वारा करायी गयी ? जांच के क्या परिणाम निकले और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)—

जी हां ।

जांच तहसीलदार, सण्डीला से कराई गई ।

भूमि आंटन के पट्टों हेतु 12 व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया गया था जिनमें से 4 पात्र व्यक्तियों सर्वश्री रामेश्वर, नन्हें, सोने लाल पुत्रगण चेतराम व राम नरायन पुत्र पेम्मा को भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 12-4-90 व परगनाधिकारी.

सण्डीला के अनुमोदन दिनांक 15-10-90 के उपरान्त भूमि आवंटित कर दी गई है। 3 व्यक्तियों के पास तथा 2 के पिताओं के पास अधिक भूमि होने, 2 व्यक्ति नाबालिग होने तथा 1 व्यक्ति के खेतिहर मजदूर न होने के कारण उन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई है।

प्रार्थीगण में से 2 व्यक्तियों के पिता एवं एक स्वयं गांव सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जे में पाये गये जिनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

*2—श्री रविकान्त गर्ग—

[दसवें बुध में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बिक्रीकर समाप्त करने की संस्तुति करने की मांग

*3—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर समाप्त किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार बिक्रीकर समाप्त किये जाने की संस्तुति केन्द्र सरकार से करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं बिक्रीकर राज्य सरकार के राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। संसाधनों की अत्यधिक कमी को दृष्टिगत रखते हुए बिक्रीकर समाप्त किये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*4—श्री पंचानन राय—

[चौथे सोम में ता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बिक्रीकर के ढांचे में परिवर्तन कर राजस्व प्राप्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने की मांग

*5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार बिक्रीकर के वर्तमान ढांचे में कोई परिवर्तन कर राजस्व प्राप्ति हेतु किसी वैकल्पिक व्यवस्था को लागू किये जाने के बारे में विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं। बिक्रीकर ढांचे में परिवर्तन कर राजस्व प्राप्ति हेतु किसी वैकल्पिक व्यवस्था को लागू किये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में शासन के विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन

*6—श्री राजकिशोर सिंह, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा श्री डाल्लू लाल सरोज—

विधान सभा के तृतीय सत्र 90 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (नस्थी "क") के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की

कृपा करेंगे कि सचिवालय सेवा के जिन अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेशों का परिपालन सुनिश्चित नहीं हो सका था क्या उनका स्थानान्तरण अब सुनिश्चित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सचिवालय सेवा के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो सका था उनमें से अधिकांश का अनुपालन सुनिश्चित करा लिया गया है । कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश कार्यहित में निरस्त कर दिये गये हैं । कुछेक अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश अभी क्रियान्वित नहीं हो सके हैं जिन्हें क्रियान्वित कराये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ से बदायूं, बरेली, पीलीभीत तथा शाहजहां-पुर जनपदों को सम्बद्ध किये जाने की मांग

*7–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर जनपदों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खन्डपीठ लखनऊ से सम्बद्ध किये जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुति राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । केन्द्रीय सरकार द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश का अभिमत पुनः मांगा गया है जो अभी तक प्रतीक्षित है ।

अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद ही लागू करने की कार्यवाही करने का प्रश्न उठेगा ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निगम में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं शर्तें

*8–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय निगम हैं जिसमें शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है ? इन निगमों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ? क्या वर्तमान में सरकार अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने जा रही है ? यदि हां, तो नियुक्ति की प्रक्रिया तथा शर्तें क्या होंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

(1) उत्तर प्रदेश में राजकीय निगमों की संख्या 63 है किन्तु इनमें शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती हैं ।

(2) इन निगमों के निदेशक मण्डल/प्रबन्ध निदेशकों को निगमों के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार है ।

(3) जी नहीं । यह नियुक्तियां न्याय विभाग द्वारा नहीं की जाती हैं, अतः प्रश्न उठता ही नहीं है ।

पेट्रोल की सरकारी खपत कम करने के लिए शासन की नयी नीति

*9—श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री मयंकर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पेट्रोल की सरकारी खपत को कम करने की कोई नई नीति शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी वाहन धारकों द्वारा सरकारी वाहनों का तथा उसमें लगने वाला पेट्रोल गैर सरकारी कार्यों में व्यय किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार, सरकारी वाहनों के उपयोग के लिए अधिकृत अधिकारियों की श्रेणी को सीमित करने तथा वाहनों को सरकारी कार्य के लिए ही सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

पेट्रोल की सरकारी खपत कम करने के लिए शासनादेश दि0 24 अक्टूबर, 1990 द्वारा निम्नानिर्णय लिए गये हैं:—

(1) अनिवार्य एवं परिचालन सेवाओं के अतिरिक्त किसी कार्य के लिए राजकीय वाहनों का रविवार का उपयोग नहीं किया जायेगा तथा वर्ष 1989-90 की अपेक्षा वर्ष 1990-91 में सरकारी वाहनों में पेट्रोल व डीजल की खपत में 20 प्रतिशत कमी की जायेगी ।

(2) राज्य के मंत्री गणों के पेट्रोल व डीजल के कोटे में 20 प्रतिशत की कमी की जायेगी ।

अधिकारियों द्वारा अधिकतम 200 कि0 मी0 प्रतिमाह तक सरकारी वाहन का निजी उपयोग अनुमन्य है जिसके लिए अधिकारियों को 150 रु0 प्रतिमाह भुगतान करना होता है ।

सरकारी वाहनों का उपयोग केवल संयुक्त सचिव और उससे उच्च स्तर के अधिकारियों तक ही सीमित रखा गया है ।

बनपद बाराबंकी चीनी मिल तथा बुढ़वल चीनी मिल पर किसानों के बकाये का भुगतान

*10—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में बाराबंकी चीनी मिल तथा बुढ़वल चीनी मिल पर किसानों का कितना-कितना रुपया बाकी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस बकाये का भुगतान किसानों को कब तक कर दिया जायेगा ?

सहकारिता एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री राम शरणदास)—

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की इकाई बुढ़वल तथा बाराबंकी पर पेराई सत्र 1989-90 का गन्ना मूल्य अवशेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला लखीमपुर खीरी में श्री ईश्वर शुगर इण्डस्ट्रीज पर कृषकों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान करने की मांग

*11—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री ईश्वर शुगर इण्डस्ट्रीज ग्राम व पोस्ट मझगाई, जिला लखीमपुर खीरी पर क्षेत्रीय गन्ना कृषकों का लाखों रुपये गन्ना मूल्य का बकाया है ? यदि हां, तो कृषकों के बकाये धन का भुगतान कब तक हो जायेगा ? उक्त के लिए दोषी फर्म के विरुद्ध कौन सी कानूनी कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी नहीं

मैसर्स ईश्वर शुगर इण्डस्ट्रीज ग्राम व पोस्ट मझगई जिला-लखीमपुर खीरी की इकाई पर गन्ना मूल्य की कोई धनराशि अवशेष नहीं है ।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् आवंटित भवन स्वामियों को व्यावसायिक उपयोग हेतु छूट देने की मांग

*12—श्री भोपाल सिंह—

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् एवं विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा आवासीय सुविधा हेतु आवंटित भवनों/भूखण्डों में लाखों व्यक्तियों ने स्कूल/अस्पताल/बैंक/दूकानें आदि खोल रखी हैं और वे उनका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मकान निर्माण में लगी भारी लागत को दृष्टि में रखते हुए भवन स्वामियों को अपने भवन/भूखण्डों के व्यावसायिक उपयोग की छूट दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रदेश के विकासोन्मुख नगरों के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से उनके लिये जो महायोजनायें तैयार की जाती हैं उनमें भूमि का उपयोग निर्दिष्ट होता है तथा जोनल प्लान में स्कूलों, बैंकों, दूकानों इत्यादि के लिये भी स्थल निर्दिष्ट होते हैं । महायोजना तथा जोनल प्लान में निर्दिष्ट भू-उपयोगों के विरुद्ध उपयोग मान्य नहीं है । जिन व्यक्तियों द्वारा आवासिक भवनों का प्रयोग व्यावसायिक रूप में किया जा रहा है, उन्हें सामान्य रूप से छूट देना जनहित में नहीं है । विशिष्ट मामलों में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13 तथा उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम के निदेश-10 में व्यवस्था है ।

*13—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सचिवालय में समूह (घ) कर्मचारियों का समूह (ग) में नियुक्ति/पदोन्नति की कार्यवाही

*14–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं0-37/1/1969 कार्मिक-2, दिनांक 31-8-1982 द्वारा समूह (घ) से समूह (ग) में निम्नतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में आरक्षण का कोटा 15 प्रतिशत (पन्द्रह प्रतिशत) है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सचिवालय में सेवारत समूह (घ) के कर्मचारियों का समूह (ग) में नियुक्ति हेतु वर्ष 1986 से कोई चयन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सचिवालय में सेवारत समूह (घ) के कर्मचारियों को समूह (ग) में नियुक्ति हेतु चयन की कार्यवाही कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां, समूह "ग" के प्रश्नगत टंकक के पदों पर भर्ती न करने का नीतिगत निर्णय लिये जाने के कारण वर्ष 1986 से समूह "घ" के कर्मचारियों का पदोन्नति हेतु कोई चयन नहीं किया गया है । कार्मिक विभाग के शासनादेश के अनुसार नियमों में दिनांक 5-11-90 से संशोधन करके समूह "घ" के कर्मचारियों को अवर वर्ग सहायक के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्र बनाया गया है । रिक्तियां उपलब्ध होने पर यथासमय चयन की कार्यवाही की जायेगी ।

इलाहाबाद नगर के सिविल लाइन राजापुर, अशोकनगर आदि की नजूल भूमि के पट्टों की विनियमितीकरण प्रक्रिया

*15–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर के सिविल लाइन्स राजापुर, अशोक नगर, जार्जटाउन, टैगोरटाउन की नजूल भूमि के पट्टों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है ? यदि हां, तो अभी तक कितने पट्टों और कितने क्षेत्रफल भूमि का विनियमितीकरण किया गया है ? कितने पट्टे शेष हैं और उनका विनियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? क्या शहरी हदबन्दी अधिनियम के हिसाब से घोषित अतिरिक्त भूमि का पट्टा भूमिहीन निर्बल एवं हरिजन वर्ग के सागरपेशावासियों को भी दिया जायेगा ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

एक पट्टे और 139 वर्गगज नजूल भूमि का ।

63 मामले विनियमितीकरण के लिये शेष हैं, वर्तमान नीति के अनुसार अवैध कब्जेदारों की सहमति प्राप्त होने पर ।

आवासीय इकाईयों के निर्माणार्थ विशिष्ट प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*16–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

[2रे सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी महानगर में पत्रकार कालोनी हेतु भूमि की व्यवस्था

*17–श्री दया शंकर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाराणसी महानगर में कोई पत्रकार कालोनी बनाये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कालोनी का निर्माण कब तक किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वाराणसी विकास प्राधिकरण के स्तर पर विचाराधीन है । कालोनी के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि की व्यवस्था की जा रही है ।

उ0 प्र0 की चीनी मिलों द्वारा बढ़े गन्ने की कीमत का भुगतान काश्तकारों को ब्याज सहित करने की मांग

*18–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने की बढ़ी कीमत 4 रुपया प्रति कुन्तल का भुगतान काश्तकारों को नहीं किया गया ? यदि हां, तो उसके क्या कारण है ? क्या मंत्री जी काश्तकारों को बकाया रुपये पर खरीद की तिथि से भुगतान की तिथि तक का ब्याज सेविंग बैंक की दर से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामशरण दास–

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 1989-90 में गन्ने की बढ़ी कीमत चार रुपया प्रति कुन्टल का भुगतान काश्तकारों को किया गया था ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

लखनऊ, फैजाबाद रोड पर स्थित कैलाश कुंज बाजार में विद्युत व्यवस्था

*19–श्री उदल–

क्या नगर विकास मंत्र्ए बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा फैजाबाद रोड पर 3 करोड़ की लागत से कैलाश कुंज के नाम से बाजार का निर्माण कराया गया है? क्या वहां 400 दुकाने एलाट कर दी गयी हैं और भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने 18 अक्टूबर, 88 को उसका उद्घाटन भी कर दिया ? यदि हां, तो उन 400 दुकानदारों को बिजली की व्यवस्था अब तक विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या इसकी जांच करके वहां तुरन्त बिजली की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा फैजाबाद रोड पर रुपया 1.94 करोड़ की परियोजनान्तर्गत कैलाश कुंज योजना में दुकानों तथा कार्यालय का निर्माण कार्य कराया गया है ।

कुल 379 दुकानें निर्मित की गई हैं । इस काम्पलेक्स का उद्घाटन दिनांक 18 अक्टूबर, 88 को भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा किया गया ।

काम्पलेक्स हेतु वांछित विद्युत भार 33 के0 वी0 सबस्टेशन पर उपलब्ध न होने के कारण उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सबस्टेशन को सजीव नहीं किया गया था । विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 11/04 के0वी0 सबस्टेशन को सजीव कर उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत उपलब्ध करा दी गई है । उक्त भवन में स्थित कार्यालयों को विद्युत कनेक्शन उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दिया जाता है : दुकानों का विद्युत कनेक्शन सीधे राज्य विद्युत परिषद् द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स बनने के बाद दिया जायेगा ।

पर्वतीय क्षेत्रों के कोषाधिकारियों द्वारा सड़क मील भत्ते का भुगतान न किया जाना

*20–श्रीमती सरस्वती तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां रेल से यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां स्थानान्तरण किए जाने पर यात्रा भत्ता में सड़क मील भत्ता शासकीय आदेशों के अनुसार अनुमन्य है, परन्तु 1986 में प्रकाशित संशोधित यात्रा भत्ता नियमावली में उक्त आशय का प्राविधान न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के कोषाधिकारियों द्वारा उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त संशोधित यात्रा भत्ता नियमावली में वांछित संशोधन यथाशीघ्र करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

''विशेष यात्राओं से संबंधित नियमों'' के अन्तर्गत ''स्थानान्तरण पर की गयी यात्राओं'' संबंधी नियमों के बारे में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लेकर, तद्विषयक पूर्व प्राविधानों को संशोधित करते हुए, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 (चतुर्थ संस्करण 1986) के नियम संख्या--42-II-''सड़क यात्रायें'' के साथ पठित शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या--सा-4-1307/दस-88-600/88, दिनांक 23-9-88 के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों के अनुसार ही कोषाधिकारियों द्वारा देयकों का भुगतान किया जाना है ।

उपर्युक्त प्राविधान शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लेने के बाद प्रवृत्त किये गये हैं । उक्त प्राविधानों में संशोधन का प्रस्ताव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

उ0 प्र0 सचिवालय में गैर अनुमोदित प्रवर वर्ग सहायकों को प्रत्यावर्तित न किया जाना

1–श्री रविकान्त गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर वर्ष 1978 में सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों द्वार कार्यभार ग्रहण

करने के पूर्व उक्त पदों पर कार्यरत गैर अनुमोदित अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी? इन गैर अनुमोदित कर्मियों की प्रवर वर्ग सहायकों के पदों पर प्रोन्नति में कौन सा मापदण्ड अपनाया गया था ? क्या यह सत्य है कि अनुवर्ती अवधि में प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त पदों पर कार्यरत गैर अनुमोदित कर्मियों को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है और ये कर्मी अनवरत रूप से आज भी उन पदों पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उक्त गैर अनुमोदित कर्मचारियों की प्रवर वर्ग सहायक के पद पर अनवरत रूप से कार्यरत रहने की सबसे लम्बी अवधि कितने वर्षों की है और ऐसे गैर अनुमोदित कर्मचारियों को प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर किन कारणों से अब तक कार्यरत बनाये रखा गया है ? दिनांक 1-1-90 तक की स्थिति के अनुसार प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर गैर अनुमोदित कर्मचारियों की संख्या उनके मूल पद के अनुसार अलग-अलग कितनी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1978 में सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर कार्यरत गैर-अनुमोदित कर्मियों की कुल संख्या–790 थी । शाखाओं में उन्हें ज्येष्ठता के आधार पर स्थानापन्न प्रोन्नतियां दी गई थी । अनुवर्ती अवधि में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, ऐसे 4 गैर अनुमोदित प्रवर वर्ग सहायकों को प्रत्यावर्तित किया गया था । गैर अनुमोदित कर्मचारियों की प्रवर वर्ग सहायक के पद पर अनवरत रूप से कार्यरत रहने की सबसे लम्बी अवधि लगभग 30 वर्ष की है किन्तु इतनी लम्बी अवधि से कार्यरत सहायकों की संख्या नगण्य है । स्थानापन्न प्रोन्नति अस्थाई/स्थाई रिक्तियां उपलब्ध होते रहने के कारण बनी रहती है । दिनांक 1-1-90 की स्थिति के अनुसार प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर गैर-अनुमोदित कर्मचारियों की संख्या उनके मूल पद के अनुसार निम्नलिखित थी :–

अवर वर्ग सहायक संवर्ग से	453
टंकक संवर्ग से	525
जू0 ग्रे0 क्लर्क संवर्ग से	34
टेले0 आ0/टेली0 आ0/टेलीफोन आ0/फोमैट कैल0 संवर्ग से	17
कुल	1029

जनपद मुरादाबाद की तहसील अमरोहा के तहसीलदार पर शासनादेश की अवहेलना का आरोप

2–श्री हाजी मोहम्मद हयात–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 2-2-90 को एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें तहसीलदार अमरोहा, जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध शासन के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जांच के उपरान्त तहसीलदार अमरोहा पर लगाया गया आरोप सही पाया गया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा तहसीलदार अमरोहा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 30-1-90 प्राप्त हुआ था जिसमें तहसीलदार अमरोहा श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि वे शादी विवाह के लिए चीनी, मिट्टी के तेल के विशेष परमिट जारी करने के विधायकों की संस्तुति के बाद भी जांच कर परमिट जारी कर रहे हैं जो शासनादेश का उल्लंघन है ।

शिकायत की जांच जिलाधिकारी, मुरादाबाद से कराई गई एवं संबंधित तहसीलदार का स्पष्टीकरण भी लिया गया । जांच एवं स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री शर्मा को शासनादेश का ज्ञान नहीं था । तहसीलदार ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है, कि उसने माननीय विधायक जी से बातचीत की थी । तब से शादी विवाह के लिए चीनी आदि के विशेष परमिट जारी करने के लिए जिसमें विधायक की संस्तुति हो, जांच की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है । शासनादेश की जानकारी न होने के कारण संबंधित तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों का निस्तारण

3–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में 1 मई, 1990 तक कुल कितने मामले निस्तारण हेतु लम्बित पड़े हैं ? पांच वर्षों से अधिक अवधि से लम्बित मामलों की संख्या कितनी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से सूचना एकत्र की जा रही है

जिला गोण्डा में कार्यरत श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव सहकारी निरीक्षक के विरुद्ध कथित आरोपों की जांच तथा कार्यवाही

श्री समीउल्ला–

क्या सहकारिता मंत्री यह बतायेंगे कि गोण्डा जिले में कार्यरत श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 इसी जनपद की भगवतीगंज सहकारी क्रय-विक्रय समिति बलरामपुर के सचिव पद पर कब से कब तक कार्यरत रहे हैं ? क्या श्री श्रीवास्तव ने अपने पद का समस्त चार्ज दे दिया है और वे अब भी उसी संस्था के भवन में रह रहे हैं ?

श्री राम शरण दास–

जी हां,

श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव भगवतीगंज सहकारी क्रय-विक्रय समिति बलरामपुर, जिला गोण्डा पर दिनांक 26-10-78 से 31-7-84 तक सचिव पद पर कार्यरत रहे हैं । श्री श्रीवास्तव ने अपने पद का सम्पूर्ण चार्ज दे दिया है श्री श्रीवास्तव संस्था के भवन में नहीं रह रहे हैं । उनके परिवार के रहने हेतु संस्था का भवन 1-6-85 से 31-12-90 तक की अवधि के लिये समिति द्वारा किराये पर दिया गया ।

5—श्री समीउल्ला—

क्या यह सही है कि बैंक की ऋण सीमा का लगभग 3 लाख रुपया तथा समिति को शासन से प्राप्त कई लाख रुपये अंशदान तथा निजी पूंजी का गबन/अपहरण श्री श्रीवास्तव के कार्यकाल में हो गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? ऐसे दोषी/उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कब तक कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य नियंत्रक, मेरठ पर आरोपित बिक्रीकर की ब्याज सहित वापसी की मांग

6—श्री मूल चन्द्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अ0 ता0 प्रश्न सं0—114 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां के पत्र सं0—171/89, जो आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय में 19-10-89 को प्राप्त हुआ था पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद, श्री खान अब्दुल वदूद खां के पत्र संख्या—171/89 में उल्लिखित बिन्दुओं पर आयुक्त बिक्रीकर द्वारा जांच कराई गई । उक्त प्रकरण में किसी अधिकारी का दोष नहीं बनता । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

जनपद सोनभद्र के शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्रकारों आदि को लाइसेंस दिया जाना

7—श्री विजय सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शक्तिनगर विशेष विकास प्राधिकरण, जनपद सोनभद्र की उ0 प्र0 (रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आरेशन) एक्ट, 1958 द्वारा शक्तिनगर विशेष विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मानचित्रकार, सर्वेयर, अभियन्ता को भवन मानचित्र करने हेतु लाइसेंस दक्षता के आधार पर दिया गया है ? उनमें से कितने लाइसेंस धारी ऐसे हैं जो सरकारी, अर्ध सरकारी तथा अन्य संस्थाओं में कार्यरत हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खा—

शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा सात मानचित्रकारों को लाइसेंस दिया गया है । सर्वेयर तथा अभियन्ताओं को कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है ।

इनमें से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है । एक लाइसेन्सधारी सीमेन्ट निगम डाला फैक्ट्री में मानचित्रकार है तथा दो लाइसेन्सधारी व्यक्तिगत संस्थाओं में कार्यरत हैं ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम हुसैनपुर सकरवारी के ग्राम प्रधान के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

8—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री नाटा, ग्राम प्रधान ग्राम हुसैनपुर सकरवारी, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के आवेदन-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-4-87 जिसमें ग्राम सभा हुसैनपुर सकरवारी की लाखों रुपयों की भूमि गाटा संख्या 506 रकबा डेढ़ बीघा गाटा संख्या 431, रकबा 2 बीघा तथा गाटा संख्या 419 व 341 पर कुछ लोगों द्वारा नाजायज तौर से कब्जा करने का उल्लेख था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे प्रकरण की किसी जिला स्तर के अधिकारी द्वारा जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

प्राप्त सूचना के अनुसार संदर्भित पत्र एवं उससे संलग्न शिकायती पत्र दिनांक 27-4-87 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

तथापि प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि भूमि गाटा सं0 506 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा 1 विस्वांसी, गाटा सं0 431 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा 13 विस्वांसी, गाटा सं0 419 रकबा 2 विस्वा 5 विस्वांसी तथा गाटा सं0 341 रकबा 14 विस्वा 16 विस्वांसी स्थित ग्राम हुसैनपुर सकरवारी परगना व तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद ग्राम सभा सम्पत्ति नहीं है बल्कि संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार की भूमि है । गाटा सं0 506 तथा 431 श्री बुझावन के नाम, गाटा सं0 419 श्री दयाराम आदि के नाम तथा गाटा सं0 341 मु0 छविराजा आदि के नाम अंकित है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी की फर्म नेवल (कलकत्ता) प्रा0 लि0 को जारी प्रमाण पत्र निरस्त करने तथा राजस्व हानि के संबंध में तत्कालीन वि0 प0 सदस्य श्री खान अब्दुल वदूद खां के पत्र पर कार्यवाही

9—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि फर्म नेवल (कलकत्ता) प्रा0 लि0 वाराणसी को जारी बिक्रीकर इलीजिबिल प्रमाण पत्र को निरस्त करने व राजस्व की हानि के बारे में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 170/89 आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय में ता0 19-10-89 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 170/89 दिनांक 19-10-89 को न प्राप्त होकर दिनांक 20-10-89 को आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय में प्राप्त हुआ ।

आयुक्त बिक्रीकर, उ0 प्र0 द्वारा कराई गई जांच के अनुसार फर्म नेवल (कलकत्ता) प्रा0 लि0, वाराणसी को गलत इलीजिबिलटी प्रमाण-पत्र वास्तव में संयुक्त उद्योग निदेशक, वाराणसी द्वारा दिया गया था । अतः सहायक आयुक्त बिक्रीकर के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

फर्म विवेक कैमीकल्स को गलत प्रमाण पत्र जारी करने तथा राजस्व हानि के संबंध में तत्कालीन स0 वि0 प0 श्री खान अब्दुल बदूद खां के पत्र पर कार्यवाही

10–श्री मूलचन्द–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि फर्म विवेक कैमिकल्स को गलत रूप से मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र जारी करने के कारण बिक्रीकर राजस्व की हानि के बारे में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल बदूद खां का पत्र सं0 172/89 आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय में 19-10-89 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 19-10-89 को न प्राप्त होकर दिनांक 20-10-89 को प्राप्त हुआ ।

आयुक्त बिक्रीकर उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गई जांच के अनुसार मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने में कोई त्रुटि नहीं हुई है । सर्वश्री विवेक के कैमिकल्स द्वारा गलत घोषणा-पत्र जारी करने के कारण उक्त फर्म पर वर्ष 1979-80 वर्ष 1980-81, वर्ष 1981-82 तथा वर्ष 1982-83 में धारा 3-बी के अन्तर्गत कार्यवाही कर ली गई है ।

सिटी मान्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड द्वारा आयात माल की जांच

11–श्री मूलचन्द्र–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पांचवें मंगल के अता0 प्रश्न संख्या 113 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्कूल को वर्ष 83-84 से 88-89 तक कितने फार्म–32 कब-कब जारी किये गये और स्कूल ने क्या-क्या माल कितने-कितने रुपयों का मंगाया ? स्कूल के द्वारा की गयी बिक्री पर प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना कर व अर्थ दण्ड लगाया गया और कितना वसूल हुआ ? स्कूल को गलत रूप से फार्म जारी करने के लिए दोषी अधिकारियों के प्रति क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

स्कूल को वर्ष 1983-84 से वर्ष 1988-89 तक 26 फार्म 32 जारी हुए हैं । उक्त में से स्कूल द्वारा 4 फार्म-32 विभाग को वापस कर दिया गया है । शेष 22 फार्म-32 से स्कूल द्वारा निम्नलिखित माल मंगाया गया है :–

1–कागज, स्टेशनरी तथा गिफ्ट सामान	6,02,325-00
2–कम्प्यूटर	8,60,395-40
3–स्कूल बस	20,51,650-000
4–खिलौना	6,160-00
5–क्ले झांकी हेतु	2,200-00
6–स्कूल फर्नीचर	25,432-00
7–टाई, वेल्ट तथा वनियान	14,324-40
8–लेजर प्रिन्टर	87,000-00

वर्ष 1977-78 में स्कूल द्वारा की गई बिक्री कर रु0 3,520-00 का कर लगाया गया है । स्कूल द्वारा उक्त का भुगतान कर दिया गया है । अर्थ दण्ड के रूप में रु0 3,000.00 आरोपित किया गया है ।

स्कूल को विधिनुसार ही फार्म जारी किया गया है । अत: अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

बिक्रीकर कार्यालय जनपद देवरिया में कतिपय भट्ठा व्यापारियों द्वारा फर्जी चालानों से लाभ लेने के कथित आरोपों की जांच

12–श्री मूलचन्द्र–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के सातवें मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0-40 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0–548 पर शेष कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

देवरिया जनपद में 12 ईंट-भट्ठों तथा 3 अन्य करदाताओं के रुपये 1,70,402-68 की धनराशि से संबंधित 83 चालान फर्जी पाये गये थे । उक्त करदाताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है । रु0 83,281-50 की वसूली भी कर ली गई है । शेष धनराशि की वसूली की कार्यवाही चल रही है । उक्त करदाताओं में से 11 करदाताओं के मामले में रुपये 33,984.00 अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है । शेष करदाताओं में से 2 करदाताओं के मामलों में अर्थदण्ड की नोटिस जारी कर कर दी गई है । शेष 2 करदाताओं के मामलों में भी अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है । उक्त 15 करदाताओं से ब्याज की भी वसूली की जा रही है । उक्त के अतिरिक्त श्री सगीर अहमद (लिपिक) को पदच्युत कर दिया गया है । 6 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं उक्त में से 2 अधिकारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त हो गये तथा अन्य 3 अधिकारियों के स्पष्टीकरण अभी प्राप्त होने हैं । एक अधिकारी सेवा निवृत्त हो गये किन्तु उनकी अनुतोषिक धनराशि रोक ली गई है ।

13–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ में फर्म लक्ष्मी ट्रेडिंग क0, बिरहाना से अर्थदण्ड की वसूली करने की मांग

14–श्री मूल चन्द्र–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म लक्ष्मी ट्रेडिंग क0 बिरहाना, लखनऊ की ओर वर्ष 81-82 में 1,43,256.46 रुपया की मांग निकाली गयी थी ? यदि हां, तो तो इस बकाया पर कितना अर्थ दण्ड कब लगाया गया ? फर्म से कितना कर एवं अर्थ दण्ड वसूला गया ? ता0 30-9-89 तक उसे न वसूले जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

नियमानुसार अर्थदण्ड देय नहीं था ।

वसूली नहीं हो सकी ।

वसूली हेतु बकायादार बुद्धराम अग्रवाल पुत्र गोविन्दराम बिरहाना, लखनऊ की चल सम्पत्ति की कुर्की की गयी किन्तु कुर्क सम्पत्ति पर बकायादार के पुत्रों का स्वामित्व होने के कारण वसूली नहीं की जा सकी । बकायादार का ग्राम-दुन्दपुर (उन्नाव) में रहना पाया गया है । वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी उन्नाव को भेज दिया गया है ।

श्री आर0 बी0 मेहरोत्रा भू0 पू0 सदस्य बिक्रीकर अधिकरण कानपुर को रिअम्बर्समेन्ट की पूर्ति हेतु शासनादेश के अन्तर्गत भुगतान

15–श्री मूल चन्द–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 आर0 मेहरोत्रा भूतपूर्व सदस्य बिक्रीकर अधिकरण कानपुर को मेडिकल रिअम्बर्समेन्ट रु0 705.85 की पूर्ति हेतु वित्त बिक्रीकर अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन से शासनादेश संख्या बि0 क0-1-4212/दस/140/84 दिनांक 6-8-85 को जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश के अन्तर्गत धन का भुगतान संबंधित अधिकारी को अध्यक्ष बिक्रीकर अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त प्रकरण में बरती गयी लापरवाही के संबंध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त धनराशि का भुगतान संबंधित अधिकारी को ब्याज सहित कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

रु0 705.85 पैसे का भुगतान किये जाने हेतु बैंक-ड्राफ्ट कानपुर पीठ, बिक्रीकर अधिकरण को दि0 26-7-90 को भेज दिया गया था और उसका भुगतान श्री मेहरोत्रा को कराया जा चुका है । श्री मेहरोत्रा को भुगतान करने के निदेश बिक्रीकर अधिकरण कानपुर, पीठ-2 को दि0 8-7-86 को भेज दिये गये थे । उक्त पत्र कानपुर, पीठ-2 में उपलब्ध नहीं हैं, जो डाक में कहीं खो गया प्रतीत होता है । चूंकि उक्त पत्र अधिकरण की कानपुर, पीठ-2 में प्राप्त नहीं हुआ । अतएव किसी अधिकारी/कर्मचारी को दंडित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

इस प्रकार की धनराशि का भुगतान देर से होने पर ब्याज दिये जाने का प्राविधान नहीं है । अत: ब्याज देने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी विकास संघ लि0, बाराबंकी पर सचिव की तैनाती न होने के कारण

16–श्री शिवकरन सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी विकास संघ लि0, बाराबंकी पर सचिव की तैनाती न होने से संघ की दूकानों का संचालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितने रुपयों की हानि संघ को हो चुकी है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

सचिव तैनात हैं ।

हानि के आकलन के लिए जांच की जा रही है ।

संघ के अध्यक्ष सचिव संचालक मण्डल जिम्मेदार हैं ।

जांच के परिणाम के अनुसार निर्णय लिया जायगा ।

जांच परिणाम प्राप्त होने के उपरांत शीघ्र यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनपद गाजियाबाद में स्थित फर्म प्रीमियर इन्टरनेशनल इन्डिया पर बकाया कर

17–श्री मूलचन्द–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के चौथे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 130 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में मुख्य मंत्री को, सदस्य, विधान परिसद, श्री खान अब्दुल बदूद खां का पत्र सं0 1436/90 ता0 24-4-90 को मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही संबंधित अधिकारियों अर्थात श्री एम0 के0 अग्रवाल, श्री एस0 आर0 मिश्रा तथा श्री आर0 एन0 शर्मा को दन्डित करने का निर्णय लिया जा चुका था । उक्त अधिकारियों को दन्डित भी किया जा चुका है ।

बाराबंकी के बिक्रीकर अधिकारी द्वारा लिपिक के बकाये वेतन का भुगतान

18–श्री मूल चन्द–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बाराबंकी के बिक्रीकर अधिकारी ने एक लिपिक का वेतन माह दिसम्बर, 88 व जनवरी, 89 का निकाला और लिपिक को पूरा पैसा नहीं दिया तथा अधिकारी ने 90 दिन से ऊपर बकाया वेतन को अपने पास रखा ? क्या इस संबंध में सदस्य, विधान परिषद, श्री खान अब्दुल बदूद खां का पत्र सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 30-1-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? दोषी अधिकारी को कब दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो उसे कब तक दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । रोकी गई धनराशि राजकीय शेफ में रखी गई ।

जी हां ।

जांच करायी गयी, जिससे यह ज्ञात हुआ कि संबंधित लिपिक ने अवकाश की प्रकृति का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नही किया था । कर्मचारी द्वारा वांछित अभिलेख/विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया गया तथा दिनांक 10-5-89 को कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात दिनांक 16-5-89 को वेतन का भुगतान कर दिया गया । कर्मचारी की असामान्य स्थिति और प्रार्थना पत्र को देखते हुए 90 दिन के तुरन्त बाद आहरित वेतन को कोषागार में नहीं जमा किया गया, क्योंकि उस स्थिति में कर्मचारी का अवशेष वेतन पुनः आहरित करना पड़ता । अतः रोकी गई धनराशि राजकीय शेफ में तथा कैश बुक में रही है । इस मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई है । अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद आजमगढ़, आर्थिक अपराध संगठन द्वारा बरेथले की फर्मों को फर्जी पाने के संबंध में कार्यवाही

19–श्री मूल चन्द–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि आर्थिक अपराध संगठन ने आजमगढ़ की 33 बरेथले की फर्मों को फर्जी पाया है और इस संबंध में सदस्य, विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0-1944/90, मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 8-5-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । परन्तु स्पस्ट करना है कि यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय एवं संस्थागत वित्त विभाग में उक्त पत्र 1944/90 दिनांक 8-5-90 प्राप्त हुआ इंगित है । विभाग में प्रयास के बावजूद भी उपरोक्त पत्र को तलाशने में सफलता नहीं मिली। माननीय श्री खान अब्दुल वदूद खां से अनुरोध किया गया है कि उक्त पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दें ।

माननीय खान अब्दुल वदूद खां के पत्र की प्राप्ति होने के पश्चात् कार्यवाही संभव होगी ।

आर्थिक अपराध संगठन द्वारा बाराबंकी की फर्मों को फर्जी पाये जाने के संबंध में कार्यवाही

20–श्री मूल चन्द–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि आर्थिक अपराध संगठन ने बाराबंकी की दो फर्मों को फर्जी पाया है और इस सम्बन्ध में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या-1944/90 मुख्य मंत्री को ता0 8-5-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । परन्तु स्पष्ट करना है कि यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय एवं संस्थागत वित्त विभाग में उक्त पत्र 1944/90 दिनांक 8-5-90 प्राप्त हुआ इंगित

है । विभाग में प्रयास के बावजूद भी उपरोक्त पत्र को तलाशने में सफलता नहीं मिली । माननीय श्री खान अब्दुल वदूद खां से अनुरोध किया गया है कि उक्त पत्र की प्रति उपलब्ध करा दें ।

माननीय श्री खान अब्दुल वदूद खां के पत्र की प्राप्ति होने के पश्चात कार्यवाही संभव होगी ।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम मारवाड़ी स्टोर्स के मामले में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये निर्णय

21—श्री मूल चन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के पहले मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-21 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में विधायक का पत्र सं0-4089 सचिव, संस्थागत वित्त को दिनांक 20-12-86 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

व्यापारी के ऊपर लगाये गये अतिरिक्त कर रु0 525.00 को उसके द्वारा जमा कर दिये जाने के बाद प्रतिप्रेषित वाद पारित होने के पश्चात् दिनांक 25-1-84 को रिफण्ड दे दिये जाने के कारण ब्याज ड्यू नहीं हुआ था । 1-12-83 का निर्णय प्राप्त होने में बिक्रीकर अधिकरण के स्तर पर तो विलम्ब हुआ है परन्तु मा0 उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण समय अवधि के भीतर दायर करने पर विलम्ब से निर्णय प्राप्त होने का कोई महत्व नहीं रहता ।

कानपुर के मर्चेन्ट हाल में आयोजित जनवाणी कार्यक्रम के संबंध में विधायक श्री यदुनाथ सिंह के पत्र पर कार्यवाही

22—श्री मूल चन्द—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि जुलाई, 1986 में कानपुर के मर्चेन्ट हाल में आयोजित जनवाणी कार्यक्रम में माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने भाग लिया था और इस संबंध में विधायक श्री यदुनाथ सिंह का पत्र संख्या-1269/वित्त राज्य मंत्री को ता0 5-8-86 को एवं पत्र संख्या-785 मुख्य मंत्री को ता0 11-7-88 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री महेश्वर पाण्डेय स0 वि0 प0 का ईंट भट्टों तथा लाइसेन्स से सम्बन्धित पत्र वित्त सचिव के कार्यालय में प्राप्त न होना

23—श्री भगवान दीन कुशवाहा—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेश्वर पाण्डेय एम0 एल0 सी0 का कोई पत्र दिनांक 3 मार्च, 1990, ईंट के भट्टे के सेल टैक्स एवं लाइसेन्स विष-

यक, जो सचिव वित्त विभाग उ0 प्र0 शासन को संबोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं से संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री महेश्वर पाण्डेय, सदस्य विधान परिषद् का पत्र दिनांक 3-3-90 वित्त सचिव के कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

24–श्री दौलत राम–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

वाराणसी कलेक्ट्रेट के श्री प्यारे लाल लिपिक का कथित प्रत्यावेदन राजस्व परिषद् द्वारा निस्तारित किया जाना

25–श्री खुरशीद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामले अर्द्ध न्यायिक होते हैं ? यदि हां, तो आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी कलेक्ट्रेट के श्री प्यारे लाल लिपिक को वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी मामले में अपने ही न्यायिक सम आदेश दिनांक 16-8-89 को पुनर्विचार करके दिनांक 8-1-90 को किन परिस्थितियों में निरस्त कर दिया ? उपरोक्त आदेश के विरुद्ध श्री प्यारे लाल द्वारा सचिव राजस्व परिषद् के समक्ष दिनांक 16-1-90 को दिए गये प्रत्यावेदन पर अभी तक निर्णय न लेने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

कथित प्रत्यावेदन राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा निस्तारित कर दिया गया है ।

जौनपुर शहर में मेसर्स अजय कोल कम्पनी पर बिक्रीकर का लाखों रुपये बकाया

26–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में जौनपुर शहर में मेसर्स अजय कोल कम्पनी मोहल्ला खासनपुर (जौनपुर) पर बिक्रीकर का रुपया 19.62 लाख वसूली हेतु अवशेष है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि कब से बकाया है तथा उसकी वसूली हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उक्त धनराशि समय से जमा न करने के लिए उक्त कोल कम्पनी के ऊपर कोई विलम्ब शुल्क/अधिभार या वार्षिक ब्याज भी आरोपित कर वसूला जायेगा ? यदि हां, तो किस दर पर ?

श्री मुलायप सिंह यादव—

जी हां । इस फर्म पर बिक्रीकर का रु0 19,56,160/-बकाया है

उक्त बकाया वर्ष 81-82, 83-84, 84-85, 85-86 तथा 86-87 से संबंधित है

वसूली हेतु प्रमाण पत्र जिलाधिकारी जौनपुर को भेजे गये हैं ।

उक्त धनराशि पर वार्षिक ब्याज वसूला जायेगा । विलम्ब शुल्क/अधिभार देय नहीं है ।

बकाया पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा ।

फर्म मोतीलाल गुप्ता, बांदा में राजस्व की हानि के संबंध में स0 वि0 प0 के पत्र पर कार्यवाही

27–श्री मूल चन्द–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म मोतीलाल गुप्ता बांदा में द्वितीय अपील स्तर पर विभाग द्वारा क्रास अपील की सुनवाई एक साथ न होने के कारण राजस्व की हानि के संबंध में सदस्य, विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र स0 915/90 मुख्य मंत्री के कार्यालय में ता0 21-3-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त पत्र में उल्लिखित विन्दुओं की आयुक्त विक्रीकर, उ0 प्र0 द्वारा जांच कराये जाने पर राजस्व की कोई हानि प्रकाश में नहीं आई है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है ।

ग्राम सभा डुमरी तप्पा-पटना, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया में कतिपय आराजी नं0 पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने की मांग

28–श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा डुमरी, तप्पा-पटना, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया के किन-किन आराजी नम्बर की चकबन्दी के उपरान्त खलिहान के तौर पर प्रयोग हेतु छोड़ा गया था तथा उस पर अब किन-किन लोगों का अनधिकृत कब्जा है ? सरकार द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

ग्राम सभा डुमरी, तप्पा-पटना, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया के अन्तर्गत दो राजस्व ग्राम डुमरी तथा राधोपुर सम्मिलित हैं । ग्राम-डुमरी में चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत खलिहान हेतु अराजियात नं0-181/-17 डि0, 213/-18 डि0, 337क/-14 डि0, 341क/1-52 एकड़ तथा 610/-31 डि0 कुल पांच गाटा 2—32 एकड़ भूमि सुरक्षित की गई थी । इनमें से आराजी नं0-181/-17 डि0 तथा आराजी नं0-337क/-14 डि0 पर क्रमशः मोहम्मद शफीक, पुत्र हबीबुल्लाह तथा इन्नर व रामजीत पुत्रगण झगरू निवासी ग्राम डुमरी का अवैध कब्जा है जिनके विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के लिए जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी0 के अंतर्गत वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

जहां तक ग्राम राधोपुर का प्रश्न है, इसमें चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत खतौनी हेतु आराजियात नम्बरान–56/-10डि0, 240क/-53डि0, 249/43डि0, 294/-38डि0, 304/-18डि0 तथा 350/-10डि0 कुल छः गाटा/1-72 एकड़ भूमि सुरक्षित की गई थी, जिन पर कोई अनाधिकृत अतिक्रमण नहीं किया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर बिक्रीकर कार्यालय में फर्जी फर्में चलने के संबंध में स0 वि0 प0 के पत्र पर कार्यवाही

29–श्री मूल चन्द–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर बिक्रीकर कार्यालय में 100 से अधिक फर्जी फर्में चल रही हैं और जिनमें 70 फर्में ऐसी हैं जिन पर 50 करोड़ रुपया से ऊपर बकाया है ? क्या इस संबंध में सदस्य, विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या–181 आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय में ता0 4-11-89 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कानपुर बिक्रीकर कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 29 फर्में फर्जी प्रतीत होती हैं जिन पर 297.53 लाख रुपया बिक्रीकर का बकाया है।

जी हां

आयुक्त बिक्रीकर द्वारा मामले में अस्तग्रस्त अधिकारियों के विरुद्ध जांच गठित कर दी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मोहन मीकिन लिमिटेड पर बकाया बिक्रीकर वसूलने हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

30–श्री मूल चन्द–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के तीसरे मंगल के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में सदस्य, विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय में ता0 28-8-89 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

श्री खान अब्दुल वदूद खां के पत्र दिनांक 28-8-89 के बिन्दुओं पर सूचना निम्नवत्

1–फर्म मोहन मीकिन्स लिमिटेड के विरुद्ध वर्ष 70-71 से 87-88 तक अद्यावधिक बकाया निम्न है :–

83-84	(के0)	1,06,631.45
84-85	(प्रा0)	1,95,767.39
84-85	(के0)	4,81,300.94
85-86	(के0)	2,78,600.72

मूल प्रश्न के उत्तर में वर्ष 84-85 व 85-86 की बकाया के न दर्शाने का कारण उक्त वर्षों की कर निर्धारण कार्यवाही पूर्ण न होना था ।

2—उक्त बकाया कर विवादित होने के कारण कोई स्वीकृत कर नहीं है ।

3—व्यापारी पर कोई अर्थदण्ड लगाया ही नहीं गया ।

4—उक्त सभी वर्षों की बकाया बिक्रीकर अधिकरण द्वारा स्थगित है । स्थगन समाप्त करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया ।

5—वर्ष 82-83, 83-84, 85-86 की अपीलों की शीघ्र सुनवाई के लिए क्रमशः 12-2-88, 13-3-89, 17-3-89 को अनुरोध किया गया । सभी अपीलों के निर्णय में निर्धारित कर में कमी की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुक्त बिक्रीकर के परिपत्र के अनुसार वृत्तिकर की बकाया धनराशि के संबंध में स0 वि0 प0 के पत्र पर कार्यवाही

31—श्री मूल चन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि आयुक्त बिक्रीकर के परिपत्र दिनांक 14-12-83 के अनुसार वृत्तिकर की बकाया धनराशि एक करोड़ रुपया था और इस संबंध में सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 241 मुख्य मंत्री के कार्यालय में ता0 30-1-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । प्राप्त सूचना अनुसार दिनांक 1-4-83 को वृत्तिकर की कुल बकाया 3.01 करोड़ रु0 की थी ।

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गई । वृत्तिकर की धनराशि के बकाया रहने के प्रमुख कारण यह है कि विभिन्न विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के वेतन से नियमित कटौती किए जाने के बावजूद संबंधित बिक्रीकर कार्यालय को सूचना नहीं दी गयी । अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप भी दिक्कतें आयी हैं । उल्लेखनीय है कि वृत्तिकर 1-4-71 से समाप्त हो चुकी है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के राजस्व विभाग में की गयी नियुक्तियों का विवरण

32—श्री मुहम्मद सईद भ्रमर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद सिद्धार्थनगर के राजस्व विभाग में की गई नियुक्तियों में से जनपद सिद्धार्थनगर के किन-किन लोगों को किन-किन पदों पर नियुक्त किया गया है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि स्थानीय निवासी होने का कोई लाभ अभ्यर्थियों को देने का नियम है ? यदि हां, तो नव नियुक्तियों में कितने बाहरी जनपद तथा कितने सिद्धार्थनगर जनपद के निवासी हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' पीछे पृष्ठ 98–99 पर

33–श्री राम करन आर्य—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश के सभी जनपदों में स्कूलों के नाम पर गांव समाज की भूमि का फर्जी तौर पर हुए पट्टों को निरस्त किया जाना

34–श्री शिव कुमार बेरिया तथा श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 5524 बी 5/48/81 लखनऊ दि0 जुलाई 8, 1982 गांव सभा की भूमि के संबंध में कोई राजाज्ञा दुर्गेश जोशी, अपर उप भूमि व्यवस्था आयुक्त द्वारा जारी की गई थी, जिसमें पहाड़ी जिलों को छोड़कर समस्त जिलाधिकारियों को आदेश दिए गए थे कि यदि उनके जनपदों में स्कूलों के नाम पर गांव समाज की भूमि के फर्जी तौर पर पट्टे हुए हैं तो उन्हें निरस्त कर संबंधित भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया जावे ? यदि हां, तो इसके अनुपालन में ऐसे किन-किन जनपदों की फर्जी स्कूलों में लगी भूमि को स्कूलों से लेकर कितने भूमिहीनों को आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब सरकार इसमें उक्त राजाज्ञा के अनुपालन में कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खा—

जी हां ।

इस संबंध में विस्तृत सूचना प्रदेश के समस्त जिलों से अपेक्षित है । अभी तक केवल 43 जिलों से सूचना प्राप्त हुई है । शेष जिलों से सूचना प्राप्त करने में समय लगेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर देहात की तहसील बिल्हौर में फर्जी तौर पर आदर्श शिक्षा समिति सतिया-गंज अभिलिहा शिक्षण संस्थान को दी गयी भूमि को भूमिहीनों को दिये जाने की मांग

35–श्री शिव कुमार बेरिया एवं श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि कानपुर देहात जनपद के अन्तर्गत ग्राम अभि-लिहा, तहसील बिल्हौर में गांव समाज की 33 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि फर्जी तौर पर दिनांक 5-4-1967 को आदर्श शिक्षा समिति सातियागंज अभिलिहा शिक्षण संस्थान के नाम आवंटित दिखाई गयी है, जिस भूमि को नियमानुसार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में आवंटित होना चाहिए था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजाज्ञा के अनुसार फर्जी तौर पर आदर्श शिक्षा समिति सातियागंज अभिलिहा शिक्षण संस्थान की भूमि ग्राम समाज में निहित कराकर भूमिहीनों में वितरित करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत 33 बीघा 13 विस्वा 10 विस्वांसी भूमि चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत आदर्श शिक्षा समिति सातिधा गंज अभिलिहा के नाम दर्ज है जिसके निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है । विचारोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली की तहसील महाराजगंज के ग्राम बाजितपुर मजरे देहली के स्व0 श्री हुबलाल के वारिसों के नाम भूमि दर्ज कराने की मांग

36–श्री कलियान सिंह दोहरे–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले मंगल को पूछे गये अतारां0 प्र0 सं0 123 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक श्री हूबलाल के असली वारिसों के नाम भूमि दर्ज कराने के संबंध में चकबन्दी अधिकारी, शिवगढ़, जनपद रायबरेली को कार्यवाही करने के निदेश किस दिनांक को दिये गये और प्रश्नगत की कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव विधायक के पत्र पर तत्कालीन माननीय राजस्व मंत्री जी ने आदेश दिनांक 9-7-90 द्वारा जिलाधिकारी रायबरेली को तत्काल जांच कराने के आदेश दिये थे, जो जिलाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 13-7-90 को प्राप्त हुए, परन्तु इसके पहले ही सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा श्री हुबलाल की मृत्यु के उपरान्त दर्ज वरासत के विरुद्ध दायर आपत्ति सम्बन्धी मुकदमा दिनांक 4-6-90 को चकबन्दी अधिकारी, शिवगढ़ के न्यायालय में निर्णय हेतु प्रेषित किया जा चुका था । मुकदमें की सुनवाई चकबन्दी अधिकारी, शिवगढ़ के न्यायालय में चल रही है

मु0 जगाका पुत्री हुबलाल, देवा हरदेय, निवासिनी बाजितपुर तहसील महाराजगंज जिला रायबरेली की भूमि हड़पने के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

37–श्री कलियान सिंह दोहरे–

विधान सभा 1990 के तीसरे सत्र के प्रथम मगलवार को पूछे गये अतारां0 प्र0 सं0–6 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित पत्रावलियां चकबन्दी अधिकारी, शिवगढ़ को किस दिनांक को भेजी गयी है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि प्रश्नगत मामले में वाद विचाराधीन होने के बावजूद श्री पुत्तन व कल्लू पुत्र श्री प्रभू तथा राजीवन पुत्र श्री सुन्दर, बाबू पुत्र श्री केतार, रामहरख पुत्र श्री मैकू निवासी ग्राम बाजितपुर, तह0 महराजगंज, थाना शिवगढ़, जनपद रायबरेली ने दिनांक 25-6-90 को सम्पूर्ण कृषि भूमि पर जबरियन कब्जा करके उसे जोत बो लिया है? यदि हां, तो किस के आदेशानुसार? क्या मंत्री जी उक्त मामले की जांच करायेंगे और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम करके दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 4-6-90 को चकबंदी अधिकारी शिवगढ़ के न्यायालय में वाद प्रेषित किया गया है ।

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर श्री पुत्तन आदि द्वारा दिनांक 25-6-90 को कब्जा करने और फसल बोने की बात सही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स आई0 ए0 कन्स्ट्रक्शन एवं मैकेनिकल वर्क्स 60/112 हुसेनगंज, लखनऊ को, हैण्डपम्प लगाने के उपरान्त किये गये भुगतान का विवरण

38–श्री श्याम बिहारी सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम गुरुवार को श्रीमती प्रेमवती तिवारी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 124 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि मेसर्स आई0 ए0 कान्स्ट्रक्शन एवं मैकेनिकल वर्क्स 60/112 हुसेनगंज, लखनऊ को कसैला फैजाबाद रोड पर हैण्ड पम्प जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगाये गये थे कितना भुगतान किस दिनांक को किस चेक संख्या द्वारा किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी को कोई भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो प्रश्न का गलत उत्तर देने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त कम्पनी का सम्पूर्ण भुगतान ब्याज सहित कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेसर्स आई0 ए0 कान्स्ट्रक्शन एण्ड मैकेनिकल वर्क्स 60/112 हुसैनगंज, लखनऊ को कसैला, (फैजाबाद रोड) में लगाये गये 22 हैण्ड पम्पों के कार्य का रुपया 15,290/- का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चेक संख्या-393570 दिनांक 15-12-90 से किया जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आदर्श कारागार, लखनऊ में हुये लाठीचार्ज में स्व0 श्री देवी राम की हत्या के विरुद्ध अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

39–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 90 में आदर्श कारागार, लखनऊ में बन्द प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया था? यदि हां, तो उक्त लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था? क्या लाठी चार्ज में देवी राम की मृत्यु हो गयी थी? यदि हां, तो स्व0 देवी राम की हत्या के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार ने मृतक देवीराम के परिवार जनों को कोई मुआवजा दिया? यदि हां तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

कारागार होमगार्डस एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री हरीश कुमार गंगवार)–

दिनांक 15-7-90 को आदर्श कारागार लखनऊ में बन्दियों के दो गुटों में झगड़ा होने पर स्थिति को नियंत्रित करने हेतु हल्का बल प्रयोग किया गया था। घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। बन्दी देवीराम की मृत्यु इस घटना में आई सिर पर चोटों के कारण हुई। मजिस्ट्रेट की जांच आख्या के अभाव में किसी कर्मचारी के दोषी

होने की बात गर्तमान में नहीं कही जा सकती। जेल नियमों में मुआवजा देने का कोई प्राविधान न होने के कारण मृतक दरवीराम के परिवारजनों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

40—श्रीमती सरस्वती तिवारी—

[2रे शुक्र में अता0प्र0सं0 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ विकास प्राधिकरण का अलीगंज के अन्तर्गत आवंटित भवन आवंटी द्वारा किराये पर उठाया जाना

41—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या आवास मंत्री को यह जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का (हायर पर्चेज का) अलीगंज योजना के अन्तर्गत आवंटित भवन सं0 ई0-VII/2 डी0 एस0 को आवंटी ने किराये पर उठा रखा है ? यदि हां, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियमों के विरुद्ध आवास किराये पर उठाने के संबंध में आवंटी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी ग्रहनगत आवास को आवंटी के पक्ष में निरस्त करते हुए किसी और को यह आवास आवंटित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

इसकी जानकारी कराई जा रही है । जानकारी होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर कार्यरत गैर अनुमोदित कर्मियों के प्रोन्नति में अपनाया गया मापदण्ड

42—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के 5वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—20 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो सूचना एकत्र की जा रही थी वह शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह सूचना क्या है? यदि सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो क्यों

श्री मुलायम सिंह यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के 5वें मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—20 को विधान सभा के तृतीय सत्र, 1990 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—8 के रूप में उत्तरित किया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायकों का विनियमितीकरण

43—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के 6ठें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 15 तथा विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के दूसरे मंगल के अतारां0 प्रश्न संख्या 74 के उत्तर के संबंध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, तत्कालीन विधायक का पत्र दिनांक 10-5-1989 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त पत्र में अपेक्षित विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, माननीय विधायक का प्रश्नगत संदर्भित पत्र दिनांकित 10-5-89 प्राप्त हुआ है । कार्यवाही स्वरूप तत्कालीन माननीय विधायक श्री विक्रमादित्य पाण्डेय को उनके पत्र का उत्तर दिनांक 28 अगस्त, 1989 को भेजकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

जी नहीं । वांछित सूचना जनहित में उपलब्ध कराया जाना समीचीन नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति द्वारा भर्ती कर्मियों की संख्या

44–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के 5वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि जो सूचना एकत्र की जा रही थी, वह शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह सूचना क्या है ? यदि सूचना नहीं प्राप्त हुई है, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पांचवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–19 के संबंध में वांछित सूचना प्राप्त हो गई है जो कि निम्नलिखित है:–

प्रवर वर्ग सहायक के पद पर आयोग द्वारा सीधी भर्ती प्रति वर्ष नहीं हो पाती । दिनांक 30 नवम्बर, 1989 तक की स्थिति के अनुसार वर्ष 1978 की परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रवर वर्ग सहायकों में से कार्यरत कर्मियों की संख्या–106 थी । इसी प्रकार वर्ष 1981, 1983, 1985 की परीक्षाओं के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रवर वर्ग सहायकों की दिनांक 30 नवम्बर 1989 तक की स्थिति के अनुसार संख्या क्रमशः 96, 83, 32 थी । विभागीय पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की प्रतिवेदन वर्षवार अलग-अलग संख्या की सूची संलग्न है । दिनांक 30 नवम्बर 1989 तक की स्थिति के अनुसार अनुमोदित अवर वर्ग सहायक, संकलक संवर्ग, जनिटर गेस्टनर संवर्ग, टेलेक्स/टेलीप्रिन्टर/टेलीफोन आपरेटर संवर्ग से प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत कर्मियों की संख्या क्रमशः 527, 427, 26, 14 थी । विभागीय पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की उनके मूल पद के अनुसार अलग-अलग संख्या निम्नलिखित है:–

अवर वर्ग सहायक	346
संदर्भदाता	40
लेखाकार	01

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 100 पर)

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ में सरकारी वकीलों द्वारा दाखिल किये गये शपथ पत्रों का विवरण

45—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1 मार्च, 90 से लेकर जुलाई, 90 की आखिरी तारीख तक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्ड पीठ में सरकार के समस्त सरकारी वकीलों द्वारा सरकार की ओर से कितने प्रति शपथ-पत्र दाखिल किये गये ? उनमें कितने हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि में थे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उच्च न्यायालय इलाहाबाद व लखनऊ बेंच में दिनांक 1-3-90 से दिनांक31-7-90 तक दाखिल शपथ पत्र की स्थिति निम्नवत् है :—

उच्च न्यायालय	कुल शपथ-पत्र	हिन्दी में
इलाहाबाद दीवानी/रिट 1959	दाखिल शपथ पत्र 55 (दि0 15-6-90 से दि0 31-7-90 तक)	30

फौज0—128

उच्च न्यायालय		
लखनऊ बेंच लखनऊ		
दीवानी	1000	120
फौज0	332	100

जिला सीतापुर में सरकार द्वारा कर्जा नीति के अधीन किसानों का कर्जा माफ किया जाना

46—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिला में सरकार की कर्जा नीति के अधीन कुल कितने किसानों का कर्जा माफ किया गया तथा माफ की गयी धनराशि कितनी है ?

श्री राम शरण दास—

ऋण राहत योजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में लाभार्थियों की संख्या 1,51,826 है जिनके ऋण माफ किये गये हैं ।

माफ की गई धनराशि 2826.86 लाख रुपये है ।

जनपद मेरठ में इन्जीनियरिंग कालेज की निजी क्षेत्रों में स्थापना किये जाने पर विचार

47—डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डे)—

मेरठ अथवा प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि इन्जीनियरिंग कालेजों की स्थापना निजी क्षेत्र में की जाए ।

जनपद मेरठ के शामली में स्वीकृत महिला पालीटेक्निक को मेरठ कमिश्नरी केन्द्र में स्थानान्तरित करने की मांग

48–डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व में मेरठ में महिला पालीटेक्निक की स्थापना किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया था ? क्या उक्त पालीटेक्निक को शामली स्थानान्तरित कर दिया गया है? क्या यह सच है कि शामली में उसके निर्माण हेतु अभी तक भूमि नहीं खरीदी गयी है ? यदि हां, तो मेरठ में साधनों की उपलब्धि होने पर इसे मेरठ (कमिश्नरी केन्द्र) में पुनः स्थापित किये जाने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

शामली में पालीटेक्निक की स्थापना पर विधिवत विधायी स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरान्त संस्था में इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम में कक्षाएं भी चल रही हैं, अतएव इसे मेरठ (कमिश्नरी केन्द्र) में स्थापित किये जाने का कोई मामला अभी शासन के विचाराधीन नहीं है ।

शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित सत्याग्रह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया जाना

49–श्री मोती लाल दहेलवी–

विधान सभा के प्रथम सत्र सन् 1988 के पांचवें मंगलवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 68 तथा अतारां0 प्रश्न 81 के उत्तरों के संदर्भ में क्या सरकार की जानकारी में यह तथ्य है कि 4 अप्रैल, 1947 से 20 मई, 1952 तक उ0 प्र0 में स्वदेशी अंतरिम सरकार थी जिसके प्रथम मुख्य मंत्री पं0 गोविन्द बल्लभ पंत थे ? यदि हां, तो 14 अप्रैल, 1947 को शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित सत्याग्रह को किस आधार पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया गया सत्याग्रह माना गया और श्री हनुमान प्रसाद कुरील को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानकर उनकी पेंशन स्वीकृत की गयी ?

श्री हरीश कुमार गंगवार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा में स्थित प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं का निदेशक द्वारा निरीक्षण किया जाना

50–श्रीमती सरस्वती तिवारी–

प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के वर्तमान निदेशक द्वारा पद भार ग्रहण करने के उपरांत जनपद अल्मोड़ा में स्थित प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं ।

निदेशक के अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक पर्वतीय क्षेत्र भी नियुक्त हैं, जो संस्थाओं का निरीक्षण समय-समय पर करते हैं ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों को स्थायी करने की मांग

51–श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राम कुमार वर्मा, श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री राम सेवक सिंह, श्री दशरथ सिंह तथा डा0 सरजीत सिंह डंग–

विधान सभा तृतीय सत्र 1990 के प्रथम मंगल के तारांकित प्रश्न संख्या–7 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में 1 नवम्बर, 1984 तक संशोधित स्थायी अवर वर्ग सहायकों की ज्येष्ठता सूची में क्रम संख्या 326 से 755 तक अंकित अवर वर्ग सहायकों में उ0 प्र0 सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग नियमावली 1942 (यथा संशोधित) के अनुसार उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के 20 प्रतिशत की सीमा के अवर वर्ग सहायक भी सम्मिलित किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित सीधी भर्ती के अवर वर्ग सहायकों को नियमानुसार ज्येष्ठता सूची में उन्हें अनुमन्य कोटे के अनुसार शामिल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । अवर वर्ग सहायक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त एवं स्थाई न होने के कारण प्रश्नगत ज्येष्ठता के मा0 उच्च न्यायालय में विवादित होने के कारण प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची में ऐसे अवर वर्ग सहायकों को सम्मिलित नहीं किया जा सका है । जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण किसी निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है ।

देश की आजादी के लिए चलाये गये आन्दोलनों की जानकारी

52–श्री मोती लाल दहेलवी–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या देश की आजादी के लिए असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, नमक आन्दोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन तथा भारत छोड़ो आन्दोलन के अतिरिक्त कोई आन्दोलन चलाया गया था ? यदि हां, तो वह आन्दोलन कौन सा है, उसका स्वरूप क्या था तथा वह किस सन में हुआ था और उसका आवाहन किसके द्वारा हुआ था ?

श्री हरीश कुमार गंगवार–

देश की आजादी के लिये असहयोग आन्दोलन सविनय अवज्ञा आन्दोलन, नमक आन्दोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन तथा भारत छोड़ो आन्दोलन आदि आन्दोलनों के अलावा सन् 1915 में होमरूल लीग आन्दोलन, पं0 मदन मोहन मालवीय आदि द्वारा तथा सन् 1918 में खिलाफत आन्दोलन मौलाना जफरूल मुल्क आदि द्वारा तथा पं0 मदन मोहन मालवीय एवं पं0 केदार नाथ आदि के द्वारा सन् 1920 में किसान सभा आदि मुख्य आन्दोलन चलाये गये थे ।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का सम्मान पाने के लिए शासन द्वारा निर्धारित अर्हताएं

53—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान पाने के लिए शासन द्वारा क्या अर्हताएं निर्धारित हैं और इन अर्हताओं की पूर्ति को प्रमाणित किये जाने का शासन द्वारा क्या आधार निर्धारित किया गया है ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

इस प्रदेश शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान पाने के लिये निम्नलिखित अर्हतायें निर्धारित की गई हैं :—

1—प्रदेश के अधिवासी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम 2 मास की अवधि के लिये कारावास का दंड भोगा हो, या जिसे नजरबन्दी या अण्डर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिये रखा गया हो, या जिसने कम से कम 10 बेतों की सजा पाई हो या जो फरार घोषित किया गया हो या उक्त स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसने वीरगति प्राप्त की हो ।

2—ऐसे व्यक्ति, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के फलस्वरूप अपनी सैनिक, असैनिक अथवा पुलिस की नौकरी से हटा दिया गया हो ।

निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की उक्त परिभाषा में सम्मिलित माने जायेंगे :—

(क) ऐसे व्यक्ति जो पेशावर कान्ड में रहे हों,

(ख) ऐसे व्यक्ति जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक अथवा भूतपूर्व इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों,

(ग) उत्तर प्रदेश की ऐसी महिलाओं, जो विवाह अथवा अन्य कारणों से उत्तर प्रदेश के बाहर रह रही हैं, पर जिन्होंने उक्त परिभाषा में दी हुई किसी यातना को भोगा है,

(घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें गांधी इरविन पैक्ट, 1931 अथवा स्वतंत्रता संग्राम के सम्बन्ध में चलाये गये किसी आन्दोलन में केन्द्रीय अथवा प्रदेशीय सरकार के सामान्य अथवा विशिष्ट रिहाई के आदेशों के फलस्वरूप सजा पूर्ण होने से पूर्व ही छोड़ दिया गया हो, बशर्ते उनकी दंडादेश की अवधि दो माह से कम न रही हो ।

(ङ) ऐसे व्यक्ति, जो 1914 के कामागाटा मारू के मामले से सम्बन्धित रहे हों ।

(च) ऐसे व्यक्ति, जो 1912 की गदर पार्टी से सम्बन्धित रहे हों ।

(छ) ऐसे व्यक्ति, जिनकी चल अथवा अचल सम्पत्ति स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के फलस्वरूप केन्द्रीय अथवा प्रदेशीय सरकार द्वारा जब्त कर ली गयी हो अथवा कुर्क होने के बाद वापस न की गयी हो,

(ज) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने भारत की तत्कालीन देशी रियासतों में ब्रिटिश शासन काल के दौरान या 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् उनके भारतीय संघ में

विलय होने तक, उक्त देशी रियासतों के प्रशासनिक सुधार या नागरिक स्वतंत्रता के लिए या 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् उनके भारतीय संघ में विलयन के लिए आन्दोलनों में भाग लिया हो, बशर्ते उन्होंने इस सम्बन्ध में दी गयी यातनाओं में से कोई भी एक यातना भोगी हो ।

(झ) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने भारत में होने वाले फ्रांसीसी अथवा पुर्तगाली उपनिवेशों के स्वतंत्रता संग्राम में उस अवधि के दौरान भाग लिया हो जब तक कि उनका भारतीय संघ में विलयन न हो गया हो बशर्ते उन्होंने इस सम्बन्ध में उपरिलिखित यातनाओं में से कोई भी एक यातना फ्रांसीसी अथवा पुर्तगाली उपनिवेशों में भोगी हो ।

इन अर्हताओं की पूर्ति को प्रमाणित करने का आधार शासकीय अभिलेख है।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील स्वतन्त्रता सेनानी कानपुर को पेंशन स्वीकृत किया जाना

54—श्री मोती लाल दहेलवी—

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री हनुमान प्रसाद कुरील निवासी कानपुर को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी मान कर उन्हें पेंशन स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों को दिये जाने वाले अनुदान तथा पेंशन को विनियमित करने के संबंध में बतायी गयी नियमावली के किस नियम के अनुसार ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अनुभव विभाग के कतिपय अनुभागों में सहायकों के स्थानान्तरण के समय सरकारी वाहनों का कथित दुरुपयोग

55—श्री एदल सिंह तथा श्री रमापति शास्त्री—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारां0 प्रश्न संख्या 152 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री पशुपालन अनुभाग एक व दो से स्थानान्तरित किए सहायकों के नाम बताने का कष्ट करेंगे ? क्या यह सही है कि श्री एस0 एम0 तिवारी व श्री माता प्रसाद पाण्डेय दसों साल से इसी ब्रांच में कार्यरत हैं ? क्या श्री तिवारी द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 1990 को मोतीझील सचिवालय कालोनी से विकास नगर गोमती नगर आवास में स्थानान्तरित होते समय सरकारी वाहन संख्या यू0 आर0 यू0 (ट्रक) संख्या 4593, यू0 आर0 ए0 (जीप) संख्या 3208 तथा तीन मारूति जीप से ढुलाई में हजारों रुपये का पेट्रोल बर्बाद किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर दोषी सहायक को पद के दुरुपयोग के लिए दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं, नियमान्तर्गत नाम बताया जाना समीचीन नहीं है ।

प्रश्न में इंगित सहायकों के नाम सही नहीं है, हालांकि अभिप्रेत सहायक उक्त कालम में 10 वर्ष से अधिक की अवधि से कार्यरत नहीं है ।

जी नहीं, जांच का यह परिणाम निकला है कि श्री तिवारी द्वारा मोतीकोल सचिवालय कालोनी से विकास नगर गोमती नगर आवास में स्थानान्तरित होते समय सामान की ढुलाई हेतु सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया गया है ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता के विरुद्ध आरोपों की जांच

56–श्री मयंकर सिंह तथा श्री रमापति शास्त्री–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वर्तमान मुख्य अभियंता जो इससे पूर्व इसी पद पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी तैनात रहे हैं के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच चल रही है? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि यह जांच कब गठित की गयी है और किन-किन आरोपों की जांच हो रही है? उक्त जांच के कब पूरी होने की संभावना है? क्या सरकार उक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा लखनऊ में अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति (भवन) तथा चल सम्पत्ति की भी जांच कराने की कृपा करेंगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां, उक्त जांच मई 1988 में सतर्कता अधिष्ठान को अभिदिष्ट की गई। उक्त जांच में संबंधित मुख्य अभियंता के विरुद्ध आय से अधिक परि सम्पत्ति अर्जित करने, पद का दुरुपयोग करने आदि से संबंधित आरोप देखे जा रहे हैं । जांच कार्य अपेक्षित अवधि में पूर्ण कराया जायेगा

उक्त जांच में आय से अधिक परि सम्पत्ति जमा करने संबंधी आरोप की जांच सम्मिलित होने के कारण संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा अर्जित की गई सभी चल/अचल सम्पत्ति की जांच हो रही है ।

57–श्री रामरति बिन्द–

[मंत्रि परिषद् में शामिल हो जाने के कारण हटाया गया]

58–श्री निरवेन्द्र कुमार–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जिला बाराबंकी की तहसील नवाबगंज के ग्राम मानपुर राह में अवैध रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी एवं अन्य विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित ग्राम-मानपुर राह, तहसील नवाबगंज, जिला-बाराबंकी में स्कूल, पंचायत घर, रास्तों की जमीन पर संवर्णों के अनधिकृत कब्जों को हटाये जाने संबंधी कोई पत्र दिनांक 8-8-1990 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र के मुख्य बिन्दु क्या हैं और उसमें वर्णित बिन्दुओं पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां । श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी एवं अन्य विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित ग्राम मानपुर राह, तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्कूल, पंचायत घर व रास्तों की जमीन पर सवर्णों को अनधिकृत कब्जों से हटाये जाने संबंधी पत्र दिनांक 8-8-1990 में उल्लिखित मुख्य बिन्दु संक्षेप में निम्नलिखित हैं:—

1—2रास्तों (चक रोडों) गाटा संख्या 66 तथा 101 पर सवर्णों का अनाधिकृत कब्जा है ।

2—गाटा संख्या—67 पर ग्रामवासी 15—20 वर्षों से कोल्हू लगाये रहे हैं और गन्ना पेरते रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से कुछ सवर्णों ने उक्त भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है ।

3—गाटा संख्या—65 को खाद के गड्डे के लिए छोड़ा गया था, परन्तु सवर्णों ने इस पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है ।

4—गाटा संख्या—61 तथा 80 क्रमशः विद्यालय और पंचायत घर की भूमि है, परन्तु इस पर सवर्णों ने अवैध कब्जा कर लिया है।

5—गाटा संख्या—84 पर एक सवर्ण व्यक्ति का अवैध कब्जा है और जांच में एक हरिजन व्यक्ति का कब्जा दिखाया गया है ।

6—गाटा संख्या—70, 99 आदि पर अवैध कब्जे हैं । ग्राम की समस्त ग्राम सभा की भूमि पर सवर्णों के कब्जों से निकाल कर उन्हें दण्डित किया जाये।

7—खसरा संख्या—66 व 67 आदि पर अनाधिकृत कब्जा करके रातों-रात मकान बनाने की प्रक्रिया की जा रही है, भारी धनराशि घूस में लेकर अवैध कब्जे होने दिये गये, यद्यपि ग्रामवासियों ने लेखपाल व कानूनगो को स्थिति से अवगत कराया था।

की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में स्थिति बिन्दुवार निम्न प्रकार है :—

1—गाटा संख्या-66 में 10 व्यक्तियों का 0.060 हे0 पर अनधिकृत कब्जा पाया गया तथा गाटा संख्या-101 में 9 व्यक्तियों का 0.663 हैक्टेयर पर अनधिकृत कब्जा पाया गया। उपरोक्त सभी अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार नवाबगंज के न्यायालय में विचाराधीन है।

2—गाटा संख्या-67 क्षेत्रफल 0.051 हेक्टेयर अभिलेखों में आबादी में दर्ज है। इस पर बाबूलाल पुत्र गंगा प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद पुत्र भगवती, राजकुमार पुत्र शिवनाथ कब्जे में हैं। इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार नवाबगंज के न्यायालय में विचाराधीन है। भोला पुत्र गंगा प्रसाद का कब्जा इस भूमि पर नहीं है।

3—गाटा संख्या-65 क्षेत्रफल 0.063 अभिलेखों में खाद का गड्डा दर्ज है, परन्तु इस पर हरिहर प्रसाद पुत्र राम रतन तथा राज कुमार पुत्र शिवनाथ का अनधिकृत कब्जा है, जिनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार नवाबगंज

के न्यायालय में विचाराधीन है ।

4—गाटा संख्या-16 क्षेत्रफल 0.89 हेक्टेयर पंचायतघर तथा गाटा संख्या-80 क्षेत्रफल 0.057 हेक्टेयर स्कूल के नाम अभिलेखों में अंकित है । गाटा संख्या—61 पर हरिहर प्रसाद पुत्र राम रतन और गाटा संख्या—90 पर रामकृपाल पुत्र शिवशंकर का अनाधिकृत कब्जा है, जिनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की गयी है ।

5—गाटा संख्या-84 क्षेत्रफल 0.006 हेक्टेयर बंजर दर्ज है इस भूमि पर किसी सवर्ण व्यक्ति का कब्जा नहीं है, बल्कि गुरुबचन पुत्र बुद्धू, जो अनुसूचित जाति के हैं, का कब्जा है। जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122 बी 4 (एफ) के अन्तर्गत श्री गुरुबचन को इस भूमि पर स्वामित्व का अधिकार दे दिया गया है ।

6—गाटा संख्या-70 क्षेत्रफल 0.063 हेक्टेयर व गाटा संख्या-99 क्षेत्रफल 0.076 हेक्टेयर आबादी दर्ज है। इन भूखण्डों पर हरिहर प्रसाद, महेश प्रसाद, राकेश कुमार व मुसम्मात कुसुमा देवी अनधिकृत कब्जे में है, जिनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की गयी है।

7—यह सही नहीं है कि घूस लेकर अवैध कब्जा कराया गया। लेखपाल द्वारा गांव सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जों के विषय में जांच के पूर्व बेदखली की कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सी0 ब्लाक इन्दिरा नगर लखनऊ के भवन कर की वसूली

60—श्री श्याम बिहारी सिंह—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0—162 के संदर्भ में क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नगत विषय में गठित समिति ने क्या-क्या संस्तुतियां की हैं तथा उनके आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा गठित समिति की संस्तुतियां अभी परिषद् को प्राप्त नहीं हुई।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की योजनाओं में आवंटित भवनों तथा भूखण्डों को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किया जाना

61—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या आवास मंत्री जी को जानकारी है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की योजनाओं में आवंटित भवनों तथा भूखण्डों को जनपद बरेली, आगरा, मेरठ, देहरादून में लीज से फ्री-होल्ड में परिवर्तित किया गया है? यदि हां, तो इसका आधार क्या है? क्या इसी आधार पर जनपद लखनऊ में आवास एवं विकास परिषद् की इंदिरा नगर योजना में आवंटित भवनों/भूखण्डों को लीज से फ्री-होल्ड में परिवर्तित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। वर्ष 1971 से 1975 के मध्य प्रश्न में उल्लिखित नगरों में परिषद् की कतिपय योजनाओं को लीज से फ्री-होल्ड में परिवर्तित किया गया था। उस समय इस विषय पर नियम नहीं बने थे। इस विषय पर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन संबंधी विनियम वर्ष 1979 में बनाए गये। इन विनियमों के अन्तर्गत भूखण्ड/भवन लीज पर ही दिये जाने का प्राविधान है। अतः लखनऊ स्थित आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरा नगर योजना को फ्री-होल्ड करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बाराबंकी की तहसील नवाबगंज के ग्राम मानपुर राह में श्री गुरचरन पुत्र श्री बुद्धू अनुसूचित जाति की भूमि मालिकाना हक के कागजात दिये जाने की मांग

62–श्री हाजी मोहम्मद हयात–

क्या राजस्व मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला बाराबंकी की तहसील नवाबगंज के ग्राम मानपुर राह में खसरा सं0–84 पर पिछले बीसियों वर्षों से एक हरिजन व्यक्ति काबिज व आबाद है परन्तु कुछ सवर्ण व्यक्ति जिनके ऊपर इस गांव की जमीन हड़पने के मुकदमें चल रहे हैं इस जमीन को भी हड़पना चाहते हैं? क्या सरकार द्वारा इस भूमि के मालिकाना हक के कागजात उक्त हरिजन व्यक्ति को तत्काल देने की कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक मालिकाना हक के कागजात हरिजन व्यक्ति को दे दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

खसरा नं0 84 पर 30-6-85 के पहले से गुरचरन पुत्र बुद्धू अनुसूचित जाति काबिज व आबाद है।

जी नहीं।

अमलदरामद आदेश श्री गरचरन पुत्र श्री बुद्धू के हक में 14-4-1989 को परगनाधिकारी सक्षम अधिकारी ने ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधिनियम की धारा 123(1) व 123 (2) के अंतर्गत व्यवस्थित कर दिया है । मालिकाना हक का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हो चुका है।

मालिकाना हक के कागजात संबंधित तहसील से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

जिला बाराबंकी की तहसील नवाबगंज स्थित ग्राम मानपुर राह में तहसील कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा करवाने के संबंध में आरोप

63–श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या राजस्व मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला–बाराबंकी की तहसील नवाबगंज स्थित ग्राम मानपुर राह में स्कूल, पंचायत घर, रास्ते तथा कोल्हू की जमीन पर उक्त तहसील के कतिपय कर्मचारियों ने रातों रात सवर्णों के मकान बनवा दिए और अनधिकृत कब्जों की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को नहीं दी और शासन के संज्ञान में लाने पर ही अनधिकृत काबिजदारों के विरुद्ध कार्यवाही सम्भव हो सकी ? यदि हां, तो इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है या की जा रही है ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां, मामले की जांच कराई गई जिसमें यह सही नहीं पाया गया कि प्रश्नगत ग्राम में स्कूल, पंचायत घर, रास्ते तथा कोल्हू की जमीन पर रातों रात सवर्णों के मकान तहसील कर्मचारियों के सहयोग से बनाये गये ।

स्कूल की भूमि संख्या—80/0-057 हेक्टेयर तथा पंचायत घर की भूमि संख्या—61/0-689 हेक्टेयर पर क्रमशः श्री राम कृपाल पुत्र श्री शिव शंकर तथा श्री हरिहर प्रसाद का कब्जा पाया गया परन्तु इन दोनों भूखण्डों पर दोनों में से किसी का मकान नहीं बना है । रास्ते की भूमि संख्या—66/0-005 हेक्टेयर पर श्री बाबूलाल पुत्र श्री गंगा प्रसाद ने पक्का मकान बनवा लिया है । कोल्हू के लिए कोई भूमि सुरक्षित नहीं है । उक्त तीनों अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा—122बी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही कर दी गई है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

लेखपाल द्वारा जांच के पूर्व अनधिकृत काबिजदारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही न करने के संबंध में उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

विधान भवन के बाहर तथा अन्दर पूर्व मुख्य मंत्रियों की (जो जीवित नहीं हैं) प्रतिमाएं लगाये जाने की मांग

64—श्री रमापति शास्त्री—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन के अन्दर जिस तरह पूर्व मुख्य मंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लगायी गयी है उसी तरह क्या सरकार विधान भवन के सामने स्व0 गोविन्द बल्लभ पंत जी की मूर्ति के पास तथा विधान भवन में प्रदेश के ऐसे भू0पू0 मुख्य मंत्रियों की, जो जीवित नहीं हैं, की प्रतिमाएं लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर में नेशनल हाईवे सात के शिवमूर्तिनगर बस स्टेशन के सामने तहसील मुख्यालय बनाये जाने की मांग

65—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में नवसृजित तहसील लालगंज के मुख्यालय हेतु भवन बनाये जाने के लिए स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्णकांत दुबे ने अपनी काश्त की भूमि दान स्वरूप दी है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि में जो नेशनल हाईवे सात के शिवमूर्तिनगर बस स्टेशन के सामने है वहां तहसील मुख्यालय बनाया जाना सम्भव है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी नहीं । श्री कृष्णकान्त दुबे ने दान स्वरूप भूमि देने का मात्र प्रस्ताव किया है ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि श्री दुबे की प्रश्नगत भूमि मुख्य कस्बे से 3½ कि0मी0 दूरी पर स्थित है, जब कि कस्बे के सन्निकट ग्राम सभा की निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो गयी है जहां तहसील मुख्यालय का भवन बनाया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में सीलिंग अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि का निर्धारण

66–श्री पंचानन राय—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-41 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्र-भूषण गुप्त, ग्राम अजमतगढ़, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ की भूमि किन-किन जनपदों में कितनी-कितनी उस तिथि को थी, जिस तिथि में सीलिंग अधिनियम लागू किया गया है? क्या इनकी भूमि की नीलामी सीलिंग अधिनियम लागू होने के बाद की गयी या पहले ? यदि पहले की गयी तो सीलिंग संबंधी वाद से उसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (मूल सीलिंग अधिनियम) के लागू होने की तिथि पर श्री इन्द्रभूषण गुप्त, ग्राम अजमतगढ़, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के नाम जनपद आजमगढ़ के भू-अभिलेखों में कोई भूमि अंकित नहीं थी । संशोधित सीलिंग अधिनियम, 1972 जो प्रदेश में 8-6-73 से लागू किया गया, के अन्तर्गत स्वर्गीय श्री इन्द्रभूषण गुप्त व उनके परिवार के नाम जनपदवार भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

जनपद	सिंचित के अर्थों में (एकड़)
आजमगढ़	93·721
गोरखपुर	19·153
वाराणसी	7·300
	योग–120·74 एकड़

इनकी भूमि की नीलामी संशोधित सीलिंग अधिनियम के लागू होने के पूर्व हुयी थी जिसका विवाद उच्च न्यायालय में चल रहा है । चूंकि नीलामी में अन्तग्रस्त भूमि खातेदार के नाम ही अंकित थी इसलिए उनकी जोत में सम्मिलित करते हुए सीलिंग पत्रावली तैयार हुई है जिसका वाद नियत प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।

पी0 सी0 एफ0 मुख्यालय उ0 प्र0 में कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तदर्थ वेतनमान एवं अन्य सुविधायें दिये जाने की मांग

67–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 सी0 एफ0 मुख्यालय उ0 प्र0 में कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी ऐसे कार्यरत हैं जिनके पद सृजित नहीं हैं ? क्या ऐसे कर्मचारियों को बिना पद सृजित किये तादर्थ/नियमित वेतनमान प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो 6-7 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तादर्थ वेतनमान क्यों नहीं दिया गया है ? इस नीति का क्या कारण है और इसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार 6-7 वर्ष से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी

कर्मचारियों को तदर्थ वेतनमान व अन्य सुविधायें प्रदान कराने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

पी0 सी0 एफ0 मुख्यालय में ऐसा कोई कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत नहीं है जिसका पद सृजित न हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दैनिक मजदूरी पर कार्यरत श्रमिक संघ के "कर्मचारी" की परिभाषा में नहीं आते । अतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर देय पारिश्रमिक का भुगतान उन्हें किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दैनिक वेतन पर कार्यरत श्रमिकों को तदर्थ वेतनमान व अन्य सुविधायें प्रदान करने के संबंध में कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के नवाबगंज स्थित शुगर मिल पर किसानों का लाखों रुपया बकाया

68–श्री रमापति शास्त्री–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवाबगंज गोण्डा में स्थापित शुगर मिल पर 1978 से 1988 तक का श्रमिकों का और किसानों का कितना रुपया बकाया है ? कब तक उक्त धन श्रमिकों और किसानों को दिला दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास–

नवाबगंज, गोण्डा स्थित चीनी मिल पर वर्ष 1978 से वर्ष 1988 तक श्रमिकों का रु0 113.42 लाख तथा किसानों का रु0 144.95 लाख बकाया है ।

इस चीनी मिल का अधिग्रहण उ0 प्र0 चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1971 के (संशोधन) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दिनांक 24-4-89 को किया गया है और अब यह मिल उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई के रूप में कार्यरत है । प्रश्नगत अवधि का बकाया मिल के अधिग्रहण के पूर्व का है जिसका भुगतान उक्त अधिनियम की धारा-7 (7) के अंतर्गत मिल को देय-प्रतिकर से ही किया जा सकता है जिसके लिये संबंधित पक्ष अपना दावा विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री आर0 के0 दुबे, उप प्रधान प्रबन्धक परिवहन निगम, लखनऊ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

69–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 के0 दुबे, उप प्रधान प्रबन्धक परिवहन निगम, लखनऊ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 28-4-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में हरिजनों को पट्टों पर दी गई भूमि का कब्जा न मिलने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

70–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर में हरिजनों को पट्टे पर दी गई भूमि पर कब्जा न दिलाये जाने की कितनी शिकायतें लम्बित हैं और उन्हें पट्टे की भूमि पर कब्जा दिये जाने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या भूदर लाल जाटव, मोहन, दयाराम, लाला राम, रामाधीन सभी हरिजन निवासीगण मौ0 मकराकला, शाहजहांपुर को 1983 में मकराकला में भूमि पट्टे पर दी गयी थी परन्तु अभी तक कब्जा नहीं मिल सका ? क्या सरकार कब्जा दिलाने के साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद खीरी में वर्ष 1990 में भयंकर बाढ़ से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता

71–श्री निरेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1990 में जनपद खीरी में भयंकर बाढ़ से अपार धन जन की क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बाढ़ से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

वर्ष 1990 में जनपद खीरी में बाढ़ से कुल 402 ग्राम एवं एक नगरीय क्षेत्र प्रभावित हुये, 1,16,389 हेक्टेअर कृषि क्षेत्रफल एवं 4,86,690 जनसंख्या प्रभावित हुई, 32 जन हानि तथा 87 पशु हानि हुई । 16671 मकान आंशिक रूप से तथा 4285 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए ।

नियमानुसार अहैतुक सहायता मद में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री आदि मु0 19,64,760 रु0 मूल्य का 81,992 परिवारों को तथा गृह अनुदान मद में 1118 परिवारों को मु0 4,36,400 रु0 की धनराशि वितरित की जा चुकी है । अनुग्रह अनुदान मद से मु0 2,34,500 रु0 65 परिवारों को वितरित किया गया । इसके अतिरिक्त आपदा दुकानों में मु0 95,200 रु0 का वितरण किया गया ।

किसान सेवा सहकारी समिति, कुतुबनगर, सीतापुर के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा अध्यक्ष एवं सुखराज सिंह आदि पर गोलमाल करने का आरोप

72–श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 12-9-88 को किसान सेवा सहकारी समिति, कुतुबनगर, सीतापुर के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक का अध्यक्ष एवं श्री सुखराज सिंह, आंकिता एवं अन्य द्वारा गोलमाल कर सरकारी धन को हड़पने आदि के संबंध में एक पत्र जिला सहा0 निबंधक, सहकारी समितियां, लखनऊ मंडल, उप निबंधक, (अधि0) अपर निबंधक (अधि0) को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

मामले की जांच अपर जिला सहकारी अधिकारी (मु0) से करायी गयी । जांच में समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह, आंकिक श्री सुखराज सिंह एवं श्री उमेश नरायन दोषी पाये गये । श्री सुखराज सिंह एवं श्री उमेश नारायन के विरुद्ध सेवा समाप्ति, धन वसूली एवं अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु समिति के प्रबन्ध निदेशक को निर्देशित किया गया था किन्तु समिति के तत्कालीन संचालक मंडल ने प्रस्ताव पारित कर मध्यस्थ वाद दायर करने का निर्णय लिया । श्री भानु प्रताप सिंह को आरोपित करते हुए नोटिस दी गयी जिसके विरुद्ध उन्होंने एक पक्षीय जांच करने का विरोध किया तथा पुन: उनके समक्ष जांच करने का अनुरोध किया जिसके लिए कार्यवाही जारी है ।

जनपद सीतापुर की किसान सेवा सहकारी लि0 कुतुबनगर के अध्यक्ष द्वारा ऋण की वसूली में अवरोध उत्पन्न किया जाना

73–श्री ओम प्रकाश गुप्त–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर की किसान सेवा सहकारी समिति लि0 कुतुबनगर के प्रबन्ध निदेशक का उक्त समिति के अध्यक्ष श्री भानू प्रताप सिंह द्वारा सहकारी ऋण की वसूली में अवरोध उत्पन्न किये जाने तथा प्रबन्ध निदेशक को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में एक पत्र दिनांक 25-6-88 को जिला सह0 निबन्धक सहकारी समितियां सीतापुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

मामले की जांच अपर जिला सहकारी अधिकारी (मुख्यालय) से करायी गयी । ऋण वसूली में अवरोध उत्पन्न करने के सम्बन्ध में समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह तथा आंकिक श्री सुखराज सिंह दोषी पाये गये । श्री भानु प्रताप सिंह को आरोपित करते हुए नोटिस दी गयी जिसके विरुद्ध उन्होंने एक पक्षीय जांच का विरोध किया तथा पुन: उनके समक्ष जांच करने का अनुरोध किया । उन्हें तथा श्री सुखराज सिंह को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है । कार्यवाही जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा माल का पुरवा तहसील रसूलाबाद कानपुर में अवैध पट्टे किये गये विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

74–श्री मोती लाल दहेलवी–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे मंगलवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 117 के दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में जो 19 पट्टे अनियमित पाये गये हैं उनमें कौन-कौन सी अनियमितायें हुई हैं ? क्या वह पट्टे निरस्त किये गये हैं ? इसी प्रसंग में क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सम्बन्धित ग्राम प्रधान व लेखपाल के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई तथा तत्कालीन नायब तहसीलदार व भूलेख निरीक्षक को दिये गये आरोप पत्र में इनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

पट्टों में आवंटन किये जाने हेतु आवंटित भूमि का रिक्त न होना, आवंटी की पूर्व में उपलब्ध एवं आवंटित भूमि मिलाकर $3\frac{1}{8}$ एकड़ से अधिक होना, गाटा नम्बरों में हेरा-फेरी करना, पात्रता सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम न अंकित करना आदि अनियमितताएँ पायी गई पट्टों के निरस्तीकरण के लिए धारा 198(4) उ0 प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

सम्बन्धित ग्राम प्रधान को निलम्बित किया गया है तथा लेखपाल को तीन वर्ष के लिये तीन वेतन-वृद्धियां रोक दी गयी हैं । तत्कालीन नायब तहसीलदार तथा भूलेख निरीक्षक को दिये गये आरोप-पत्र में उपरोक्त अनियमितताओं के लिये आरोपित किया गया है ।

श्री हनुमान प्रसाद करील के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की पेंशन पाने के लिए जिलाधिकारी कानपुर देहात को दिये गये शपथ पत्र की जानकारी

75–श्री मोती लाल दहेलवी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले मंगलवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 69 के दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री हनुमान प्रसाद कुरील ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन पाने के लिए जिलाधिकारी, कानपुर देहात को अपना जो शपथ पत्र दिया था उस शपथ पत्र में क्या लिखा गया है? क्या मंत्री जी शपथ पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश कुमार गंगवार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिल्हौर व अरौल में बस स्टाप बनाये जाने की मांग

76–श्री मोती लाल दहेलवी–

तृतीय सत्र 1990 के चौथे मंगलवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 28 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिल्हौर व अरौल में सभी बसों को रोकने के आदेश कब व किसको दिये गये थे तथा उसकी आदेश संख्या क्या है ? इसी संदर्भ में क्या यह भी बतायेंगे कि तैनात होने वाले कार्मिक का नाम और पता क्या है और बिल्हौर में उसके रूकने का स्थान व प्रमाण क्या है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इस संदर्भ में संबंधित स्टेशन अधीक्षक द्वारा दिनांक 18-5-90 को चालकों/ परिचालकों को आदेश संख्या 1194 जारी किया गया ।

श्री श्रीराम शर्मा सीनियर लिपिक जो बिल्हौर में तैनात हैं ड्यूटी के समय ही बिल्हौर में रहते हैं ।

जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र बांसगांव में धारा 52 का प्रकाशन करने की मांग

77—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के अन्तर्गत तहसील खजनी ग्राम-चक धैंद्यपुरवा उर्फ मठिया में चकबन्दी 1968 69 में पूर्ण हो जाने के बावजूद अभी तक धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक धारा 52 का प्रकाशन हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी, ऋषिनारायण बनाम ग्राम सभा पिंडरा के मामले में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संदर्भ स्वीकृत किया जाना

78—श्री उदल—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि उप संचालक चकबन्दी वाराणसी ने नि0 सं0 1126/804 का ऋषि नारायण बनाम गांव सभा पिंडरा प0 कोलअसला त0 व जिला वाराणसी का फैसला ता0 23-4-90 को संदर्भ बनाने का दिया है और फैसले में लिखा कि मौका परिवर्तन की कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेश 6-7-88 व 21-4-89 के अनुपालन में स्थगित रहेगा ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि एक मिसलेनियस दरख्वास्त हंसराज का फर्जी हस्ताक्षर करके ऋषि नारायण ने बन्दोबस्त अधिकारी वाराणसी को 25-4-90 को कब्जा परिवर्तन हेतु दी ? यदि हां, तो बन्दोबस्त अधिकारी ने आदेश चकबन्दी अधिकारी को क्या दिया ? क्या यह सही है कि चकबन्दी अधिकारी ने 13-7-90 को रिपोर्ट उप संचालक चकबन्दी ने 24-4-90 को अपने फैसले के खिलाफ मुतफरका दरख्वास्त पर यह आदेश दिया कि हाई कोर्ट का कोई स्थगन आदेश नहीं है कब्जा परिवर्तन कर दिया जाये क्या इस संबंध में सभी तथ्यों के साथ फैसला लगाकर प्रश्नकर्ता ने मा0 मुख्य मंत्री को 25-7-90 व जिलाधीश वाराणसी को 30-7-90 को स्थगन आदेश हाई कोर्ट की नकल के साथ पत्र लगाकर दिया है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

निगरानी संख्या 1126/804 में उप संचालक चकबन्दी द्वारा संदर्भ बनाने का आदेश नहीं दिया गया है वरन् संदर्भ संख्या 1126/804 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21 4-89 के अनुपालन में दिनांक 23-4-90 को संदर्भ स्वीकृत किया गया है ।

श्री बांके द्वारा प्रस्तुत याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6-7-88 व 21-4-89 द्वारा कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही स्थगित किए जाने का आदेश गाटा संख्या 2987/1/1-13 के संबंध में पारित किया गया है । सन्दर्भ द्वारा बांके के चक को उक्त गाटे को प्रभावित नहीं किया गया है ।

दिनांक 25-4-90 को कब्जा परिवर्तन हेतु श्री ऋषिनरायन ने एक प्रार्थना-पत्र दिया है जिस पर श्री हंसराज के भी हस्ताक्षर हैं परन्तु श्री हंसराज ने अपने फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया ।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा नियमानुसार सीमांकन कराये जाने का आदेश चकबन्दी अधिकारी को दिया गया है ।

चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 13-7-90 के आधार पर उक्त सन्दर्भ द्वारा प्रभावित क्षेत्रफल माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की परिधि में न आने के कारण उप संचालक चकबन्दी द्वारा पैमाइश/कब्जा परिवर्तन का आदेश दिया गया । कब्जा परिवर्तन संबंधी उक्त आदेश से माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना नहीं हुयी है ।

जी हां । जांच की जा रही है ।

भूदान समिति ग्राम पिंडरा तहसील व जिला वाराणसी द्वारा अराजी 2987 काश्तकार को दिया जाना

79–श्री उदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी 2987 गांव पिंडरा परगना कोलअसला तहसील व जिला वाराणसी भूदान समिति की थी और इसी में मानिका अनिका झीरू प्यारे वगैरह की पुश्तैनी आबादी कुछ हिस्से में तब भी थी और आज भी है ? यदि हां, तो उक्त नम्बर को ऋषि नारायण व रवीन्द्र नारायण रमईपुर पिंडरा प0 कोल असला त0 व जिला वाराणसी को जो 13/14 एकड़ के काश्तकार हैं और भूदान लेने के पात्र नहीं थे, को भूदान समिति द्वारा पट्टा किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर सभी तथ्यों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री माहम्मद आजम खां–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 के वर्तमान निदेशक तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव जी0 एल0 मनचन्दा के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

80–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19-6-90 को अतारांकित प्रश्न संख्या-2 के उत्तर के संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है और परिणाम कब तक सामने आ जायेगा ? क्या यह सही है कि उक्त जांच से सम्बन्धित निदेशक के खिलाफ एक जांच रिपोर्ट जब ये वित्त अधिकारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय थे तब उनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के बारे में उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ने एक रिपोर्ट सन् 1986 में दी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक वित्त विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ? उक्त कार्यवाही कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 19-6-90 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में उल्लिखित शिकायती पत्र के संबंध में जांच कराई जा रही है जांच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिणाम सामने आ सकेगा । जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु सक्रिय कार्यवाही की जा रही है । प्रश्नगत रिपोर्ट शासन के शिक्षा विभाग में दी गई थी तथा

उक्त रिपोर्ट के संगत अंश वित्त विभाग को प्राप्त हुए थे जिनके संबंध में वित्त विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । अतः वित्त विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् के अवर अभियन्ता को वेतन का भुगतान न करने का कारण

81—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिट पिटीशन नं0 2957 सन् 81 दिनांक 26-10-88 जिसका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ में दिनांक 26-10-88 को दिया है के विरुद्ध उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दिनांक 19-3-90 को खारिज कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि वाद से सम्बन्धित अवर अभियन्ता ने 1-12-89 से सर्विस ज्वाइन कर ली है ? यदि हां, तो उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार सन् 81 से अप्रैल 90 तक का वेतन भुगतान न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय अनुपालन में संबंधित अवर अभियन्ता को उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा अपने आदेश 91/प्रशा0-एक, दिनांक 5 अप्रैल, 90 द्वारा परिषद् सेवा में ले लिया गया । सेवा समाप्ति की तिथि से पुनः योगदान की तिथि तक की अवधि के वेतन के संबंध में परिषद् द्वारा संबंधित अवर अभियन्ता से नियमानुसार इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये कि उन्होंने इस अवधि में किसी सेवायोजन एवं व्यवसाय में नहीं रहे परन्तु उन्होंने अभी तक शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । इसी के कारण सन् 81 से अप्रैल, 90 तक के वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है ।

फर्रुखाबाद डिपो में श्री सिफत हुसैन खां चालक का नया वेतनमान में वेतन निर्धारण

82—श्री असगर अली—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि फर्रुखाबाद डिपो (परिवहन निगम) में श्री सिफत हुसैन खां चालक का वार्षिक वेतन वृद्धि, दक्षतारोक, व नये वेतनमान में वेतन निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त दावों के निस्तारण में हुये विलम्ब के लिए संबंधित दोषी को दण्डित करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जी हां ।

देय वेतन वृद्धियां वर्षवार नियमित रूप से दी गयीं । दक्षता रोक का प्रक्रम उत्पन्न नहीं हुआ । नये वेतनमान में दिनांक 10-9-90 को वेतन निर्धारण किया गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के तहसील कोंच में अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को सीलिंग की अतिरिक्त भूमि पर कब्जा दिया जाना

83—श्री चैनसुख भारती—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कोंच जिला जालौन में वर्तमान समय में सीलिंग कुल कितनी अतिरिक्त भूमि है ? इस भूमि पर से अवैध कब्जे हटवाकर अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को कुल कितने पट्टे किये गये हैं? क्या सभी पट्टेदारों को कब्जा दिलाया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भूमि आवंटित करके हरिजन को कितने दिनों बाद कब्जा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

तहसील कोंच जिला जालौन में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम में अंतर्गत 1318.43 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई, जिसमें से 955.57 एकड़ भूमि का कब्जा लिया गया और शेष 362.86 एकड़ भूमि का कब्जा न्यायालयों के स्थगन आदेशों के कारण नहीं लिया जा सका । कब्जे में ली गई 955.57 एकड़ भूमि में से 421.44 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति के 405 भूमिहीनों को आवंटित की गई । सभी आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में बलरामपुर मार्ग पर सरकारी बसों की बढ़ोत्तरी तथा भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

84—श्री हनुमन्त सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 1990 जो गोण्डा, बलरामपुर मार्ग पर सरकारी बसों की संख्या में बढ़ोत्तरी तथा वहां पर हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री क्षतरुद्र प्रकाश—

जी हां ।

पत्र के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरान्त यह पाया गया है कि सामान्यतया सन्दर्भित मार्ग पर संचालित 13 ट्रिपों की संख्या पर्याप्त है । मार्ग पर चेकिंग की व्यवस्था कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री केशव प्रसाद सिंह ग्राम रामगढ़ तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ को लेखपाल प्रशिक्षण हेतु चुने जाने के पश्चात् प्रशिक्षण न दिया जाना

85—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिषदादेश सं0 13950/4-75/30 दिनांक 23 अप्रैल, 1987 के अन्तर्गत श्री केशव प्रसाद सिंह पुत्र श्री देवकी नन्दन सिंह निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ का चयन लेखपाल प्रशिक्षण हेतु किया गया था? यदि हां, तो उन्हें प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया गया ? किस सत्र में उनका प्रशिक्षण पूरा कराया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

श्री केशव प्रसाद सिंह द्वारा लेखपाल के पद पर पूर्व में की गयी सेवा से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये विवरण के बारे में मंडलायुक्त संतुष्ट नहीं थे । पूर्व सेवा के आधार पर प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गयी है ।

ग्राम हाजीपुर तहसील लगड़ो, आजमगढ़ की चकबन्दी अनियमितता सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

86–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है और कौन-कौन से कर्मचारी त्रुटियों एवं अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी है? इस ग्राम में चकबन्दी कब प्रारम्भ हुयी और चक आपत्तियों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सम्बन्धित सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र देकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है । कतिपय त्रुटियों एवं अनियमितताओं के लिये कतिपय चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी कर्ता तथा लेखपाल चकबंदी भी दोषी पाये गये हैं जिनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

ग्राम हाजीपुर में जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति का राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 29-12-84 को तथा ग्राम में दिनांक 1-8-85 को हुआ है । चकबंदी अधिकारी द्वारा चक आपत्तियों की सुनवाई की जा रही है । न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत चक आपत्तियों का निस्तारण होना है । यह बता पाना कि उनका निस्तारण कब तक हो जायेगा, संभव नहीं है ।

न्यायाधीश कालोनी इलाहाबाद को किराये पर उठाये जाने की शिकायत पर कार्यवाही

87–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्यायाधीश कालोनी (विकास प्राधिकरण इलाहाबाद) स्टेनली रोड स्थित आवंटित आवासों को पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से किराये पर उठा रखा है ? क्या सरकार आवंटियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त आवंटन निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इसकी जानकारी नहीं है ।

जानकारी प्राप्त होने पर यथावश्यक नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा ।

गन्ना विकास विभाग पर शासन द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार कर्मचारियों का स्थानान्तरण

88—श्री रमापति शास्त्री—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा बनायी गयी स्थानान्तरण नीति गन्ना विकास विभाग पर भी लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या उक्त नीति के अनुसार विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

शासन द्वारा बनायी गयी स्थानान्तरण नीति गन्ना विकास विभाग पर भी लागू है । इसी नीति के अन्तर्गत ही कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है।

श्री श्याम सिंह गन्ना विकास निरीक्षक, गोण्डा का स्थानान्तरण एवं बोनस देने का औचित्य

89—श्री रमापति शास्त्री—

क्या गन्ना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम सिंह गन्ना विकास निरीक्षक क्रय/सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति गोण्डा किन परिस्थितयों में गोण्डा जनपद में गत 14 वर्षों से कार्य कर रहे हैं ? क्या स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण गोण्डा से बाहर किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण दास—

श्री श्याम सिंह, गन्ना विकास निरीक्षक, गोण्डा जनपद में विभिन्न पदों पर दिनांक 31-10-1983 से कार्यरत हैं । इस जनपद में अधिक कार्यकाल हो जाने के कारण उनका स्थानान्तरण बस्ती जनपद में कर दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता।

90—श्री रमापति शास्त्री—

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही हो उनको शासनादेशों के अनुसार बोनस का भुगतान न किए जाने के आदेश हैं ? यदि हां, तो श्री श्याम सिंह, गन्ना विकास निरीक्षक, गोण्डा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के चलते बोनस का भुगतान किस आधार पर किया जाता रहा है ? क्या श्री श्याम सिंह को दिया गया अवैध बोनस का धन वसूल किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

श्री श्याम सिंह, गन्ना विकास निरीक्षक, गोण्डा के विरुद्ध जब से अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है, तब से बोनस का भुगतान नहीं किया गया है ।

गन्ना विकास विभाग के समूह "ग" के कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने की मांग

91—श्री रमापति शास्त्री—

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेशों के विरुद्ध गन्ना विकास विभाग में कितने समूह "ग" के कर्मचारी गृह जनपद में कितने वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश के अनुसार उनका स्थानान्तरण किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

प्रश्नगत विभाग में समूह "ग" के बहुत से कर्मचारी विगत कई वर्षों से अपने गृह जनपदों में कार्यरत हैं । इन्हें प्रतिवर्ष थोड़ी-थोड़ी संख्या में स्थानान्तरित करने की योजना पर अमल किया जा रहा है । अगले पांच वर्षों में सभी को उनके गृह जनपद से हटा दिया जायेगा ।

आर्डिनेन्स क्लादिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर की ऋण सहकारी समिति में अवैधानिक रूप से की गयी नियुक्तियां

92–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्डिनेन्स क्लादिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर की ऋण सहकारी समिति में अवैधानिक रूप से नियुक्त किये गये सर्वश्री अवधेश कुमार सिंह, अविनाश कुमार, कु0 नर्गिस, श्रीमती ममता, सुरजीत कुमार, रामेन्द्र पाल सिंह, आफाक, इदरीश, जमालुद्दीन, कु0 अनुराधा श्रीवास्तव, कु0 साजदा खानम, महेन्द्र कुमार, अवधेश कुमार समस्त लिपिक एवं 15 अन्य कर्मचारियों की सेवायें जिला सहा0 निबन्धक द्वारा दिनांक 12-4-90 को समाप्त किये जाने के उपरान्त भी इनको तीन माह से वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों को सजा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

दिनांक 12-4-90 को सेवाएं समाप्त नहीं हुई ।

दिनांक 12-4-90 को जिला सहायक निबन्धक, शाहजहांपुर द्वारा उक्त समिति के अध्यक्ष/सचिव को उक्त की गई नियुक्तियां निरस्त किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था । चूंकि सेवाएं समाप्त नहीं की गई थी अतः नियुक्त कर्मचारियों को वेतन दिया जाता रहा । उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, बरेली मण्डल, बरेली के आदेश दिनांक 21-8-90 के तहत उक्त कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं ।

उक्त अवैधानिक नियुक्तियां एवं अन्य गम्भीर अनियमितताएं करने के आरोप में उप निबन्धक के आदेश दिनांक 29-5-90 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित कर दिया गया तथा उप निबन्धक, बरेली मण्डल, बरेली के आदेश दिनांक 27-9-90 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर प्रशासनिक कमेटी नियुक्त कर दी गई है ।

बरेली विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा निर्मित पत्रकार कालोनी के निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने की मांग

93–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पत्रकार कालोनी के निर्माण पर 40 प्रतिशत अनुदान देने की कोई घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त घोषणा के अनुसार अनुदान न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या वर्तमान मुख्य मंत्री उक्त घोषणा को पूरा करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में हुये अग्निकांड से जले मकान के परिवारों को आर्थिक सहायता दिया जाना

94–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1985 में ग्राम हुसैनपुर, सकरवारी, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद आग से पूरी तरह जल गया था ? यदि हां, तो जिन लोगों के मकान जले थे उन सबको किस-किस स्रोत से कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गयी थी ? क्या मुख्य मंत्री उसकी सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

ग्राम हुसैनपुर सकरवारी, परगना व तहसील-अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में अग्निकांड की घटना 1985 में न होकर दिनांक 18-5-1984 को हुई थी । इस अग्निकांड से 30 परिवारों के मकान जले थे । जिनमें से 9 मकान पूर्णरूप से व 21 मकान आंशिक रूप से जले थे । इन सभी परिवारों को रु0 6450/-अहैतुक सहायता मद से वितरित किया गया । पूर्ण रूप से जले मकानों के लिए संबन्धित प्रत्येक परिवार को रु0 400/- की दर से तथा आंशिक रूप से जले मकानों के लिए प्रत्येक परिवार को रु0 200/-की दर से कुल रु0 7800/- गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया है ।

अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों की सूची में उनको वितरित की गई धनराशि के विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 101 पर)

जनपद शाहजहांपुर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ चौकियों तथा आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था किया जाना

95–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद व तहसील तिलहर के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ चौकियां कायम कर दी गयी है ? यदि हां, तो कहां-कहां तथा क्या-क्या आवश्यक वस्तुयें इन चौकियों पर उपलब्ध करा दी गयी है ? चौकियों की स्थापना के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायकों को सूचना न देने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

माह जुलाई, 1990 के द्वितीय सप्ताह में बाढ़ आने पर जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में 24 व तहसील तिलहर के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में 31 बाढ़ सुरक्षा चौकियां कायम की गयी । जलालाताद तथा तिलहर तहसीलों में स्थापित बाढ़ चौकियों की सूची संलग्न है ।

इन समस्त बाढ़ चौकियों पर आवश्यकतानुसार समुचित मात्रा में भुना चना, लाई, गुड़, चना, वनस्पति घी, आलू, मोमबत्ती, माचिस आदि एवं मनुष्यों तथा पशुओं के लिए आवश्यक दवायें उपलब्ध करा दी गयी थीं ।

वर्ष 1990 में बाढ़ सुरक्षा योजना में जिन स्थानों पर बाढ़ चौकियां स्थापित करना दर्शाया गया, उन्हीं स्थानों पर वर्ष 1989 में बाढ़ चौकियां स्थापित की गयी थीं व इस प्रकार वर्ष 1989 एवं 1990 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । चूंकि वर्ष 1989 की बाढ़ चौकियों की स्थापना का निर्णय तत्कालीन विधायकों की उपस्थिति में दिनांक: 1-8-89 को सम्पन्न हुई जिला परामर्शदात्री आपातकालीन सहायता समिति की बैठक में हुआ था, अत: वर्ष 1990 में भी सूची वही होने के कारण विधायकों को सूचना नहीं दी गयी ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 102 पर)

श्री हनुमान प्रसाद कुरील को राजनैतिक पेंशन देने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र की जांच का मामला तथा कथित रूप से फर्जी प्रमाण-पत्र मान कर मुकदमा चलाने की मांग

96–श्री मोतीलाल देहलवी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारां-कित प्रश्न संख्या–89 और उसमें संलग्न प्रमाण-पत्र तथा विधान सभा के तृतीय सत्र सन् 1990 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारां0 प्रश्न सं0–88 के दिए गए उत्तरों के संदर्भ में क्या राजनैतिक पेंशन एवं कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री हनुमान प्रसाद की पेंशन बन्द करने के आदेश अभी तक निर्गत न किए जाने के क्या कारण हैं ? आदेश कब तक निर्गत किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो दोनों प्रमाण-पत्रों में से वास्तविक प्रमाण-पत्र कौन सा है ?

इसी संदर्भ में क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या बिना वल्दियत और बिना सकूनत के दिया गया कोई प्रमाण-पत्र शासन में मान्य हो सकता है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? यदि नहीं, तो हनुमान प्रसाद द्वारा जिलाधिकारी कानपुर देहात को दिए गये कथित प्रमाण-पत्र को जाली और फर्जी प्रमाण-पत्र मानकर शासन द्वारा हनुमान प्रसाद के विरुद्ध धारा 420 आदि का मुकदमा अभी तक कायम न किये जाने के कारण क्या हैं ? मुकदमा कब तक कायम कर दिया जायेगा ?

श्री हरीश कुमार गंगवार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आदर्श कारागार (केन्द्रीय कारागार) लखनऊ में श्री हनुमान प्रसाद कुरील को बन्दी बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

97–श्री मोती लाल देहलवी–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारां0 प्रश्न संख्या 90 के दिए गये उत्तर के संदर्भ में क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब हनुमान प्रसाद कुरील को जेल में धारा 117/448/353 के अंतर्गत दाखिल किया गया

था तो मुक्ति रजिस्टर नं0-7 के अनुसार श्री कुरील के जेल से मुक्त होते समय धारा 117 व धारा 353 कैसे गायब हो गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जेल दाखिले के समय जो धारा 117 और 353 थी उसे बदलने का रहस्य क्या है ? इसी संदर्भ में क्या कृपया यह भी बतायेंगे कि जेल में बन्दियों संबंधी कितने और कौन-कौन रजिस्टर होते हैं और प्रत्येक रजिस्टर में बन्दी का क्या-क्या विवरण अंकित किया जाता है ?

श्री हरीश कुमार गंगवार–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे मंगलवार के लिये कारागार विभाग से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न संख्या-89 का उत्तर दिया गया था ।

सिद्धदोष बन्दी प्रवेश रजिस्टर के अनुसार श्री हनुमान प्रसाद को न कि हनुमान प्रसाद कुरील को धारा-117/448/353 के अन्तर्गत कारागार में दाखिल किया गया था और कारागार से मुक्ति के समय मुक्ति रजिस्टर में धारा 147/448 के अन्तर्गत मुक्त दिखाया गया है । प्रवेश एवं मुक्ति रजिस्टर में अंकित धाराओं के विवरण में भिन्नता त्रुटिवश हुई प्रतीत होती है, और इस त्रुटि का कोई विशेष महत्व नहीं है । यह मामला अप्रैल 1948 का है और इसलिये उक्त त्रुटि के संबंध में और कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

कारागार में बन्दियों के प्रवेश एवं मुक्ति के दो रजिस्टर होते हैं । बन्दी प्रवेश रजिस्टर में बन्दी का नाम, पिता का नाम पता, अपराध संख्या, धारा जिसके अन्तर्गत सजा दी गई है, सजा का विवरण, सम्भावित मुक्ति की तिथि, बन्दी के पहचान चिन्ह, प्रवेश के समय उसके वस्त्रों का विवरण, स्वास्थ्य परीक्षण का विवरण, बन्दी को आवंटित श्रम का विवरण तथा कारागार से बन्दी की रिहाई की तिथि आदि अंकित की जाती है। बन्दी मुक्ति रजिस्टर में प्रत्येक तिथि को मुक्त होने वाले बन्दियों की प्रवेश रजिस्टर संख्या, नाम, अपराध की धारा सजा की तिथि, सजा की अवधि और बन्दी को रिहा किये जाने का कारण अंकित किया जाता है ।

98–श्री मोती लाल दहेलवी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

99–श्री ओम प्रकाश गुप्त–

[2रे सोम में अता0 प्र0 सं0 196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

100–डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा कैथी जलालपुर आदि ग्राम सभाओं को भूमिहीनों को दिये गये पट्टों पर कब्जा दिया जाना

101–श्री जयराज गौतम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कादीपुर सुल्तानपुर के अंतर्गत ग्राम सभा कैथी जलालपुर तथा ग्राम सभा ढेकहा मिश्रपुर में भूमिहीनों को दिए गए पट्टों पर कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

ग्राम सभा कथैी जलालपुर में कुल 41 व्यक्तियों को किये गये पट्टों में से 35 व्यक्तियों को पूर्णतया तथा 2 व्यक्तियों को आंशिक रूप से कब्जा दिला दिया गया है । ग्राम मिश्रपुर ढेकहा के समस्त पट्टेदार काबिज हैं ।

ग्राम सभा कथैी जलालपुर के उक्त 2 व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर बांसकोठी होने तथा अन्य शेष 4 व्यक्तियों में से 2 को अकृषक भूमि आवंटित हो जाने एवं 2 व्यक्तियों को दोहरा पट्टा हो जाने के कारण कब्जा नहीं दिलाया गया है । इन पट्टेदारों के पट्टे निरस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की गई है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद, टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष को चकबन्दी कमेटी में रखे जाने का प्राविधान

102–श्री राम लखन वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चकबन्दी प्रक्रिया टाउन एरिया क्षेत्र में भी लागू होती है ? यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र की टाउन एरिया के अध्यक्ष को चकबन्दी कमेटी में किस पद पर रखे जाने का प्राविधान है ? क्या फैजाबाद के टाउन एरिया बीकापुर के अध्यक्ष, श्री गयाराम वर्मा को चकबन्दी कमेटव में रखा गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

दिनांक 7 जुलाई, 1949 को विद्यमान टाउन एरिया क्षेत्र में चकबंदी प्रक्रियाए लागू नहीं होती हैं।

चकबंदी नियमावली के अधीन प्राविधान है कि कलेक्टर सम्बद्ध स्थानिक प्राधिकारिकी के अध्यक्ष से परामर्श करके निर्धारित संख्या में उस क्षेत्र के निवासियों में से योग्य सदस्यों को नामित करेंगे । यदि नामित व्यक्तियों में स्थानिक प्राधिकारिकी का अध्यक्ष भी हो, तो वह चकबंदी कमेटी का अध्यक्ष भी होगा ।

जी नहीं । बीकापुर में टाउन एरिया का गठन माह सितम्बर, 1989 में हुआ है, अतएव पूर्व में गठित चकबंदी समिति ही नियमानुसार कार्यरत रहेगी ।

कारागार मुख्यालय में स्थानीय निधि लेखा विभाग उ0 प्र0 द्वारा प्रतिनियुक्ति पर सम्परीक्षकों को वापस किया जाना

103–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कारागार लिपिक वर्ग एवं वाणिज्यिक सेवा नियमावली 1983 शासनादेश संख्या 1522/बाईस-82-1366-61, दिनांक 8 फरवरी, 1983 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत सम्परीक्षकों के पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने थे ? यदि हां, तो कारागार मुख्यालय में स्थानीय निधि लेखा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिनियुक्ति पर संपरीक्षकों को बुलाये जाने का क्या कारण है ? स्थानीय निधि लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर बुलाये गये संपरीक्षक कब तक वापस कर दिए जायेंगे ?

श्री हरीश कुमार गंगवार–

जी हां ।

सीधी भर्ती पर रोक लगने के कारण संपरीक्षकों के पद हेतु नियमित चयन नहीं हो सका ।

यथाशीघ्र नियमित चयन के बाद स्थानीय निधि लेखा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आये सम्परीक्षकों को वापस कर दिया जायगा ।

आयुक्त गन्ना एवं चीनी कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक पद हेतु आमंत्रित आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाना

104–श्री राम चना बख्श सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त गन्ना एवं चीनी कार्यालय द्वारा 24 दिसम्बर, 1989 को "स्वतंत्र भारत" में विज्ञापित अनु0 जा0/अनु0 ज0 जा0 हेतु कनिष्ठ लिपिक के 18 पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों पर नियुक्तियां कर ली गईं ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया द्वारा ? यदि नहीं, तो कब तक किये जाने की संभावना है ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

जी नहीं ।

चीनी अधिष्ठान में 18 कनिष्ठ लिपिकों के पद भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे परन्तु विचारोपरान्त यह पाया गया कि वहां अनुसूचित जाति/जन जाति का निर्धारित कोटा पूरा है । अतः ऐसी स्थिति में आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया ।

जनपद फैजाबाद में क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी का रिक्त पद न भरे जाने का कारण

105–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि फैजाबाद मण्डल के सभी जनपदों विशेषकर बाराबंकी एवं फैजाबाद में पर्यटन विकास की कई योजनायें चल रही हैं ? यदि हां, तो वे योजनायें कौन-कौन हैं ? क्या यह सही है कि फैजाबाद के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी का पद विगत कई वर्षों से रिक्त है जिसके कारण पर्यटन संबंधी कार्य धीमी गति से हो रहा है ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त स्थान के न भरे जाने का क्या कारण है ?

नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

जी हां ।

फैजाबाद मण्डल के सभी जनपदों में पर्यटन विभाग की निम्नलिखित योजनायें चल रही हैं :–

1–अयोध्या में राम कथा पार्क का निर्माण ।

2–अयोध्या में ओपेन एयर थियेटर तथा मार्गीय सुविधा का निर्माण ।

3–फैजाबाद में मार्गीय सुविधा का निर्माण ।
4–भरत कुण्ड में शेडो/विद्युतीकरण का निर्माण ।
5–देवा शरीफ (बाराबंकी) में पर्यटक आवास गृह का निर्माण ।
6–जनपद सुल्तानपुर में बिजेथुआ महावीर मंदिर निर्माण ।
7–बलरामपुर (गोंडा) में पर्यटक आवास गृह का निर्माण ।
8–श्रावस्ती (बहराइच) में पर्यटक आवास गृह का निर्माण ।
9–फैजाबाद में स्थित राजा दशरथ की समाधि स्थल तथा शृंगी ऋषि आश्रम का जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यीकरण

10–अयोध्या (फैजाबाद) में मऊ शिवाला मन्दिर का जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यीकरण

11–जनपद फैजाबाद में राम चौरा ग्यासपुर का पर्यटन विकास

12–जनपद बहराइच में सीता दुहार एवं विश्वशांति घंटा श्रावस्ती का सौन्दर्यीकरण

13–जनपद बाराबंकी में पारिजात वृक्ष की कीड़ों से सुरक्षा

14–बाराबंकी में नागेश्वर नाथ मन्दिर का पर्यटन विकास

15–महादेवा (बाराबंकी) में रैन बसेरा का निर्माण

16–जनपद सुल्तानपुर स्थित मलिक माहम्मद जायसी की समाधि का जीर्णोद्वार एवं पर्यटन विकास

17–सुल्तानपुर में मूर्ति शेड का निर्माण

18–फैजाबाद बिलहरिया से राम चौरा घाट का निर्माण

19–भगवानपुर (गोंडा) जलाशय का पर्यटन विकास ।

जी नहीं ।

क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी फैजाबाद का पद दिनांक 15-10-1990 से रिक्त है किन्तु इस बीच क्षेत्र का कार्य देखने हेतु क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ को अधिकृत कर दिया गया है ।

विभाग में क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारियों के पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं ।

श्री यशोदानन्द लाल, बिक्रीकर अधिकारी, वाराणसी की अनियमितताओं की जांच की मांग

106–श्री दयाराम भाष्कर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राज बहादुर अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश ने विगत दिनांक 25-6-90 को पत्रांक बी0 एस0 पी0, 128/90 द्वारा श्री यशोदानन्द लाल, बिक्रीकर अधिकारी, राज्य प्रतिनिधि, वाराणसी के कार्यों के बारे में उन्हें दिया है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी से करायी गयी एवं विभिन्न आरोपों के बारे में क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर, वाराणसी द्वारा कराई गयी । जौनपुर के कार्य-काल में श्री लाल द्वारा की गयी अनियमितताओं के लिए उन्हें शासनादेश सं0 बि0क0-1-1180(3)/दस-973(107)/86, दिनांक 25-6-87 द्वारा निलम्बित करके विभागीय जांच करायी गयी तथा आदेश सं0 बि0क0-1-4247/दस-973(107)/86, दिनांक 18-8-89 द्वारा दो वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकने एवं प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करने तथा वर्ष 85-86 की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित करने का दण्ड दिया गया ।

जौनपुर कार्यकाल से संबंधित कतिपय अन्य अनियमितताओं के लिए पुनःशासनादेश संख्या बि0क0-1-1775/दस-973(27)/89, दि0 20-4-89 द्वारा निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही की गयी परन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निलम्बन स्थगित कर दिया गया ।

वाराणसी में आवासीय भवन का निर्माण कराने में श्री लाल द्वारा कोई अनियमितता किया जाना जांच से सिद्ध नहीं हुआ ।

चकबन्दी अभिलेख कार्यालय अकबरपुर जिला फैजाबाद में फैले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री गोपाल रामदास स0 वि0 स0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

107–श्री अकबर हुसैन बाबर–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0 121 के उत्तर के संदर्भ में राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आँध के पक्ष में नियम 109 (अ) जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत किस आधार पर तथा किस अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने पर संदर्भ निर्मित किया गया था जबकि 1972 में ही श्री महाबल सिंह की मृत्यु हो गई थी और उनके तीनों पुत्रों के चक अलग-अलग कर दिए गए थे ? उनमें से केवल एक पुत्र के चक में संदर्भ निर्मित करने का आदेश किन नियमों के आधार पर किया गया है ? क्या गलत आदेश देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ सरकार उचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

निगरानी सं0 838 निर्णित दिनांक 16-1-78 में पारित संयुक्त संचालक चकबन्दी के आदेश का अमलदरामद कराने हेतु राम अवध ने दिनांक 4-4-83 को नियम-109(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया । इस प्रार्थना पत्र के आधार पर संदर्भ निर्मित करके चकबन्दी अधिकारी, शाहजहांपुर ने दिनांक 13-2-88 को निस्तारित कर अभिलेखों में अमलदरामद कराया ।

धारा-12 के अन्तर्गत मूल वाद सं0 120/4-8-73 सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा महाबल सिंह, मृतक के वारिस विश्वनाथ सिंह, भरथराज सिंह, नन्दलाल सिंह पुत्रगण महाबल सिंह का नाम बतौर वारिस दर्ज किया गया । तीनों पुत्रों का चक संयुक्त संचालक चकबन्दी, द्वारा धारा-48(3) के अन्तर्गत निगरानी सं0 2721 निर्णय दिनांक 10-7-79 द्वारा संदर्भ बनाकर निस्तारित किया गया है । केवल एक पुत्र के चक में संदर्भ बनाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

प्रश्नगत आदेश न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, जो दोष पूर्ण नहीं है, अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा अनुमोदित टेलीप्रिन्टर आपरेटरों की नियुक्ति की मांग

108–श्री प्रेम प्रकाश तथा श्री सुन्दर लाल–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के 1ले मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0–70 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर से लखनऊ तक की टेलीप्रिन्टर लाइन न जुड़ी होने पर भी टेलीप्रिन्टर आपरेटर्स की वर्ष 1980 में नियुक्तियां करने का क्या औचित्य था ? क्या शासन अभ्यर्थियों को शीघ्र कहीं खपायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 70 के उत्तर में यह अवगत कराया गया है कि टेलीप्रिन्टर की लाइन लखनऊ से नहीं जुड़ी है इसलिए इन पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है । वर्ष 1980 में जिलाधिकारी द्वारा केवल चयन प्रक्रिया ही पूर्ण की गई थी । इस सम्बन्ध में एक चयनित अभ्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका 3594/1986 में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 29-10-88 को आदेश पारित किये हैं कि जब टेलीप्रिन्टर्स की स्थापना ही नहीं हुई तो नियुक्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कोषागार कार्यालय में कार्यरत श्री शम्भू दयाल यादव, लेखाकार का स्थानान्तरण करने की मांग

109–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ कोषागार कार्यालय में कार्यरत लेखाकार श्री शम्भू दयाल यादव वर्ष 1978 से अब तक एक सीट पर 12 वर्षों से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो स्थानान्तरण नीति के अनुसार इन्हें उक्त सीट से हटाये न जाने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ कोषागार कार्यालय में कार्यरत श्री राधेश्याम का वेतन का भुगतान तथा चिकित्सा अवकाश स्वीकृत न किया जाना

110–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कोषागार कार्यालय में कार्यरत सहायक कोषागार लेखाकार के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारी श्री राधेश्याम

का फरवरी, 1990 का वेतन अब तक न दिए जाने तथा मेडिकल अवकाश स्वीकृत न किए जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इसी कार्यालय के एक अन्य लेखाकार श्री गिरीश प्रसाद अवस्थी जिन्होंने जून, 1990 में मेडिकल अवकाश लिया था उन्हें पूर्ण वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? अनुसूचित जाति के कर्मचारी को वेतन न देने तथा अकाश स्वीकृत न करने के लिए कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लखनऊ कोषागार कार्यालय में कार्यरत सहायक कोषागार लेखाकार श्री राधेश्याम एवं श्री गिरीश प्रसाद अवस्थी को क्रमशः माह फरवरी, 1990 की अवधि में प्रार्थित चिकित्सा अवकाश, उपलब्ध चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के आधार पर स्वीकृत किये जाने के बाद वेतन आहरित किया जा चुका है । श्री राधेश्याम का वेतन दिनांक 6-10-90 को आहरित करके दिनांक 9-10-90 को भुगतान किया गया ।

जनपद फैजाबाद में तहसील बीकापुर का क्षेत्र अत्यधिक बड़ा होने के कारण नई तहसील बनाये जाने की मांग

111–श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्री शिव करन सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में तहसील बीकापुर का कार्यक्षेत्र अत्यधिक बड़ा होने के कारण स्थान कुमारगंज या शिल्कीपुर में नई तहसील स्थापित करने के संबंध में श्री राम कुमार शुक्ल एवं श्री जय शंकर पाण्डेय आदि विधायकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र माह जून/जुलाई, 1990 में राजस्व मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और नई तहसील कब तक बना दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

पुर्नगठन के सम्बन्ध में पत्र अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के पास विचारार्थ भेज दिया गया है । अभी तक समिति की संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है ।

जनगणना का कार्य चलने के कारण मण्डलों/जनपदों/तहसीलों की सीमाओं के परिवर्तन/पुनर्गठन पर भारत सरकार ने दिनांक 30 जून, 1991 तक रोक लगा रखी है ।

कानपुर रोड से मिली दुकानों को शीघ्र हटाये जाने की मांग

112–श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्री शिव करन सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में प्राधिकरण द्वारा निर्मित व्यवसायिक दुकानों का आवंटन/नीलामी की जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त सेक्टर में व्यवसायिक केन्द्र के सामने कानपुर रोड से मिली दुकानों को शीघ्र हटाया जायेगा ? यदि हां, तो यह कार्य किस तिथि तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ को जांचोपरान्त शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री यशोदानन्द लाल बिक्रीकर अधिकारी, वाराणसी का निलम्बन

113–श्री दयाराम भास्कर–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री यशोदानन्द लाल बिक्रीकर अधिकारी एवं राज्य प्रतिनिधि, वाराणसी, जौनपुर तथा जांच नौबतपुर में अपने कार्यकाल के दौरान, किसी गम्भीर आरोप में निलम्बित हुए थे ? यदि हां, तो उनमें क्या अग्रेतर कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त श्री लाल ने वाराणसी में दो भवन बनाया है ? यदि हां, तो उक्त भवन किस स्रोत से बने हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

निलम्बन आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में श्री लाल द्वारा दायर रिट याचिका सं0-5099/87 पर हुए निर्णय दि0 5-1-88 का समादर करते हुए शासनादेश सं0-बि0क0-973/दस-973(107)/86, दि0 6-4-88 द्वारा बि0 क0 अ0 के पद पर बहाल किया गया तथा विभागीय जांच के फलस्वरूप शासन के आदेश सं0-बि0क0-1-4247/दस-973(107)/86, दि0 18-8-89 द्वारा श्री लाल की दो वार्षिक वेतन-वृद्धियां स्थाई रूप से रोकी गयी हैं तथा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए वर्ष 85-86 की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित नहीं की गयी है ।

जौनपुर के कार्यकाल में ही अनियमितता बरतने के आरोप में शासन के आदेश सं0-बि0क0-1-1775/दस-973(27)/89, दि0 20-4-89 द्वारा पुनः निलम्बित किया गया, जिसके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप विभागीय जांच के उपरान्त जांचरिपोर्ट शासन को प्रेषित की गयी है । उक्त रिपोर्ट के आधार पर वृहद दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

जी नहीं,

श्री लाल ने वाराणसी में एक भूखण्ड क्रय करने की अनुमति मांगी थी, जो शासन के पत्र संख्या-बि0क0-1-934/दस-315(52)/86, दि0 8-7-88 द्वारा प्रदान की गयी है । श्री लाल को भवन निर्माण हेतु शासकीय ऋण रु0 96000/-, जी0 पी0 एफ0 से स्थाई अग्रिम के रूप में भी रु0 24000/ एवं अस्थायी अग्रिम के रूप में रु0 10000/- स्वीकृत किया गया है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ क्षेत्र में अतिवृष्टि एवं बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र को सरकार द्वारा सहायता दिया जाना

114–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के नीलकण्ठ क्षेत्र में जुलाई, 1990 में अतिवृष्टि एवं बादल फटने के कारण जन धन की भारी क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्षति का सही आकलन क्या है ? शासन द्वारा इस क्षेत्र में क्या राहत कार्य किए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के नील कण्ठ क्षेत्र में दिनांक 9-7-1990 को 5 बजे सांय नील-कण्ठ के पास पहाड़ पर बादल फटने तथा बज्रपात की घटना घटित हुई । इस दैवी प्रकोप से नीलकण्ठ क्षेत्र में लगभग 12 किमी0 क्षेत्र में चट्टाने, पेड़ तथा मलवा फैल गया ।

दुर्घटना से 2 ग्राम प्रभावित हुए । पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 96 व्यक्ति गुम हो गये । 31 व्यक्ति खोज करने पर अन्यत्र जीवित अवस्था में मिल गये, 21 शव बरामद किये जा सके, जिनमें से केवल 4 शवों की शिनाख्त हो सकी । 44 गुमशुदा व्यक्तियों का पता नहीं चल सका । 15 भवन पूर्णरूपेण व 1 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ । 165 बड़े पशुओं तथा 358 छोटे पशुओं की हानि हुई ।

इस दैवी प्रकोप से हुई क्षति का मूल्यांकन निम्न प्रकार आंका गया है–

	लाख रुपयों में
1–भवनों को हुई क्षति (16 भवन)	6.09
2–523 पशुओं के मरने से हानि	2.965
3–भवनों में घरेलू समान आदि की क्षति	1.733
4–कृषि भूमि एवं फसल को हुई क्षति	8.00
5–पेयजल योजनाओं को क्षति	3.00
6–लोक निर्माण विभाग की सड़कों को क्षति	21.28
7–दुकानों को हुई क्षति (10 दुकानें)	4.85
8–वन विभाग की सम्पदा को क्षति	22.00
9–सरकारी भूमि की क्षति	3.75
कुल क्षति रु0	73.668 लाख

घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे व राहत कार्य प्रारम्भ किये गये । पुलिस, पी0 ए0 सी0, स्थानीय श्रमिक तथा सेना की सहायता से मलवे में दबे शवों को निकालने का कार्य किया गया ।

प्रभावित व्यक्तियों को रु0 13,000 अहेतुक सहायता, रु0 19,200 गृह अनुदान, रु0 55,000 अनुग्रह अनुदान (जनहानि पर) रु0 43,000 अनुग्रह अनुदान (पशुहानि पर) कुल रु0 1,30,200 की आर्थिक सहायता दैवी आपदा के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि में से दी गई है । माननीय मुख्य मंत्री जी के सहायता कोष से भी रुपये 1,65,000 की धनराशि दी गई है । इस प्रकार कुल रु0 2,95,200 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ।

जनपद चमोली के अतिवृष्टि एवं भूस्खलन के कारण प्रभावित परिवारों को राहत धनराशि दिया जाना

115–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माह जुलाई, 1990 में जनपद चमोली के अतिवृष्टि एवं भूस्खलन के कारण जन धन की हानि हुई है ? यदि हां, तो कितनी और शासन द्वारा प्रभावित परिवारों को दी गयी राहत का ब्योरा क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद चमोली में माह जुलाई, 1990 में अतिवृष्टि/भूस्खलन एवं बज्रपात से 183 ग्राम 153-725 हेक्टेयर क्षेत्रफल, 60.076 हेक्टेयर कृषिगत क्षेत्रफल प्रभावित हुआ रु0 2,43,600 की फसल को अनुमानित क्षति हुई है ।

रु0 1,04,12,000 की व्यक्तिगत सम्पत्ति व रु0 3,70,64,000 की सार्वजनिक सम्पति की अनुमानित क्षति हुई । 5 व्यक्तियों व 21 जानवरों की मृत्यु हुई है । इसके अतिरिक्त 84 मकान पूर्ण रूप से तथा 73 मकान आंशिक रूप से क्षति-ग्रस्त हुए ।

राहत के रूप में प्रभावित व्यक्तियों को रु0 1,23,200 अहेतुक सहायता रु0 2,60,600 गृह निर्माण अनुदान व रु0 1,76,700 अनुग्रह अनुदान का वितरण किया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सम्पत्ति सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं आदि की जो क्षति हुई, उनकी मरम्मत संबंधित विभागों द्वारा की जा चुकी है ।

जनपद आजमगढ़ के निबन्धक कार्यालय सगड़ी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

116–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के 4थे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 144 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र में क्या शिकायत की गयी थी ? जांच के लिए किस प्रक्रिया का सुझाव दिया गया था और जांच किस प्रकार की गयी ? जांच कर्ता ने किन-किन व्यक्तियों का साक्ष्य लिया ? क्या जांच की तिथि एवं समय की सूचना प्रश्नकर्ता को दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त मामले की पुनः जांच कराई जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत पत्र में निबन्धन कार्यालयों में अवैध वसूली की शिकायत की गयी थी ।

सदन के तीन सदस्यों की एक समिति गठित किये जाने तथा उसके द्वारा पूरी छान-बीन कर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का सुझाव दिया गया था । उक्त जांच उप

महानिरीक्षक द्वारा कराई गयी । जांचकर्ता द्वारा निम्नांकित 14 व्यक्तियों के साक्ष्य लिये :–

1–श्री मुकन्दचन्द-क्रेता पुत्र गोवर्धन सा0 पिपरी ।

2–श्री विन्द्रश्वरी-विक्रेता पुत्र सुभग्गा-सा0 मेबढ़िया ।

3--श्री अशोक विक्रेता-पुत्र रामसकल सा0 जोकहरा ।

4–श्री नरहरि उपाध्याय क्रेता-पुत्र मार्कण्डे, सा0 सान्हेपुर ।

5–श्री सस्यदेव क्रेता-पुत्र रामलगन सा0 दवारा जदीद ।

6–श्री श्याम बहादुर क्रेता-पुत्र अमरदेव, सा0-दिलशादपुर ।

7–श्री कल्पू क्रेता पुत्र मतई सा0-आराजी दवारा ।

8–श्री सर्वजीत क्रेता पुत्र-अकलू सा0 इसरहा ।

9–श्रीमती फातमा क्रेता-पत्नी हसन इमाम, सा0 पारीपट्टी ।

10–श्री लालता क्रेता-पुत्र खेलावन सा0टड़वा ।

11–श्री साहब क्रेता-पुत्र वांशराज सा0मिरजापुर ।

12–श्री परवन क्रेता पुत्र द्वारिका सा0 सुरजीपुर ।

13–श्री रघुवर पुत्र रामकिसन, सा0 महुलतगढ़ ।

14–श्री कालिका पुत्र रघुनन्दन सा0 मटौली ।

प्रश्नकर्ता के जांच की तिथि एवं समय की सूचना नहीं दी गयी थी, क्योंकि जांच के लिए संबंधित पक्षकारों को साक्ष्य देने हेतू सूचित कर दिया गया था ।

वर्तमान में पुन: जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 घोसी जनपद मऊ में हुई अनियमितता के संबंध में कार्यवाही की मांग

117–श्री पंचानन राय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 घोसी जनपद मऊ की अजमतगढ़ स्थित गोदामों के निर्धारण में अनियमितता से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 मार्च, 1990 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम शरण दास–

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, घोसी जनपद मऊ की अजमतगढ़ स्थित गोदाम के निर्माण में अनियमितता से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 मार्च, 1990 उपलब्ध नहीं हुआ है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के गांव शाहपुर थाना बड़ागांव के श्री देवीचरण पुत्र श्री हरिनन्दन को राजनैतिक पेंशन न दिया जाना

118—श्री उदल—

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में गांव शाहपुर थाना बड़ागांव जिला वाराणसी के देवीचरण पुत्र हरिनन्दन को भाग लेने के कारण थाना बड़ागांव में बन्द किया गया था और सेन्ट्रल जेल वाराणसी में दो माह नजर बन्द रखा गया था ? परन्तु उन्हें उक्त आशय का प्रमाण पत्र न दिये जाने के कारण वे राजनैतिक पेंशन से वंचित रह गये ? क्या सरकार इनके घर शाहपुर थाना बड़ागांव वाराणसी किसी उच्चधिकारी को भेज कर इसकी जांच करायेगी और इन्हें सहायता प्रदान करेगी ? क्या यह सही है कि उक्त संग्राम में इनके साथ स्व0 श्री मूलन, दीप नारायण द्वारिका प्रसाद, खदेरू, बलिकरन, रूपनारायण ने भी भाग लिया था और वे दो-दो माह नजरबन्द रहे लेकिन सार्टिफिकेट न दिये जाने के कारण वे भी शासकीय सहायता से वंचित रह गये ? यदि हां, तो क्या सरकार सेन्ट्रल जेल वाराणसी व थाना बड़ागांव के सन् 1942 के कागजात की जांच करायेगी ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

जिलाधिकारी, वाराणसी से जांच करायी गयी, जिसमें इन व्यक्तियों का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना प्रमाणित नहीं हुआ है ।

119—श्री उदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री आविद खां, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा दौभिया फत्तेपुर, जिला हरदोई द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करवाना

120—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री प्रताने की कृपा करेंगे कि श्री आविद खां, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा दौभिया फत्तेपुर, विकास खण्ड टण्डियावा तह0 व जिला हरदोई द्वारा ग्राम समाज की परती भूमि तथा आवासीय भूमि पर हरिजनों से तथा अपने परिवार के लोगों द्वारा कब्जा करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराकर अवैध कब्जों को हटाने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

मामले की जांच पहले ही क्षेत्रीय नायब तहसीलदार से कराकर अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122(बी) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया जो तहसीलदार, हरदोई के न्यायालय में विचाराधीन है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 द्वारा चयनित सूचनाधिकारियों की नियुक्तियों के आदेश

121—श्री दीप नारायण—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा सूचना विभाग उ0 प्र0 के लिए विगत दिसम्बर, 1989 में जिला सूचनाधिकारी के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो अभ्यर्थियों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? क्या प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को भी बढ़े हुए पदों पर तैनात करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक इनकी नियुक्ति हो जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । जिला सूचना अधिकारी के 15 पदों के लिये दिसम्बर, 1989 में लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया गया था ।

इनमें से 13 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं । शेष दो अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में औपचारिकताओं के पूर्ण होते ही नियुक्ति आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की मांग

122—श्री चरण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में दिनांक 30-6-1990 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने स्थायी पद रिक्त हैं इन रिक्त पदों पर कर्मचारियों को स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त रिक्त पदों पर कर्मचारियों को कब तक स्थायी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

दिनांक 30-6-1990 तक चतुर्थ श्रेणी के 148 स्थायी पद रिक्त थे । इन पदधारकों की निर्धारित औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और स्थायीकरण हेतु आगे आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । शेष पदधारकों की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर उनके स्थायी किये जाने के आदेश जारी किये जा सकेंगे ।

जनपद फैजाबाद की तहसील टाण्डा के संग्रह अनुभाग के कर्मचारियों को सन् 81 का वेतन देने की मांग

123—श्री राम लखन वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद के संग्रह अनुभाग के कर्मचारियों का अप्रैल, सन् 1981 का वेतन अभी तक भुगतान नहीं हो सका है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है और कब तक उसका भुगतान हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

तहसील टाण्डा जनपद फैजाबाद में कार्यरत 12 संग्रह अमीन, 12 संग्रह चपरासी, 2 सहायक बासिल बाकी नवीस एवं एक संग्रह नायब तहसीलदार का माह अप्रैल, 1981 का वेतन बिल रु0 10,887.70 कोषागार, फैजाबाद में पारण हेतु प्रस्तुत किया गया था किन्तु उक्त बिल कोषागार फैजाबाद से पारण के पश्चात् जब कई दिनों तक प्राप्त नहीं हुआ तब इसकी छानबीन की गयी जिससे यह बात जानकारी में आयी कि कथित बिल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त करके स्टेट बैंक, फैजाबाद से भुगतान प्राप्त कर लिया गया है जिसके पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13-5-81 को दर्ज करायी गयी । पुलिस विभाग द्वारा मामले की जांच की गयी और अन्तिम रिपोर्ट संख्या 25 दिनाक 18-2-85 द्वारा इस मामले को अन्तिम रूप दे दिया गया ।

उक्त वेतन बिल के पुनर्आहरण की स्वीकृति जिलाधिकारी, फैजाबाद को शासन द्वारा दिनांक 17-1-91 को प्रदान कर दी गई है ।

जिला नैनीताल की तहसील गदरपुर में भूमि पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध बेदखली वाद दायर किया जाना

124–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील गदरपुर, जिला नैनीताल के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम श्याम नगर में कुल कितनी भूमि है तथा खातेदार के पास अलग-अलग कितनी भूमि है ? उक्त ग्राम की जो भूमि जिन लोगों के अवैध कब्जों में है उनमें से कितनों के विरुद्ध बेदखली वाद दायर किये गये ? क्या निर्णीत वादों के आदेशों को निस्तारित कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त आदेशों को क्रियान्वित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

तहसील गदरपुर जिला नैनीताल के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम श्याम नगर में कुल 156–417 हे0 भूमि है । खातेदारों के पास अलग-अलग कुल 114–726 हे0 वर्ग 1-(क) संक्रमणीय भूमिधर तथा 11–317 हे0 भूमि वर्ग-1-ख गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टेदारों की कुल 126–043 हे0 भूमि है ।

अवैध कब्जेदारों के नाम श्रेणी–4 में 10–102 हे0 भूमि दर्ज अभिलेख है जिनकी बेदखली दायर की गई । इनमें से 4 व्यक्तियों की 2-962 हे0 भूमि पूर्व 1381 फ0 से कब्जा होने के कारण शासनादेश के अनुसार नियमित किये जाने के लिए धनराशि जमा कराई गई । एक कब्जेदार ने अपने कब्जे की 2-387 हे0 भूमि0 का 229 बी के अन्तर्गत दावा किया है ।

दो निर्णीत वादों की 2-055 हे0 भूमि का कब्जा लिया जा चुका है ।

चूंकि क्रियान्वयन हो चुका है, अतः पुनः क्रियान्वयन का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में स्थित चीनी मिल पर कृषकों के बकाये धनराशि का भुगतान करने की मांग

125–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में स्थित चीनी मिल पर बकाया रुपया होने के कारण उसका अधिग्रहण किया गया ? क्या गन्ना कृषकों का करोड़ों रुपया उक्त चीनी मिल पर आज भी बाकी है, उसका भुगतान अभी तक सरकार द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त बकाया का भुगतान न करने का क्या कारण है तथा इस बकाया धनराशि का भुगतान सरकार कब तक करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

कटौती के विवरण, जो विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं, के अनुसार गन्ना मूल्य की बकाया धनराशि रु0 1,94,01,432,21 है । बकाये भुगतान के मामले विहित प्राधिकारी के समक्ष दायर हैं । उनके निर्णय के पश्चात् मिल को देय प्रतिकर में से इसका भुगतान किया जाना है ।

वाराणसी महानगर में वर्षा के कारण गिरे मकान से पीड़ित तथा मृतकों को अनुग्रह सहायता प्रदान किया जाना

126–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष वर्षा के कारण वाराणसी महानगर में मकान गिरने की कितनी घटनायें हुई एवं उक्त दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई ? क्या पीड़ितों व मृतकों के परिजनों को सहायता स्वरूप कोई अनुग्रह राशि दी गयी ? यदि हां, तो किन लोगों को और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वाराणसी महानगर में वर्ष 1990 की अतिवृष्टि से 12 आवासीय भवनों के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की घटनायें हुई तथा तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

क्षतिग्रस्त भवनों के स्वामियों में मकान नं0–54/16, दारानगर के स्वामी को छोड़कर, जोकि शासन द्वारा निर्धारित मानक की परिधि में नहीं आते हैं, शेष 11 मकानों के स्वामियों को नियमानुसार प्रति 250 रु0 की दर से कुल रु0 2750/- गृह अनुदान के रूप में तथा मृतकों के वारिसों को प्रति मृतक रु0 5,000 की दर से कुल रु0 15,000 रु0 की अनुग्रह सहायता प्रदान की गई ।

पुलिस सेवा अनुभाग-1 के अनुभाग अधिकारी के स्थानान्तरण की मांग

127–श्री राज किशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस सेवायें अनु0-1 में वर्तमान अनुभाग अधिकारी को इस अनुभाग में कार्य करते कितने वर्ष हो गये हैं ? क्या इनका स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अनुसार शासन द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उन्हें उक्त अनुभाग में बने रहने का क्या औचित्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1 के वर्तमान अनुभाग अधिकारी इस अनुभाग में दिनांक 13 जुलाई, 1990 के अपराह्न से कार्यरत हैं । इनका स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत वित्त विभाग से गृह विभाग में किया गया था । चूंकि उन्होंने अभी हाल में ही में उक्त अनुभाग में कार्यभार ग्रहण किया है, अतः स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत उनके अभी स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

ईंट भट्टा समाधान योजना के अन्तर्गत बिक्रीकर विभाग के अधिकारी द्वारा ईंट भट्टों की जांच का प्राविधान

128–श्री मोती लाल दहेलवी–

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ईंट भट्टा समाधान योजना के अन्तर्गत ईंट भट्ठा का भौतिक सत्यापन-निरीक्षण अथवा सर्वेक्षण का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो किस नाम से ? यदि नहीं, तो भट्ठे के पावनों की जानकारी का आधार क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। ईंट भट्ठों के द्वारा समाधान योजना के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र/शपथ पत्र में अंकित तथ्यों, जिसमें पावनों की संख्या का भी उल्लेख होता है, के संबंध में बिक्रीकर विभाग के अधिकारी द्वारा ईंट भट्ठों की जांच करने का प्राविधान है ।

बिक्रीकर विभाग में ईंट भट्टों वालों से पंजीयन शुल्क तथा क्रय-विक्रय शुल्क लिया जाना

129–श्री मोती लाल दहेलवी–

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर विभाग में बिक्रीकर के अतिरिक्त कोई अन्य कर या शुल्क भी ईंट भट्ठे वालों से लिया जाता है ? यदि हां, तो उसे किस-किस शुल्क के नाम से लिया जाता है और ऐसे कर या शुल्क वसूलने का आधार क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त को निम्न दो नामों से लिया जाता है :—

(क) पंजीयन शुल्क ।

(ख) क्रय-विक्रय पर देय कर के विकल्प में समाधान राशि के रूप में एक मुश्त धनराशि ।

पंजीयन शुल्क उन्हीं ईंट भट्ठों से लिया जाता है जिनका वार्षिक विक्रय धन रु0 50,000 अथवा अधिक है । समाधान राशि बिक्रीकर अधिनियम की धारा-7-घ के अन्तर्गत देय कर के विकल्प के रूप में शासन के निर्देशों के अनुसार एक मुश्त धनराशि के रूप में स्वीकार किया जाता है । सीजन वर्ष 1988-89, सीजन वर्ष 1989-90 तथा सीजन वर्ष 1990-91 हेतु ईंट भट्ठों में पायों की संख्या के आधार पर समाधान राशि निर्धारित की गई है।

जनपद बस्ती, बभनान की चीनी मिल पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया

130–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्यों गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल, बभनान, जनपद बस्ती पर किसानों का कितना रुपया बाकी है ? क्या सरकार द्वारा इस मिल की नीलामी करके गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो गन्ना किसानों के पैसे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास–

दिनांक 15-11-1990 तक की स्थिति के अनुसार चीनी मिल बभनान (गोण्डा) पर गन्ना किसानों का रु0 12085410.40 पैसा गन्ना मूल्य का भुगतान के लिये अव-ेा है ।

जी नहीं ।

किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान नये प्रबन्ध तंत्र द्वारा वर्ष 1990-91 सीजन के अन्त तक कर देने का आश्वासन दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में दस स्थानों पर नयी चीनी मिलों की स्थापना के संबंध में भारत सरकार से आशय पत्र प्राप्त

131–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1990-91 में उत्तर प्रदेश में नयी चीनी मिलें लगाये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में खोली जायेंगी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मिल किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी?

श्री राम शरण दास–

जी हां।

वर्ष 1990-91 में निम्नलिखित दस स्थानों पर निजी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना हेतु भारत सरकार से आशय पत्र प्राप्त हुए हैं :–

1–अगौता	जनपद बुलन्दशहर
2–तितावी	जनपद मुजफ्फरनगर
3–मलकपुर	जनपद मेरठ
4–धनौरा	जनपद मुरादाबाद
5–निचलौल	जनपद महराजगंज
6–असमौली	जनपद मुरादाबाद
7–मझावली	जनपद मुरादाबाद
8–शोहरतगढ	जनपद सिद्धार्थनगर
9–रामगढ़	जनपद सीतापुर
10–रोजागांव	जनपद बाराबंकी

परगनाधिकारी सण्डीला, हरदोई को प्रभावित करके प्रभावशाली लोगों द्वारा ग्राम सभा की भूमि की श्रेणी को अवैध रूप से परिवर्तित किया जाना

132–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री धनीराम ग्राम प्रधान ग्राम सभा पखर पाटी, तहसील सण्डीला जिला हरदोई का प्रार्थना-पत्र फरवरी, 89 में उन्हें इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा परगनाधिकारी सण्डीला को प्रभावित करके ग्राम सभा की भूमि संख्या 206 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 3 बिस्वांसी श्रेणी-5 से श्रेणी-6 में अवैध रूप में परिवर्तित करा लिया गया है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। परगनाधिकारी, सण्डीला जिला हरदोई द्वारा अच्छू आदि के प्रार्थना पर नायब तहसीलदार की जांच आख्या के आधार पर दिनांक 10-12-1986 को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि को श्रेणी 5 से खारिज करके श्रेणी 6 के अन्तर्गत अंकित करने का आदेश पारित किया गया था ।

श्री धनीराम प्रधान ग्राम सभा पखपाटी तहसील सण्डीला, जिला हरदोई के प्रार्थना-पत्र पर प्रश्नगत भूमि की स्थलीय जांच तहसीलदार सण्डीला द्वारा करायी गयी। तहसील-दार की रिपोर्ट के आधार पर परगनाधिकारी सण्डीला के न्यायालय में कागजात दुरुस्ती का मामला विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम घोरहरा के श्री सूर्यदीन पुत्र श्री कड़ेदीन का आवेदन पत्र एस0 डी0 एम को नियुक्ति हेतु दिया जाना

133–श्री दयाराम भास्कर–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–122 दिनांक 18-7-90 जिसके साथ श्री सूर्यदीन पुत्र कड़ेदीन अनुसूचित जाति ग्राम घोरहरा, पो0 चिलबिला, परगना व तहसील सदर, प्रतापगढ़ का आवेदन पत्र संलग्न है तथा जो जिला-धिकारी प्रतापगढ़ एवं एस0 डी0 एम0 सदर लालगंज द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण का पूरा कोटा न दिए जाने के बारे में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

परगनाधिकारी द्वारा नियुक्ति पर प्रतिबन्ध संबंधी आदेश दिनांक 28-12-89 प्राप्त होने के पूर्व श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति तदर्थ रूप से वरिष्ठता एवं अच्छे कार्य के आधार पर की गयी थी, परन्तु उक्त आदेश प्राप्त होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति कोटा पूर्ण करने के उद्देश्य से भी अंजनी कुमार श्रीवास्तव की सेवायें परगनाधिकारी, सदर ने अपने आदेश दिनांक 21-3-90 के द्वारा समाप्त कर दिया परन्तु श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ में रिट पिटीशन संख्या–2984 सन् 1990 दिनांक 29-3-90 के द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर प्रस्तुत कर दिया जिसको निरस्त कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

परगनाधिकारी, लालगंज द्वारा श्री राम अभिलाष पाण्डेय की नियुक्ति श्री रमाकान्त पाण्डेय के स्थानीय प्रबन्ध के द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हो जाने के फल-स्वरूप हुई रिक्ति में स्थानापन्न रूप से की गयी थी यह नियुक्ति भी नियुक्ति पर प्रति-बन्ध के आदेशों के पूर्व हुई थी, परन्तु अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण करने की दृष्टि से श्री राम अभिलाष पाण्डेय की सेवायें परगनाधिकारी, लालगंज के आदेश दिनांक 10-10-90 के अन्तर्गत समाप्त करके उनके स्थान पर एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी श्री राजाराम की नियुक्ति की गयी है ।

134–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उ0 प्र0 के कारागारों में बने विभिन्न सामानों का डिपो अमीनाबाद जनपद लखनऊ के अलावा अन्य महानगरों में भी खोले जाने की मांग

135–श्री मोती लाल दहेलवी–

क्या कारागार मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 के कारागारों में वर्ष 61 से वर्ष 90 तक विभिन्न सामानों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है जबकि कारागारों का बना सामान मात्र एक उ0 प्र0 राजकीय कारागार डिपो अमीनाबाद लखनऊ द्वारा ही बेचा जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रदेश के अन्य महानगरों में अथवा पश्चिमी क्षेत्र में कारागार डिपो खोलने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश कुमार गंगवार–

जी हां ।

जी नहीं, उत्पादक जेलों पर भी विक्रय का प्रबन्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे हटवाने की मांग

136–श्री प्रागी लाल अहिरवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मुस्तफाबाद परगना मंगलसी तहसील व जनपद सदर फैजाबाद में नाली, चकरोड, आबादी तथा अन्य ग्राम समाज की भूमि पर किन किन व्यक्तियों का अवैध कब्जा है ? क्या मंत्री जी मौके पर पैमाइश कराकर उक्त अवैध कब्जा हटाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी में बाढ़ के कारण मृतकों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान दिया जाना

137–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर-खीरी में इस वर्ष बाढ़ के फलस्वरूप कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? क्या मृतकों के परिवारों को कोई राहत राशि प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जनपद लखीमपुर-खीरी में वर्ष, 1990 में बाढ़ के कारण 32 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ।

जी हां । मृतकों के वारिसों को नियमानुसार रु0 2,10,000 रु0 की सहायता अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित की गई है ।

जिला व तहसील गाजीपुर में ग्राम सभा में आबादी एवं बंजर भूमि का आवंटन

138–श्री खुरशीद–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सुभावारपुर, जिला व तहसील गाजीपुर में आबादी एवं बंजर भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

तहसील व जनपद गाजीपुर में ग्राम सभा सुभावारपुर नहीं वरन् सुभाषरपुर है जिसमें 3 बीघा 14 विस्वा 5 धुर भूमि बंजर खाते में दर्ज है । इसमें से 9 विस्वा सार्वजनिक कुआ, 12 विस्वा बांस खूटी, 5 विस्वा 1 धूर रास्ता, 1 बीघा 8 विस्वा 1 धूर आबादी, 2 विस्वा 9 धुर सरकारी कूप, 6 विस्वा कब्रिस्तान, 5 विस्वा खलिहान है। शेष 6 विस्वा 14 धुर के संबंध मे मुकदमा अपर आयुक्त, वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन है और उक्त न्यायालय से आवंटन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण भूमि का आवंटन नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त इस ग्राम सभा में कोई आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है ।

जनपद गाजीपुर में गांव सभा की सम्पत्ति पर फर्जी अमल बरामद करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

139–श्री खुरशीद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तहसील सैदपुर के ग्राम वाजिदपुर में स्थित गाटा सं0 150, 151, 152, 153 एवं 154 फसली 1380-81 से पूर्व गांव सभा की सम्पत्ति रही है ? यदि हां, तो फसली 1383-84 में इन नम्बरानो पर जोखन पुत्र श्री राम धनी नि0 बीबीपुर का नाम किन कारणों से अंकित हुआ? क्या फर्जी अमल दरामद करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

अपर परगनाधिकारी, सैदपुर के न्यायालय में वाद संख्या–1088/403 के निर्णय दिनांक 26-6-73 के अंतर्गत संदर्भित गाटों पर श्री जोखन पुत्र श्री रामधनी का नाम अंकित किया गया था ।

क्योंकि अमलदरामद फर्जी नहीं था, इसलिए किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मनोरंजन कर, निरीक्षक ग्रेड–2 तथा वरिष्ठ लिपिक के वेतन की विसंगतियां दूर करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

140–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड-2 तथा वरिष्ठ लिपिक/आशुलिपिक के समान वेतन की विसंगतियों को दूर किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 25-3-90 के आस-पास प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–2 का वेतनमान 1200-2040 रुपये से बढ़ाकर 1400-2300 रुपये करने का प्रस्ताव मुख्य सचिव समिति (वेतन विसंगति) उ0 प्र0 लखनऊ को भेजा गया है ।

141–श्री सुरेशकुमार खन्ना–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 195 के अंतर्गत]

उप गन्ना अधिकारी श्री राम मिलन सिंह के विरुद्ध अपर गन्ना आयुक्त द्वारा जांच कराया जाना

142–श्री केदार नाथ सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय कर्मचारी संगठनों तथा कुछ अन्य शिकायतों जो तत्कालीन उप गन्ना अधिकारी गोरखपुर श्री राम मिलन सिंह के विरुद्ध थी की जांच के लिए प्रश्नकर्ता ने दिनांक 24-4-90 को कोई पत्र उन्हें दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामशरण दास–

जी हां ।

शिकायतों की जांच अपर गन्ना आयुक्त (प्रशा0) द्वारा करायी गयी । जांच में शिकायतें सही नहीं पायी गई ।

143–श्री केदार नाथ सिंह–

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 165 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर के तहसील बदलापुर कार्यालय में सरकारी कार्य की परेशानी को देखते हुए 13 कर्मचारियों के पद सृजित किया जाना

144–श्री लालता प्रसाद यादव–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील बदलापुर कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या कर्मचारियों की कमी के कारण सरकारी कार्य किए जाने में परेशानी एवं सरकारी कार्य में अनावश्यक विलम्ब होता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी स्टाफ की कमी को देखते हुए तत्काल और अधिक कर्मचारी तैनात करने की कृपा करेंगे । यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार बदलापुर तहसील कार्यालय के लिए शासनादेश संख्या-4979/1-4/89-54 बी-4/89, दिनांक 6-9-1989 में 13 कर्मचारियों के पद सृजित किए गये हैं ।

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ही पद सृजित एवं भरे जा सकेंगे ।

जनपद वाराणसी में पेंशनरों की सुविधा हेतु तथा तत्काल भुगतान हेतु ट्रेलर व्यवस्था

145–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को यह जानकारी है कि पेंशनरों सुविधा और तत्काल भुगतान हेतु कई जिले के कोषागारों में ट्रेलर व्यवस्था लागू की गई है ? किन और जिलों में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है ? क्या वाराणसी के कोषागार में भी ट्रेलर व्यवस्था लागू करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री बहादुर सिंह)–

जी हां, वर्तमान में प्रदेश के 7 जिलों में कोषागारों में ट्रेलर व्यवस्था लागू है । प्रदेश के 12 और जनपदों में यह व्यवस्था लागू किये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य जनपदों को, जिनमें वाराणसी सम्मिलित है, ट्रेलर व्यवस्था के अन्तर्गत यथासमय लिया जाना प्रस्तावित है ।

तहसील अकबरपुर के हरिजन श्री अलगू के पत्र पर जांच तथा आर पी सुमन के पत्र पर कृत कार्यवाही

146–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

विधान सभा द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम मंगलवार को निर्धारित अतारां0 प्रश्न संख्या–8 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधिकारी द्वारा जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट को सदन पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां । जांच में कोई निश्चयात्मक तथ्य प्रकाश में नहीं आए थे । प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकरण की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुशंधान विभाग द्वारा भी की गई है, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी राजस्व विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

जिला बलिया में पात्रता की श्रेणी के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को परगनाधिकारी द्वारा भूमि दिया जाना

147–श्री फौजदार प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ढेकवारी, तहसील रसड़ा, जिला बलिया में 50 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूखण्ड संख्या 149 में 2–2 डि0 भूमि परगनाधिकारी, रसड़ा द्वारा 1983 में दी गई थी ? यदि हां, तो क्या उस पर कब्जा पात्र व्यक्तियों को दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

ग्राम ढेकवारी तहसील रसड़ा जिला बलिया के आराजी नं0-149 में अनुसूचित जाति के मात्र 38 व्यक्तियों को जो पात्रता की श्रेणी में आते थे 02 डि0 की दर से कुल 76 डि0 भूमि परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 8-9-1984 को दी गई थी ।

आवन्टित भूमि पर आवन्टियों का कब्जा है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बलिया के ग्राम भिटकुना के तहसील रसड़ा के प्रधान द्वारा हरिजनों की जमीन पर कब्जा किया जाना

148–श्री फौजदार प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-भिटकुना, तहसील-रसड़ा, जिला बलिया के प्रधान ने चकबन्दी में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित जमीन पर स्वयं कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रधान के विरुद्ध धारा 115 सी व 195 जी के अधीन कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

ग्राम भिटकुना के प्रधान श्री राम सकल यादव ने नहीं वरन ग्राम के अन्य 9 व्यक्तियों ने आ0 नं0-281/0-36 नयी हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है ।

अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध सम्बन्धित लेखपाल द्वारा बेदखली एवं क्षतिपूर्ति वसूली हेतु धारा-122 बी ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधिनियम के अन्तर्गत अलग-अलग 9 वाद दायर किए गये थे । सभी वादों में क्षतिपूर्ति वसूली एवं बेदखली हेतु आदेश पारित किए जा चुके हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

औरैया कानपुर मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने की मांग

149–श्री राम स्वरूप वर्मा–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे मंगल के अता0 प्रश्न सं0 93 के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो सिकन्दरा से अकबरपुर 40 कि0मी0 मार्ग अराष्ट्रीयकृत है उसका राष्ट्रीयकरण न किये जाने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि प्राइवेट बस वालों के भारी मुनाफे के लिए दोनों तरफ राष्ट्रीयकृत मार्ग के बीच में अराष्ट्रीयकृत मार्ग छोड़ दिया गया है ? क्या प्राइवेट बस वाले हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में मुकदमा भी हार चुके हैं ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को राष्ट्रीयकृत न किये जाने के पीछे सरकार क्या उद्देश्य है ?

श्री शत्रुद्र प्रकाश–

सिकन्दरा से अकबरपुर 40 कि0 मी0 तक का मार्ग वर्ष 1972 में बन कर तैयार हुआ जबकि उसके दोनों ओर से जुड़े मार्ग पहले से ही बने थे और इनका राष्ट्रीयकरण शासकीय विज्ञप्ति सं0 763/तीस-टी/1950 दिनांक 12-2-51 द्वारा पहले ही किया जा चुका था । सिकन्दरा से अकबरपुर का मार्ग बन जाने के बाद वर्ष 1977 में कानपुर-औरैया वाया बिहार घाट के पूरे मार्ग के राष्ट्रीयकरण की प्रथम योजना मोटर यान अधिनियम,

1939 की धारा-68-सी के अन्तर्गत शासकीय गजट में दिनांक 31-12-1977 को प्रकाशित की गयी थी । इसके पश्चात शासन द्वारा नियुक्त श्रवणाधिकारी द्वारा आपत्तियों की सुनवाई प्रारम्भ की गई किन्तु ऐसी कुछ अन्य योजनाओं में विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के कारण आपत्तियों की सुनवाई में विलम्ब हुआ और फलस्वरूप मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कई योजनाओं को विखंडित किये जाने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना एवं अन्य योजनाओं को वापस ले लिया गया ।

जी नहीं ।

शासन के नीतिगत निर्णय के संदर्भ में ऐसे किसी विषय या निर्णय का कोई महत्व नहीं रह जाता ।

परिवहन निगम के सीमित संसाधनों को देखते हुए राष्ट्रीयकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जिला कानपुर देहात में साधन सहकारी समिति के सचिव द्वारा भ्रष्टाचार करने पर शिकायत कर्ता के पत्र पर कार्यवाही

150–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दिनांक 30-4-90 का पत्र श्री भीखाराम प्रधान ग्राम-गौरीकरन व अन्य कई ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर से युक्त जिला कानपुर देहात के प्रार्थना पत्र, के साथ जो सचिव साधन सहकारी समिति बिरमा, विकास खण्ड मलासा, जिला कानपुर देहात के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सन्दर्भित मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच कराई जा चुकी है तथा शिकायत कर्ताओं की मांग के अनुरूप सचिव का स्थानान्तरण किया जा चुका है तथा सचिव को समिति से कार्यमुक्त भी कर दिया गया है ।

जिला फैजाबाद के तहसील जलालपुर के ग्राम भदोई में खलिहान व्ये बेदखल करने के विरुद्ध कार्यवाही

151–श्री हीर चरण यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाटा संख्या 323 स्थित ग्राम भदोई, तहसील जलालपुर, जिला फैजाबाद जो खलिहान है, में अनियमित एवं अवैधानिक रूप से कितने लोगों ने निर्माण कार्य कर लिया है ? क्या उनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत ग्राम के गाटा संख्या-323 क्षेत्रफल 7 बिस्वा 5 धूर के 2 बिस्वा 16 धूर पर पांच व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक निर्माण कार्य किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर ब्लाक उरूवा बाजार ग्राम-हाटा बुजुर्ग के श्री राम समुझ प्रसाद की जमानत धनराशि वापस करने की मांग

152–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर ब्लाक उरूवा बाजार ग्राम-हाटा बुजुर्ग के श्री राम समुझ प्रसाद को सन् 1957 में कामदार के पद पर आजमगढ़ जिले में नियुक्त किया और उनसे जमानत के रूप में एक हजार रुपया जमा कराया गया था ? क्या वे सुपरवाइजर पद से 30 जून सन् 1988 को गन्ना विकास जिला-कार्यालय फैजाबाद से सेवा निवृत्त हुए लेकिन उनकी जमानत की धनराशि आज तक उन्हें वापस नहीं की गयी ? उक्त धनराशि का भुगतान उन्हें कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास–

श्री राम समुझ प्रसाद, ग्राम-हाटा बुजुर्ग, ब्लाक उरूवा बाजार, जनपद-गोरखपुर को वर्ष 1957 में कामदार के पद पर शाहगंज (जौनपुर) में नियुक्त किया गया था । उनसे जमानत के रूप में केवल रु0 60/-(रु0साठ) जमा कराया गया था, जिसे सेवा निवृत्ति के उपरान्त उन्हें अवमुक्त किया जा चुका है ।

जनपद जालौन में अनु0 जाति/जनजाति तथा पिछड़े जाति के पट्टेधारों को कब्जा दिया जाना

153–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में 1985 से अब तक अनुसूचित जातियों/जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों को जो पट्टे वितरित किये गये हैं उन सभी को कब्जा मिल चुका है ? यदि नहीं, तो उन प्रकरणों में जो दीवानी के मुकदमें दायर किये जा रहे हैं क्या सरकार उन मुकदमों को खुद लड़ेगी ? यदि नहीं, तो ऐसे पट्टों का क्या प्रयोजन है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद जालौन में 1985 से अब तक अनुसूचित जातियों/जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों को वितरित किये गये पट्टों में से केवल 57 पट्टे, जो स्थगित हैं, को छोड़ कर सभी पट्टेदारों को कब्जा मिल चुका है ।

दीवानी का कोई मुकदमा दायर नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आदर्श कारागार लखनऊ द्वारा दिये गये जेल प्रवास प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

154–श्री मोती लाल दहेलवी–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 88 के दिए गए उत्तर के अनुसार हनुमान प्रसाद को कारापाल द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र तथा नियमावली के नियम-9-(ख) के विपरीत नहीं है ? यदि विपरीत है, तो कारापाल द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र संबंधित जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा अनुमन्य किये जाने का आधार क्या है? इसी संबंध में क्या कृपया यह भी बतायेंगे कि जब जेल अधीक्षक के प्रमाण-पत्र को आधार मान कर पेंशन स्वीकृत की गयी है तो नियमावली के नियम 10 के अनुसार हनुमान प्रसाद कुरील को दी जाने वाली स्वतंत्रता संग्राम पेंशन को अभी तक निरस्त न करने के क्या कारण हैं ? पेंशन कब तक निरस्त कर दी जायेगी ?

श्री हरीश कुमार गंगवार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील भू0 पू0 विधायक कानपुर द्वारा अपने कारावास के समय की सार्टीफिकेट का प्रस्तुतीकरण

155–श्री मोती लाल दहेलवी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 की द्वितीय मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0 148 तथा प्रथम सत्र, 1988 के पांचवे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0–155 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हनुमान प्रसाद कुरील द्वारा अपने कारावासीय दण्ड पाने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आदर्श कारागार, लखनऊ में कोई आवेदन-पत्र न दिये जाने पर भी श्री कुरील द्वारा जिलाधिकारी कानपुर देहात को दिया गया जेल प्रमाण-पत्र उन्हें किस प्रकार प्राप्त हुआ ?

श्री हरीश कुमार गंगवार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

156–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[दूसरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 193 पर स्थानान्तरित]

157–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गोरखपुर में गन्ना विभाग के लिपिकों तथा चपरासी का मासिक वेतन आदि का भुगतान न किया जाना

158–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे जनपद में गन्ना विभाग के वसूली योजना के अंतर्गत श्री कपीन्द्र पाण्डेय, श्री भुवनेश्वर पाण्डेय, लिपिक तथा श्री तूफानी प्रसाद, चपरासी को माह अगस्त, 1989 से मई, 1990 तक मासिक वेतन तथा वर्ष 1983-84 से 1989-90 तक का बोनस व इक्सग्रेसिया का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी भुगतान न किये जाने से संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

प्रश्नगत कर्मचारियों को अगस्त, 1989 से दिसम्बर 1990 तक का वेतन तथा वर्ष 1983-84 से 1988-89 तक का बोनस एवं वर्ष 1987-88 तक इक्सग्रेसिया का भुगतान हो गया है । वर्ष 1989-90 का बोनस तथा वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 का एक्सग्रेसिया अभी तक विभाग के किसी भी कर्मचारी को स्वीकृत नहीं हुआ है । अतः भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी शुगर मिल औराई जिला वाराणसी पर किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान करने की मांग

159–श्री ऊदल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 80-81 व 81-82 व 82-83 व 83-84 व 84-85 व 86-87 व 87-88 में सहकारी शुगर मिल, औराई, जिला वाराणसी में चीनी के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित था और उसके विरुद्ध कितना उत्पादन हुआ ? क्या उन्हीं वर्षों में उक्त चीनी मिल पर किसानों का बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों का बकाया भुगतान तत्काल करायेगी ?

श्री राम शरण दास–

दि काशी सहकारी चीनी मिल्स लि0, औराई जनपद-वाराणसी का वर्ष1980-81 से 87-88 का चीनी उत्पादन का लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध उत्पादन निम्न प्रकार था :–

वर्ष	लक्ष्य उत्पादन (कुन्तल में)	वास्तविक उत्पादन (कुन्तल में)
80–81	25,500	7,992
81–82	94,000	96,690
82–83	1,23,500	74,450
83–84	1,05,600	67,503
84–85	76,000	36,916
1986–87	95,000	70,511
1987–88	97,000	66,500

वर्ष 1980-81 से वर्ष 1987-88 तक औराई चीनी मिल पर किसानों का गन्ना मूल्य बकाया नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

160–श्री राम प्रसाद सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा के ग्राम अजीतपुरा के महावीर पुत्र राम जियावन को मृतक दिखाकर उसकी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा गलत वरासत दर्ज कराना

161–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना विसन्डा अंतर्गत ग्राम अजीतपारा के महावीर पुत्र राम जियावन ने शिकायती पत्र जो उसकी पट्टा शुदा भूमि में उसके जिन्दा रहते कुछ लोगों द्वारा उसे मृतक दिखाकर गलत वरासत दर्ज कराया जाने तथा इस अपराध के लिए थाना कोतवाली शहर बांदा में दिनांक 23-4-90 को मु0 अ0 स0 शून्य धारा–419/420/467/468, ता0 हिन्द में रिपोर्ट पर कार्यवाही न होने आदि के संबंध में है जिला मजिस्ट्रेट बांदा, उप महानिरीक्षक झांसी, पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ,

गृह मंत्री, मुख्य मंत्री एवं पुलिस अधीक्षक, हरिजन उत्पीड़न, 9वीं मंजिल, जवाहर भवन, लखनऊ, एस0 पी0, बांदा को दिनांक 22-5-90 को दिया है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

शिकायती प्रार्थना-पत्र पर थाना विसन्डा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-10/90, धारा 419/420/476/468 भारतीय दण्ड विधान की जांच थाना कोतवाली, बांदा से कराई गई तथा अभियुक्तगण बिल्लू, लक्ष्मण एवं कोदू को दिनांक 23-9-90 को गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त छुटवां ने 25-9-90 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । तत्संबंधी वाद न्यायालय में विचाराधीन है । महावीर के शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-8-90 के आधार पर थाना विसन्डा में मुकदमा अपराध संख्या-222/90 अंतर्गत धारा 504/506 भा0 द0 वि0 अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत हुआ, जिसमें आरोप पत्र दिनांक 26-8-90 को न्यायालय प्रेषित किया गया । वाद विचाराधीन है । इस संबंध में एक और वाद अभियुक्तगण के विरुद्ध सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 107/116 के अंतर्गत परगना मजिस्ट्रेट अर्तरा के न्यायालय में विचाराधीन है । पुलिस अधीक्षक बांदा की आख्या दिनांक 25-10-90 के अनुसार अभियुक्तगण अदालत में हाजिर होकर जमानत पर रिहा हो गये हैं, जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, जो विचाराधीन है ।

चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 17-10-90 के द्वारा पूर्व आदेश को निरस्त करके, श्री महावीर का नाम पट्टे की भूमि पर पुनः अंकित कर दिया गया है ।

जनपद चमोली के विकास खण्ड थराली एवं उखीमठ में बाढ़ और भूस्खलन से हुई क्षति की पूर्ति हेतु धन आवंटित किया जाना

162–**श्री कुंवर सिंह नेगी–**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 की वर्षा में जनपद चमोली के विकास खण्ड थराली एवं उखीमठ के अंतर्गत बाढ़ एवं भूस्खलन से अत्यधिक क्षति हुई थी ? क्या जिला प्रशासन चमोली द्वारा क्षति का आंकलन कर शासन को फ्लड मेमोरेण्डम प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त फ्लड मेमोरेण्डम के अनुसार शासन द्वारा धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां । माह अगस्त में भीषण वर्षा से जनपद चमोली की तहसील थराली एवं उखीमठ में 14 व्यक्ति तथा 97 जानवरों की मृत्यु हुई । 168 आवासीय मकान पूर्ण रूप से व 469 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए । भूस्खलन से फसलों को भी क्षति हुई । सार्वजनिक सम्पत्ति को भी काफी नुकसान हुआ ।

जिलाधिकारी चमोली द्वारा अपने पत्र संख्या 4/87/13-[illegible] '88-89) दिनांक 20 सितम्बर, 1989 द्वारा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों को पूर्व की स्थिति में लाने तथा प्रभावित ग्रामों के सुरक्षा कार्य हेतु संबंधित विभागों के लिए धनराशि की

मांग की थी । चूंकि सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत व पूर्ववत स्थिति में लाने का कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा ही किया जाता है अत: जिला अधिकारी की मांग को सम्बन्धित विभागों को भेज दिया गया था । वर्ष 1989 में बाढ़ के संबंध में भारत सरकार केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित मेमोरेण्डम में रु0 302.88 करोड़ की मांग की गई थी जिसके विपरीत बाढ़ के लिए केवल 22.72 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्रदेश को प्राप्त हुई । जनपद चमोली को सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत के लिए 7.45 लाख, लोक निर्माण विभाग द्वारा 0.10 लाख, पंचायत राज विभाग द्वारा सड़कों/भवनों की मरम्मत हेतु 1.13 लाख दिया जाना विदित है । इसके अलावा दैवी आपदा में प्रभावितों को तत्काल राहत देने हेतु अहैतुक सहायता, अनुग्रह अनुदान तथा गृह अनुदान मदों में 15.70 लाख राजस्व विभाग द्वारा दिया गया ।

उ0 प्र0 सचिवालय में प्र0 ग0 स0 को स्थानान्तरण के उपरांत अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही

163—श्री ओम प्रकाश गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग-5 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायकों के स्थानान्तरण के संबंध में क्रमश: 19-5-90 22-5-90 तथा 25-5-90 को जारी किये गये अपने आदेशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या 2764/20-ई-5-69/90. दिनांक 30-6-1990 के अन्तर्गत जिन प्रवर वर्ग सहायकों के स्थानान्तरण के आदेश जारी किये गये हैं उनमें से किन-किन सहायकों को उनके विभागों के सचिवों द्वारा अवमुक्त नहीं किया गया है और क्यों ? अवमुक्त न किये गये सहायकों को उनके विभागाध्यक्षों द्वारा कब तक अवमुक्त कर दिया जायेगा और वह कब तक अपनी तैनाती के नये विभागों में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सभी स्थानान्तरित सहायकों को प्रतिस्थानी की अनुपलब्धता या कार्यहित में संबंधित सचिवों द्वारा अवमुक्त नहीं किया गया है । अवमुक्त किए जाने के संबंध में किसी निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है ।

किसान सेवा सहकारी समिति कुतुबपुर, सीतापुर के कतिपय अध्यक्षों पर फर्जी भुगतान एवं अनियमितता का आरोप

164—श्री ओम प्रकाश गुप्त—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सेवा सहकारी समिति कुतुबनगर, सीतापुर के तत्कालीन अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह, सुखराज सिंह एवं उमेश नारायण द्वारा फर्जी बिलों के भुगतान एवं अनियमितताओं से संबंधित तथ्य प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त समिति का कितना-कितना धन उपरोक्त व्यक्तियों पर बकाया है ? उसकी वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामशरण दास–

जी हां ।

मामले की जांच में समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री भानुप्रताप सिंह, आंकिक श्री सुखराज सिंह एवं उमेश नरायन फर्जी बिलों के भुगतान एवं ऋण वितरण में अनियमितता में दोषी पाए गये हैं । समिति का रु0 13,756.00 आंकिक श्री उमेश नरायन तथा रु0 3,688.35 पैसे तत्कालीन अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध जांच में उत्तर-दायी ठहराया गया है । श्री उमेश नरायन से धन की वसूली तथा सेवा समाप्त करने हेतु प्रबन्ध निदेशक को निर्देशित किया गया है । श्री भानु प्रताप सिंह को आरोपों का उत्तर देने हेतु नोटिस दी गयी जिसके विरुद्ध उन्होंने कहा कि जांच एक पक्षीय है उन्हें सुन-वाई का अवसर दिया जाय जिसके लिए कार्यवाही जारी है ।

165–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[1ले सोमवार में अता0 प्र0 सं0 199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद में विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति के अधिकारियों की नियुक्ति करने की मांग

166–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 इलाहाबाद में विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के कुल कितने पद हैं, उनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ? क्या अधिकारियों में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अधिकारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं उनमें आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की पदोन्नति न किए जाने के क्या कारण हैं ? उक्त पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सचिव का एक पद, परीक्षा नियंत्रक का एक पद, संयुक्त सचिव (विधि) का एक पद, संयुक्त सचिव के दो पद, वरिष्ठ शोध अधिकारी के एक, उप सचिव के तीन, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी के एक, सहायक लेखाधिकारी के एक पदों पर नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है । यह पद आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 तथा लेखा संवर्ग निःसंवर्ग सेवा आदि के हैं । इन पदों पर अनुसूचित जाति का आरक्षण सिद्धान्त लागू नहीं है । इस प्रकार इन पदों पर आरक्षण का कोई अवसर नहीं बनता है ।

विभागीय पदों में उप सचिव के दो, अनुसूचित के 5, निजी सचिव ग्रेड–1 का एक, सिस्टम एनालिस्ट तथा प्रोग्रामर के एक-एक तथा पर्यवेक्षक तथ्य संसाधन अनुभाग के 2 पदों पर भी किसी आरक्षण का अवसर नहीं बनता है । जहां तक अनुसचिव के पद संवर्ग में आरक्षण का प्रश्न है, इसमें अनुसूचित जाति का एक अधिकारी तदर्थ रूप से प्रोन्नत है । इन पदों पर नियमित चयन की कार्यवाही शीघ्र ही की जाने वाली है ।

निजी सचिव पद संवर्ग में कुल 9 पद स्वीकृत हैं जिनमें से एक पद को निजी सचिव ग्रेड–1 के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया है । इस प्रकार उक्त संवर्ग में कुल 8 पद

है । अतः इन 8 पदों में 18 प्रतिशत की गणना के आधार पर एक पद आरक्षित हो सकता है । इस संवर्ग में एक अनुसूचित जातीय अभ्यर्थी की प्रोन्नति की जा चुकी है । इस प्रकार इस संवर्ग में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि पूर्ण है ।

अनुभाग अधिकारी पद संवर्ग में कुल 28 पद हैं । जिसमें कुल दो पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी नियुक्त हैं । इस संवर्ग में आरक्षण पूर्ण नहीं है । इसका कारण यह है कि अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुसूचित जाति के सुयोग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है । अनुसूचित जाति के सुयोग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर ही उन्हें अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी ।

जनपद गोरखपुर में ग्राम भटहट बाजार लगने वाली बाजार पर भूतपूर्व जमींदार श्री सैयद जावेद अली द्वारा कब्जा किया जाना

167—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भटहट बाजार विकास खण्ड भटहट, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर में रविवार को लगने वाली बाजार की भूमि जो ग्राम सभा की थी, को भूतपूर्व जमींदार श्री सैयद जावेद अली पुत्र श्री काजिम अली मुहल्ला जाफरा बाजार, शहर गोरखपुर ने कब्जा कर लिया है और जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों को मिलाकर सिविल कोर्ट से एक पक्षी डिग्री करा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन लोगों को दण्डित करने की कृपा करेगी, जिन्होंने मुकदमें की पैरवी में ढिलाई की है ? क्या सरकार उक्त ग्राम सम्पत्ति एवं उसकी आय को बचाने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

भूतपूर्व जमींदार श्री जावेद अली पुत्र श्री काजिम अली मुहल्ला जाफरा बाजार शहर गोरखपुर आदि ने न्यायालय मुंसफ—2 गोरखपुर में वाद संख्या-295 सन् 1979 दायर किया था । न्यायालय के निर्णय दिनांक 4 दिसम्बर, 1981 के अनुसार श्री जावेद अली प्रश्नगत भूमि पर काबिज हैं ।

जांचोपरान्त नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

न्यायालय मुंसफ—2 गोरखपुर के आदेश दिनांक 4 दिसम्बर, 1981 व अपीलीय न्यायालय के आदेश के पश्चात अब कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

168—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संवर्गों में आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

169—श्री राम आसरे पासवान—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले सोमवार को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-18 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-10-88 से अब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में किन-किन संवर्गों में कितने दैनिक वेतन भोगी पदों पर नियुक्तियां की गई हैं ? क्या यह सही है कि दिनांक

3-10-88 से अब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में 30 (तीस) दैनिक वेतन भोगी लिपिकों तथा 15 (पन्द्रह) अन्य संवर्गों में नियुक्तियां कर के आरक्षण कोटे का ध्यान न देकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की नियुक्तियां नहीं की गयी हैं? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त नियुक्तियों को निरस्त करते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 3-10-88 से 25-8-90 तक लखनऊ विकास प्राधिकरण में 17 लिपिक, 1 विद्युतकार, 5 अनुचर, 1 ड्राईवर, 2 सुपरवाइजर, 1 माली तथा 1 चौकीदार कुल 28 व्यक्ति दैनिक वेतन पर नियुक्त किये गये हैं ।

जी नहीं, केवल 15 दैनिक वेतन भोगी लिपिक एवं 13 अन्य दैनिक वेतन भोगी व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं जिनमें 3 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण का कोटा नियमित नियुक्तियों के समय निर्धारित किया जाता है । दैनिक वेतन पर नियुक्तियां कभी भी समाप्त की जा सकती हैं ।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता ।

किसान सेवा सहकारी समिति कुतुबनगर, सीतापुर में हुये घोटाले एवं अनियमितता की जांच सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 द्वारा किया जाना

170–श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सेवा सहकारी समिति कुतुबनगर, सीतापुर में घोटाले एवं अनियमितताओं की जांच किये जाने हेतु जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 सीतापुर का पत्र संख्या 8077 दिनांक 12 जनवरी, 1989 तत्कालीन सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 मुख्यालय को प्रेषित किया गया ? यदि हां, तो उसमें अंकित तथ्यों की जांच किसके द्वारा करायी गयी ? उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

जांच सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 मुख्यालय से करायी गयी ।

जांच में किसान सेवा सहकारी समिति लि0, कुतुबपुर के अंकिक श्री उमेश नरायन तथा तत्कालीन समिति अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह दोषी पाये गये ।

श्री उमेश नरायन की सेवा समाप्त करने हेतु समिति के प्रबन्ध निदेशक को निर्देशित किया गया था किन्तु समिति के तत्कालीन संचालक मण्डल ने प्रस्ताव पारित कर श्री नरायन के विरुद्ध मध्यस्थ वाद दायर करने का निर्णय लिया । श्री भानु प्रताप सिंह को आरोपित करते हुए नोटिस दी गयी जिसके विरुद्ध उन्होंने एक पक्षीय जांच करने का विरोध किया तथा पुनः उनके समक्ष जांच करने का अनुरोध किया जिसके लिए कार्यवाही जारी है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम टंडोली के निवासियों द्वारा चकबन्दी अधिकारी की शिकायत चकबन्दी आयुक्त से किये जाने की जानकारी

171–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम टंडोली, तह0 व जनपद फैजाबाद

के निवासियों ने दिनांक 7-6-90 को चकबन्दी प्रक्रिया के संबंध में चकबन्दी आयुक्त को चकबन्दी अधिकारी, गोसाईंगंज, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत की है? यदि हां, तो क्या शिकायत के आधार पर सुधार कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। ग्राम टंडौली तह0 व जनपद फैजाबाद के निवासियों के शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, फैजाबाद को दे दिये गये हैं। आख्या प्रतीक्षित है।

जनपद फैजाबाद के ग्राम अकारीपुर के श्री राम किशोर का नाम भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर बढ़ाया जाना

172–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम किशोर, निवासी ग्राम अकारीपुर, परगना अमसिन, तहसील व जनपद फैजाबाद को उसी ग्राम के तालाब भूमि नं0-399/5 बीघा 18 बिस्वा का मत्स्य पालन पूर्व पट्टा निरस्त कर उसका नाम बढ़ाया गया है? यदि हां, तो क्या वह व्यक्ति उसके लिए पात्र है और क्या पूर्व पट्टा निरस्त कर उसका नाम बढ़ाया गया है? यदि नहीं, तो नाम बढ़ाने का क्या कारण है?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जी नहीं। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर परगनाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 1-2-89 को पुनरीक्षित करते हुए श्री सेवालाल को सहपट्टेदार की स्वीकृत प्रदान की थी। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव के कारण नाम बढ़ाया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–198(4) के अन्तर्गत पट्टे निरस्तीकरण का वाद विचाराधीन है।

बिल्हौर व अरौल में बस स्टाप बनाये जाने की मांग

173–श्री मोती लाल दहेलवी–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 28 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किए गए आदेश में क्या लिखा गया है? क्या मंत्री जी आदेश के मंतव्य की सफलता हेतु कन्नौज रोड पर स्थित बिल्हौर व अरौल से होकर दोनों ओर से गुजरने वाली समस्त डिपो की बसों की किराया सूची परिचालकों को देकर उक्त दोनों स्थानों के स्टापेज सुनिश्चित करने के स्पष्ट आदेश देने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो आदेश कब तक निर्गत कर दिए जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश–

किये गये आदेशों में चालकों/परिचालकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे बिल्हौर

एवं अरौल से गुजरने वाली समस्त बसों को उक्त दोनों स्थानों पर रोककर यात्रियों को चढ़ायेंगे एवं उतारेंगे तथा टिकट की बुकिंग भी करेंगे।

दिनांक 28-11-90 को आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, बरेली के विरुद्ध कतिपय अनियमितताओं का आरोप तथा जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना

174–कुंवर सर्वराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक, बरेली के विरुद्ध अनियमितता, भ्रष्टाचार, गबन तथा स्वेच्छाचारिता किये जाने संबंधी जांच सरकार द्वारा करायी जा रही है? यदि हां, तो अभी तक के जांच परिणाम क्या हैं? क्या सरकार जांच निष्कर्ष के आधार पर उक्त अध्यक्ष को निलम्बित कर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, बरेली के विरुद्ध जांच करायी गयी जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार में दोषी पाये गये कर्मचारियों को बहाल कर दिया था, जिन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी थी उसको स्पंज कर दिया तथा जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही थी, को समाप्त कर दिया था।

इस सम्बन्ध में उन्हें उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1965 की धारा 38 के अन्तर्गत नोटिस दी जा रही है।

जनपद मुरादाबाद, श्री यूसुफ अली, सेवा निवृत्त, चपरासी डिप्टी कलेक्टर संग्रह (बिक्रीकर) के पेंशन का भुगतान करने की मांग

175–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, मुरादाबाद को महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद का कोई पंजीकृत पत्र पी0 आर0 8/पी0 आर0 2/270007/89-90/5785, दि0 2-4-90 श्री यूसुफ अली, सेवा निवृत्त, चपरासी डिप्टी कलेक्टर संग्रह (बिक्रीकर) मुरादाबाद के पेंशन भुगतान के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पेंशन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

पेंशन की स्वीकृति वांछित पत्रावली दिनांक 19-7-90 को, जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा महालेखाकार को भेज दी गई है। महालेखाकार से स्वीकृति प्राप्त होते पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा।

बाराबंकी तथा रामनगर रोड पर स्थित रानी बाजार में रोडवेज की बसों को रोकने की मांग

176–श्री शिव करन सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बाराबंकी और रामनगर रोड पर स्थित रानीबाजार को रोडवेज

की सभी बसों को रुकने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था कब तक हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

बाराबंकी रामनगर मार्ग पर रानीबाजार जिसे हरनामगंज के नाम से भी जाना जाता है, पर क्षेत्रीय सेवाओं के 4 अप-4 डाउन ट्रिपों का फेयर स्टापेज निर्धारित है, जो जनता की मांग के अनुसार पर्याप्त है। रामनगर से रानीबाजार मात्र 3 कि0 मी0 दूर है। रामनगर में लगभग सभी बसों का स्टापेज है। लम्बी दूरी की सेवाओं का मात्र 2-3 कि0मी0 की दूरी पर अतिरिक्त स्टापेज बनाया जाना जनहित में औचित्यपूर्ण न होगा।

177–श्री कुंवर सिंह नेगी–

[आश्वासन समिति के अन्तर्गत विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद के ग्राम दरगाह शाह रमजान के लेखपाल व प्रधान द्वारा पट्टों में भारी जालसाजी के संबंध में पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा कार्यवाही की मांग

178–श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के ग्राम दरगाह शाह रमजान के लेखपाल व प्रधान द्वारा भूमिहीनों को दिए जाने वाले पट्टों में भारी जालसाजी एवं राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी की शिकायत आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ माह जुलाई अथवा अगस्त, 1987 में राजस्व मंत्री को दी गयी थी? यदि हां, तो उक्त जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपनिबंधक, सहकारिता, लखनऊ को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

179–श्री बसन्त लाल गुप्त–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप निबंधक, सहकारिता, लखनऊ को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12-2-90 जिसके साथ श्री रमेशचन्द्र सक्सेना, भूतपूर्व अध्यक्ष, अर्थ एवं संख्या विभाग कर्मचारी सहकारी ऋण समिति, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ का पत्र संलग्न है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर आज तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां।

प्रश्नगत मामलों में जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

180–श्री अमर नाथ यादव–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी में लाइसेंसी स्टाम्प विक्रेताओं को नियमावली के अंतर्गत लाभ दिया जाना

181—श्री अमर नाथ यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में कितने लाइसेंसी स्टाम्प विक्रेता हैं ? क्या इन विक्रेताओं को उत्तर प्रदेश स्टाम्प (चालीसवां) संशोधन नियमावली, 1989 का लाभ प्राप्त हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या नियमावली का पालन न करने वाले अधिकारियों को शासन दण्ड देने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद वाराणसी में 284 लाइसेंसी स्टाम्प विक्रेता हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद में एक रात गांव में बिताने हेतु दिये गये सरकारी निर्देश का अधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जाना

182—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा शासन के सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रतिमाह एक रात गांव में बिताने हेतु निर्देश दिए गए हैं ? यदि हां, तो अद्यतन कितने अधिकारी शासनादेश के बाद अब तक जनपद इलाहाबाद में कितने गांव में गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सरकार द्वारा शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को दिनांक 6-6-90 से 10-6-90 के बीच किसी ग्राम में रात्रि विश्राम करने हेतु निर्देशित किया गया था । यह केवल एक बार का कार्यक्रम था, प्रतिमाह के लिए नहीं । निर्देशानुसार एक अधिकारी दिनांक 7 व 8 जून, 1990 को इलाहाबाद जनपद के विकास खण्ड सैदाबाद के ग्राम जोगापुर झरहरी में गये ।

183—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

[2रे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 166 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव में आवंटित भूमि पर हरिजनों को कब्जा दिलाया जाना

184—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव में दो तहसीलों के माध्यम से दि0 29-8-90 तक हरिजनों में कितनी हरिजन आबादी आवंटित की गयी है और कितनी आबादी पर कब्जा दिलाया जा चुका है ? उक्त आबादी आवंटित की गयी है और कितनी आबादी के आवंटन का कार्य कब तक पूर्ण न होने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव में पड़ने वाले तीन तहसीलों के माध्यम से 29-8-90 तक 2216 हरिजनों को 57,36 1/2 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है तथा सभी हरिजनों को कब्जा दिलाया जा चुका है ।

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से तथा अन्य प्रकार से फसलों को हुई क्षति का मुवाअजा दिया जाना

185–श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष अतिवृष्टि एवं बाढ़ से वाराणसी जिले में फसलों एवं अन्य प्रकार की सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई? क्षतिपूर्ण स्वरूप **कितने परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी ? इस पर कितनी राशि व्यय हुई ?** कितने मनुष्य तथा पशुओं की मृत्यु हुई और संबंधित परिवारों को अनुग्रह राशि स्वरूप **कितना धन दिया गया ?**

श्री मोहम्मद आजम खां–

वर्ष 1990 की अतिवृष्टि से जनपद वाराणसी में 1,16,223 हे0 क्षेत्र की खरीफ की फसल को क्षति पहुंची, जिसका अनुमानित मूल्य रु0 17,46,80,000 **आंकलित किया गया है । इसके अतिरिक्त आवासीय एवं अनावासीय 2685 मकान पूर्ण** रूप से क्षतिग्रस्त हुए । 28 मनुष्यों एवं 6 पशुओं की मृत्यु हुई ।

बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों में से 88 परिवारों को रु0 25,750 अहैतुक सहायता वितरित की गयी है । इसके अलावा 7,90,850 रु0 गृह अनुदान वितरित किया गया। मानव मृत्यु पर मृतकों के आश्रितों को रु0 1,82,000 तथा पशुओं की मृत्यु पर उनके स्वामियों को 3250 रु0 अनुग्रह राशि के रूप में दी गयी ।

प्रदेश में प्रतीक्षा सूची से मुंसिफों की नियुक्ति न किया जाना

186–श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986 में 125 मुंसिफों का चयन किए जाने के पश्चात् केवल 100 मुंसिफों की ही नियुक्ति की गई और शेष 25 लोगों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया तथा वर्ष 1987 तथा 1988 में भी मुंसिफों का चयन बिना 1986 की प्रतीक्षा सूची के लोगों की नियुक्ति किए ही किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार प्रदेश में लगभग 400 मुंसिफों की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 1986 से 1988 तक मुंसिफ पद के लिए चयनित और प्रतीक्षा सूची में रखे गए लोगों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1986 तथा 1987 में आयोजित परीक्षा तक वर्ष 1986 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतीक्षा सूची उसी वर्ष की रिक्तियों के लिए उसी वर्ष मान्य होती है जिस वर्ष के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। अतः वर्ष 1986 की प्रतीक्षा सूची में से अनुवर्ती वर्षों की रिक्तियों के भरे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुरादाबाद के ग्राम बाजीगरान के काश्तकारों की अर्जित भूमि का पूर्ण मुआवजा दिये जाने की मांग

187—श्री श्याम बिहारी सिंह तथा श्रीमती विमला राकेश—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे मंगलवार का उत्तरित श्री मोती लाल दहेलवी के अतारांकित प्रश्न सं0 140 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या शासन द्वारा जारी आदेश सं0 1739/2-13-89-रा-13, दिनांक 30 जून, 1989 फर्जी व अनियमित था, जिसका उल्लेख निर्गम रजिस्टर में नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या राजस्व मंत्री उसकी प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या इस फर्जी व अनियमित आदेश जारी करने पर कोई जांच शासन के किसी अधिकारी से करायी गयी थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री मोहम्मद आजम खां*

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश संख्या:*1739/2-13/89-रा0-13, दिनांक 30 जून, 1989 शासन द्वारा जारी नहीं किया गया है और न ही ऐसे किसी शासनादेश के जारी होने का उल्लेख निर्गम रजिस्टर में है ।

कार्यालय-ज्ञाप सं0—1739/1-13/89-रा-13, दिनांक 30 जून, 1989 श्री दिवाकर पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग-13 के हस्ताक्षरों से जारी होना विदित हुआ है, जो श्री धर्मपाल सिंह, एवं श्री सुधीर कुमार शर्मा एडवोकेट, मुरादाबाद बार एसोसियेशन मुरादाबाद के नाम सम्बोधित है । श्री दिवाकर पाण्डेय द्वारा अपने ही हस्ताक्षरों से अपने ही स्तर से बिना कोई उच्चादेश प्राप्त किये उक्त कार्यालय-ज्ञाप जारी करने हेतु उनका स्पष्टीकरण लेकर कार्यवाही करने हेतु राजस्व विभाग के स्तर से सचिवालय प्रशासन विभाग को लिखा गया है ।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम बाजीगरान के श्री यादराम व श्री कल्लू द्वारा फर्जी ढंग से अधिग्रहीत भूमि का अधिक प्रतिकर लिया जाना

188—श्री श्याम बिहारी सिंह तथा श्रीमती विमला राकेश—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद के ग्राम बाजीगरान निवासी श्री याद राम व श्री कल्लू राम आदि ने फर्जी खाता खतौनी लगा कर अपनी मझौला आवासीय योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि का अधिक प्रतिकर प्राप्त किया था ? यदि हां, तो अब तक इसकी वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जनपद-मुरादाबाद के ग्राम बाजीगरान निवासी श्री यादराम व कल्लूराम आदि के उद्धरण खतौनी की छाया प्रति प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्हें श्रेणी-3 के स्थान पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया गया था । उक्त अभिलेखों के आधार पर श्री कल्लूराम आदि को दिनांक 18-10-86 को 80,000 रु0 का भुगतान कर दिया गया था, तत्पश्चात इस त्रुटि की जानकारी होने पर तहसीलदार मुरादाबाद से दिनांक 16-1-87 को इस मामले की जांच कराई गई । जांच के उपरांत तहसीलदार, मुरादाबाद ने खसरा नं0-112 113 व 114 कुल क्षेत्रफल 3.53 एकड़ को ग्राम सभा की सम्पत्ति बताया, जिस पर श्री कल्लू आदि श्रेणी-3 में अंकित है । इसके उपरान्त श्री कल्लू राम आदि को प्रतिकर का कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

इस प्रकरण में शासन ने संबंधित कार्यालय के अभिलेख मंगवाकर उसके परीक्षण के उपरांत श्री कल्लूराम आदि को श्रेणी-3 में दर्ज होने के फलस्वरूप 40 प्रतिशत प्रतिकर की धनराशि भुगतान किये जाने के आदेश दिये हैं। उक्त 40 प्रतिशत धनराशि श्री कल्लू आदि को भुगतान किए गये रुपये 80,000 से अधिक होती है । अत: उनसे कोई वसूली किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद झांसी में मंडी हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान किये जाने के आदेश का क्रियान्वयन

189–श्री श्याम बिहारी सिंह तथा श्रीमती विमला राकेश–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद झांसी में मऊरानीपुर में मंडी हेतु अधिग्रहीत की गयी राजकीय आस्थान तथा पट्टे के भूमि के पूर्ण प्रतिकर भुगतान किये जाने के आदेश शासन द्वारा शासनादेश सं0 1-2 (19)/85-270 दिनांक 4-9-86 में दिए गए थे, परन्तु उक्त आदेश जारी कर जिले में नहीं भेजा गया ? यदि हां, तो शासन के इस आदेश का सही क्रियान्वयन न करने में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां*

प्रश्न में उल्लेखित शासनादेश संख्या 1-2 (19)/85-270, दिनांक 4-9-86 कार्यालय अभिलेखों से जिले को निर्गत किया जाना विदित नहीं होता लेकिन दिनांक 4-9-86 को ही अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1-2 (19)/85-270 शासन स्तर से निदेशक मंडी परिषद् को जारी किया गया है और जिसकी प्रति जिलाधिकारी, झांसी को पृष्ठांकित है ।

इस अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा निदेशक मंडी परिषद् को निर्देश दिये गये थे कि मंडी स्थल मऊरानीपुर जनपद झांसी के निर्माण के लिए 46.83 एकड़ स्थायी अर्जित की गई भूमि के प्रतिकर की धनराशि 85,84,036.84 रु0 जो कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी संयुक्त संगठन, झांसी द्वारा वांछित बतायी गई है, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, झांसी को 15 दिन में उपलब्ध करा दी जाय । निदेशक, मंडी परिषद् द्वारा प्रतिकर की धनराशि 54,68,300.00 रु0 जिलाधिकारी, झांसी को उपलब्ध करा दी गई ।

चूंकि शासनादेश संख्या-1-2 (19)/85-270, दिनांक 4-9-86 जारी होना विदित नहीं होता अत: इसके कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता ।

190–श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट–

[1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 34 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

बरेली महानगर में बी0 डी0 ए0 द्वारा निर्मित पत्रकार कालोनी में अधिक धन लिया जाना

191–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली महानगर में बी0 डी0 ए0 द्वारा निर्मित पत्रकार कालोनी में भवन की जमीन के दाम 400 रु0 प्रतिवर्ग गज लिए जा रहे हैं जबकि इसी के निकट स्थित स्वपोषित भवनों के लिए 250 रुपये प्रतिवर्ग गज

मूल्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी पत्रकार कालोनी के लिए 250 रुपया प्रतिवर्ग गज के हिसाब से ही भुगतान लिए जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पत्रकार कालोनी की भूमि के मूल्य में विकास व्यय सम्मिलित है जबकि निकटस्थ भूमि की दर में विकास व्यय सम्मिलित नहीं है । उक्त स्ववित्त पोषित भवनों के कुल मूल्य में विकास व्यय सम्मिलित कर लिया गया है ।

जी नहीं, क्योंकि विकास प्राधिकरण ने भूमि को विकसित करके दिया है जिसमें व्यय शामिल है ।

192–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[मंत्रि परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

जनपद बाराबंकी में मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0 से मत्स्य आखेट की धनराशि जमा कराया जाना

193–डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बल्लीपुर बड़ा नाविक एवं मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0 वि0 ख0 सूरतगंज, तहसील रामनगर, जनपद बाराबंकी को 1984-85 व 1985-86 व 1988-89 में मत्स्य आखेट का पट्टा एवं फिशिंग का लाइसेंस एवं परमिट पट्टे का सर्तनामा भरा कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो समिति से लगान मांगे जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं । समिति को प्रश्नगत वर्षों का मत्स्य आखेट का पट्टा स्वीकृत किया गया था परन्तु समिति ने शर्तनामा भर कर नहीं दिया ।

निर्धारित धनराशि से कम धनराशि जमा करने के फलस्वरूप समिति से अवशेष धनराशि जमा करने के लिए कहा गया है क्योंकि समिति ने प्रश्नगत वर्षों में मत्स्य आखेट किया था ।

प्रदेश में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिया जाना

194–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 जुलाई, 1990 से लेकर 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि में अति वृष्टि एवं बाढ़ के कारण जन धन की कितनी क्षति हुयी है ? शासन द्वारा क्षतिग्रस्त परिवारों को राहत में कुल कितनी आर्थिक सहायता दी गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश में 1 जुलाई, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि में अति-वृष्टि/बाढ़/भूस्खलन से 297 मनुष्यों एवं 1688 पशुओं की जीवन-हानि हुई । 5.62 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ तथा 62123 मकान क्षतिग्रस्त हुए ।

बाढ़ प्रभावित परिवारों को भुखमरी से बचाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा अहैतुक सहायता प्रदान की जाती है । इसके अलावा बाढ़ से मकान क्षतिग्रस्त होने पर गृह अनुदान व बाढ़ से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। उक्त प्रयोजनों हेतु राजस्व विभाग के स्तर से आपदा राहत निधि से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को क्रमशः 629.29 लाख, 521.60 लाख, 170.55 लाख रु0 की कुल धनराशियां अब तक आवंटित की जा चुकी है । बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु राहत निधि से शासन के विभिन्न विभागों को रु0 2704.54 लाख प्रदान किया गया है ।

राजेन्द्र नगर आवास विकास शापिंग काम्पलेक्स, बरेली के सामने से गोदाम हटाये जाने की मांग के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

195--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजेन्द्र नगर आवास विकास शापिंग काम्मलेक्स, बरेली के सामने परिषद् को गोदाम हटाये जाने के विषय में उनको प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 21-3-90 का प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां । उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् को इस पर विचार करने के निर्देश दिए गए । परिषद् ने सूचना दी है कि योजना में खण्डीय स्टोर बनवाने हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण सम्प्रति खण्डीय स्टोर को अन्यत्र हटाया जाना सम्भव नहीं है ।

मथुरा नगर में मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा भगत सिंह पार्क का सौन्दर्यीकरण हेतु योजना

196--श्री रविकान्त गर्ग--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा मथुरा नगर स्थित भगत सिंह पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु कोई योजना प्रस्तावित की गयी थी? यदि हां, तो योजना का सम्पूर्ण प्रारूप क्या था और उसमें क्या-क्या निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा निर्माण पर कितना धन व्यय किया जा चुका है एवं योजना कब तक पूर्ण कर सौन्दर्यीकरण पूरा कर दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि उपरोक्त पार्क की दीवार, बेंच व फंब्बारों पर बेशकीमती संगमरमर पत्थर जो पूर्व से लगा था उसे अधिकारियों व ठेकेदारों ने बेच दिया है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

भगत सिंह पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु उसकी बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, पार्क के अन्दर के रास्ते, नालियों, वाटर चैनेल, बैठने की बेंच, शेड, लाइट फिटिंग, फाउन्टेन, प्लेटफार्म की मरम्मत, स्टैचू, फूल, पौधे, खेलने के उपकरण एवं पानी की व्यवस्था हेतु

रु0 2091500/-की लागत अनुमानित थी । रास्त, आर0 सी0 सी0 बेन्च (आंशिक), फूल-पौधे (आंशिक), तथा विद्युत व्यवस्था (आंशिक) का कार्य कराया जा चुका है जिस पर कुल रु0 1224023/- की धनराशि व्यय की जा चुकी है । अभी रु0 891,500/- की स्वीकृति शेष है । धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर वित्तीय वर्ष 1991-92 में अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने की सम्भावना है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा बृजभूमि परिक्रमा मार्गों की सुधार योजना

197–श्री रविकान्त गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा बृज के धार्मिक महत्व को देखते हुए बृजभूमि परिक्रमा मार्ग एवं मथुरा परिक्रमा मार्ग की पर्यावरण सुधार योजना वर्ष 1984-85 में तैयार की गयी थी ? यदि हां, तो योजना का पूर्ण धारूप क्या था और उनके अंतर्गत कितनी धनराशि व्यय करके क्या-क्या कार्य प्रारम्भ करा दिए गये? योजना की शेष धनराशि का आवंटन करके परिक्रमा मार्गों का सुधार कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

योजना का उद्देश्य बृज-मथुरा परिक्रमा मार्ग का सुधार व विकास एवं सौन्दर्यीकरण करना है । इनके लिये शासन द्वारा रु0 19.88 लाख की वित्तीय सहायता मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को दी गई है जिसमें निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं/ कराये जा रहे हैं:–

1–पेयजल व्यवस्था हेतु 20 हैण्ड पम्प लगाये गये ।

2–छाया के लिये ट्री गार्ड लगाकर वृक्षारोपण कराया गया है ।

3–मार्ग प्रदर्शित करने के लिये संकेत चिन्ह तथा किलोमीटर पत्थर लगाये

4–पोतरा कुण्ड से महाविद्या कालोनी तक मार्ग को पक्का कराया गया ।

5–अतिरिक्त हैण्ड पम्प पर्यावरण सुधार के लिये 15 हजार पेड़, पेड़ों की सुरक्षा के लिये सीमेन्ट कांक्रीट के खम्भे लगाकर कांटेदार तार लगाये जा रहे हैं ।

6–मुख्य विश्राम स्थलों पर छाया सहित कांक्रीट बेंचों का निर्माण किया जा रहा है ।

7–सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार संबंधी पत्थर लगाकर पट्टियों के रास्तों एवं फल-पौधों की क्यारियों का निर्माण किया जा रहा है ।

8–मार्ग-सुधार हेतु पुलियों का निर्माण एवं समतलीकरण कार्य किया जा रहा है ।

योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु यथावश्यकता धन की व्यवस्था पर पूर्व स्वीकृत धनराशि का पूर्णोपयोग हो जाने पर विचार कर लिया जायेगा और प्रश्नगत कार्यों को यथा सम्भव शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा ।

(12 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है ।

12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है।

1 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है ।

3 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई।)

(सदन की बैठक पुनः आरम्भ होने पर)

(घोर व्यवधान)

जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी के अनेक "रासुका बन्दियों को रिहा करो" "पुलिस के बल पर सरकार नहीं चलेगी आदि नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये और मा0 अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया" ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री कृष्ण कुमार नवमान, सदस्य विधान सभा (अलीगढ़) गिरफ्तारी, रिहाई तथा पुनः गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष–

सदन को सूचना देनी है कि जिला मैजिस्ट्रेट, अलीगढ़ ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 19 जनवरी, 1991, जो इस सचिवालय में दिनांक 21 जनवरी, 1991 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री कृष्ण कुमार नवमान, सदस्य, विधान सभा (अलीगढ़), जिन्हें दिनांक 13 अक्टूबर, 1990 को गिरफ्तार किया गया था, को दिनांक 10 नवम्बर, 1990 को केन्द्रीय कारागार, आगरा से रिहा किया गया ।

जिला मैजिस्ट्रेट, अलीगढ़ ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 20 जनवरी, 1991, जो इस सचिवालय में दिनांक 21 जनवरी, 1991 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री कृष्ण कुमार नवमान, सदस्य, विधान सभा (अलीगढ़) को दिनांक 20 जनवरी, 1991 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री दयाशंकर–

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 21 जनवरी, 1991 को दिया है, कृतज्ञता-पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।"

श्री अध्यक्ष–

अब हम कल दिनांक 23 जनवरी, 1991 को पूर्वाह्न में 11.00 बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 3 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

22 जनवरी, 1991

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

देखिए अता0 प्र0 सं0 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर

क्रम-संख्या	नवनियुक्ति कर्मचारियों के नाम जो जनपद सिद्धार्थनगर के निवासी हैं।	पद
1	2	3
	सर्वश्री:—	
1	राम केवल	लिपिक
2	विन्ध्याचल	,,
3	विष्णुपद श्रीवास्तव	,,
4	अंगद प्रसाद	,,
5	दिवाकर त्रिपाठी	,,
6	उमाकान्त मिश्र	,,
7	पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव	,,
8	रमाकान्त पाठक	,,
9	शैलष कुमार वर्मा	,,
10	सुरेश प्रसाद	,,
11	तुलसी राम	,,
12	ओम प्रकाश गिरी	,,
13	अब्दुल रहमान	,,
14	अशोक कुमार	,,
15	पीताम्बर प्रसाद	,,
16	रघुबर प्रसाद	,,
17	आनन्द कुमार सिंह	,,
18	ब्रहमानन्द यादव	,,
19	ग्रीश चन्द्र मिश्र	,,
20	कुरुणेश त्रिपाठी	,,
21	अनिरुद्ध कुमार	,,
22	अजय कुमार दुबे	,,
23	अशोक कुमार वर्मा	,,
24	धर्मेन्द्र कुमार सिंह	,,
25	शरद चन्द्र मिश्र	,,
26	बद्री प्रसाद	,,
27	बृजेश चौधरी	(मृतक)
28	रुद्र नाथ मौर्य	(त्याग पत्र)
29	ईश्वर कुमार वर्मा	,,
30	प्रेम सागर चौधरी	टंकक/लिपिक
31	राम औतार	,,

1	2	3
	सर्वश्री:—	
32	वेद प्रकाश	"
33	नवीन कुमार श्रीवास्तव	"
34	मोहम्मद काबिल	"
35	शिवरतन यादव	"
36	राम प्रकाश चौधरी	"
37	प्रेम कुमार सिंह	स्टेनो
38	बलदाऊ जी शर्मा	स्टेनो
39	सुभाष चन्द्र यादव	"
40	केशराम यादव	चपरासी
41	गंगाराम	"
42	महेन्द्र कुमार मिश्र	"
43	गजेन्द्र प्रसाद	"
44	मुनिराम	"
45	सन्तराम	"
46	शिवपूजन	"
47	सोहन लाल	"
48	राम किशोर यादव	"
49	ललई गुप्त	"
50	अकमल	"
51	राधेश्याम (प्रथम)	"
52	सुरेन्द्र विश्वकर्मा	"
53	राधेश्याम (द्वितीय)	"
54	सनाउल्लाह	"
55	शिवराम	"
56	नन्द लाल	"
57	चन्द्रिका प्रसाद	"
58	राम प्रकाश	"
59	राम चन्दर	"
60	जनार्दन प्रसाद	"
61	राजेन्द्र प्रसाद	"
62	राम किशोर यादव	"
63	नजीर अहमद	"
64	अखिलेश कुमार	"
65	श्रवण कुमार	"
66	श्याम लाल	"
67	लक्ष्मी नरायन यादव	चालक
68	राम प्रकाश	"
69	रवीन्द्र कुमार	"
70	हृदयराम भारती	"
71	इन्द्रजीत	"
72	ओंकारनाथ	"

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

विभागीय पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की प्रति चयन वर्षवार अलग-अलग संख्या—

वर्ष	संख्या
1970–71	4
1971–72	चयन कराने हेतु पर्याप्त संख्या में रिक्तियां उपलब्ध नहीं थीं
1972–73	
1973–74	4
1974–75	28
1975–76	11
1976–77	19
1977–78	02
1978–79	33
1979–80	45
1980–81	62
1981–82	65
1982–83	68
1983–84*	46

*प्रवर वर्ग सहायक की रिक्तियों में आयोग द्वारा दिनांक 30–6–84 तक की रिक्तियों में ही चयन सम्पन्न हुआ है।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 94 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

अग्निकाण्ड में प्रभावित परिवारों की सूची, ग्राम हुसैनपर सकरवारी, परगना व तहसील अकबरपुर जनपद–फैजाबाद ।

क्रमांक	प्रभावित व्यक्तियों का नाम/पिता का नाम		पूर्ण / आंशिक	अनुमानित क्षति	अहेतुक सहायता	गृह अनुदान
1	2		3	4	5	6
1	श्री झिनकू पुत्र जुम्मन	..	आंशिक	3000	250	200
2	श्री राम कुमार पुत्र महाबल	..	,,	5000	200	200
3	श्री विश्वनाथ पुत्र महाबल	..	पूर्ण	80000	250	400
4	श्री कृष्ण देव पुत्र चन्द्रेश	..	आंशिक	10000	250	200
5	श्री रामनयन पुत्र जन्त्री	..	,,	25000	250	200
6	श्री पोकई पुत्र ललई	..	पूर्ण	10000	250	400
7	श्री भगवत पुत्र पुरई	..	आंशिक	5000	200	200
8	श्री अंगनू पुत्र गूदर	..	,,	5000	250	200
9	श्री दलार पुत्र धनई	..	,,	4000	250	200
10	श्री रामसहाय पुत्र भोरे	..	,,	15000	250	200
11	श्री पनवासी पुत्र राजाराम	..	पूर्ण	30000	250	400
12	श्री कल्पनाथ पुत्र भगवानदीन	..	आंशिक	1000	100	200
13	श्री राम अवध पुत्र रामसहाय	..	,,	1000	100	200
14	श्री लहुरी पुत्र मन्नू	..	,,	10000	250	200
15	श्री सन्तराम पुत्र मन्नू		,,			
16	श्री राम निहोर पुत्र अधीन	..	पूर्ण	40000	250	400
17	श्री ललई पुत्र पुदई	..	,,	25000	250	400
18	श्री नेवाज पुत्र हरखाली	..	,,	25000	250	400
19	श्री पन्जल पुत्र रामदेव	..	,,	5000	250	400
20	श्री हृदयराम पुत्र रामनाथ	..	आंशिक	10000	250	200
21	श्री बलई पुत्र औतार	..	पूर्ण	40000	250	400
22	श्री छोटकुन पुत्र नोहर	..	आंशिक	60000	250	200
23	श्री राजबहादुर पुत्र रामदेव	..	,,	5000	200	200
24	श्री राजकरन पुत्र अमरेज	..	,,	3000	200	200
25	श्री विकास कुमार पुत्र विरेन्द्र	..	,,	3000	150	200
26	श्री नन्दलाल पुत्र नहावल	..	,,	5000	150	200
27	श्री भरतराज पुत्र महाबल	..	,,	5000	150	200
28	श्रीमती तूला बेवा जुम्मन	..	,,	5000	250	200
29	श्री करमुल्लाह पुत्र जुम्मन	..	,,	5000	150	200
30	मु0 दौला बेवा मुन्नू	..	पूर्ण	3000	100	400
			योग ..	6450	7600	

नोट––(1) पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान 9 । (2) आंशिक क्षतिग्रहत मकान 21 ।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 95 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर एवं जलालाबाद में स्थापित बाढ़ सुरक्षा चौकियों की सूची।

तहसील–पुवायां	तहसील–तिलहर	तहसील–जलालाबाद	तहसील–सदर
1–सधौली प्रा0 स्कूल	1–खुदागंज	1–कोला	1–गांधी पार्क
2–समोरा प्रा0 स्कूल	2–बमियाना	2–गोरामहुआ गाड	2–खन्नैत नदी का पुल
3–गोला रायपर	3–म्यूना	3–खण्डवर	3–शानवाजनगर
4–बढ़ौरा उदयपुर	4–रोहरा	4–जिरायूं	4–इटौंरिया ज0गुरी
5–गटइया जू0हा0 स्कूल	5–सूधा	5–तिखोला ढलरामई	5–रौंसरकोठी
6–सेंरामऊ उ0जू0 हा0 स्कल	6–आजमाबाद	6–अल्लागंज	6–सेरामऊ द0
	7–वराहमोहब्बतपुर	7–चौरासी	7–दलोलपर
	8–हजरतपुर	8–रघुनाथपुर	8–अजीजगंज
	9–बरंचा	9–वजीरपर	9–चांदापर बरकतपर
	10–विक्रमपर चकौरा	10–पृथ्वीपुर ढाई	10–कोहनापुर
	11–भरतापुर	11–जरीनपुर	
	12–राईखेड़ा	12–कीलापुर कलां	
	13–कुसक	13–कलान	
	14–खेड़ारठ	14–मालौ	
	15–मस्आ झाला	15–विक्रमपुर	
	17–बझेड़ा भगवानपुर	17–लक्ष्मनपुर	
	17–वरीप्रसिद्धपुर	17–परौर	
	18–डभौरा सिमरा	18–कुण्डरिया	
	19–मरैना	19–सभाय	
	20–जौरापट्टी चन्द्रभान	20–वेहटा जंगल	
	21–धौरी	21–करआ	
	22–गोहावर	22–फरीदपुर	
	23–गोविन्दपुर	23–टापर	
	24–शंकरपुर पिटखाई	24–फत्तेपुर विरिया	
	25–कलुआ बौझ		
	26–गढ़िया रंगीन		
	27–कुवला करीमनगर		
	28–खमरिया		
	29–अमरेड़ी		
	30–सिमरिया रायपुर		
	31–जैतीपुर		

पी0एस0यू0पी0–एल0 536 विधान सभा (915) 1991—572